

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol. XIX, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No. 22, Friday, September 2, 2011/Bhadra 11, 1933 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
STATEMENT BY MINISTER	
Court cases relating to elections to the SGPC Shri P. Chidambaram	3
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No. 421 to 424	4-40
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 425 to 440	41-97
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060	98-461

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	463-468
MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA	469
BUSINESS OF THE HOUSE	470-474
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	475-491
<p>Situation arising out of lack of storage and stock-holding facility for FCI procured foodgrains in different parts of the country and particularly in Punjab, due to non-transportation of the procured foodgrains to deficit States</p>	
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	475, 480-482
Prof. K.V. Thomas	475-479
Shri Gopinath Munde	482-483
Dr. K.S. Rao	483-485
Prof. K.V. Thomas	486-491
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2011	492-512
Shri Virender Kashyap	492-494
Kumari Meenakshi Natrajan	495-498
Shri Shailendra Kumar	499-500
Shri Vijay Bahadur Singh	501-502
Shrimati Meena Singh	503-504
Sk. Saidul Haque	505-507
Shri Bhartruhari Mahtab	508-510
Shri Kapil Sibal	511
Clauses 2 to 7 and 1	512
Motion to Pass	512

MOTION RE: TWENTY-FIRST REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	513
PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced	514-522
(i) GIRLS (FREE AND COMPULSORY) EDUCATION BILL, 2010 By Shrimati Supriya Sule	514
(ii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011 (Insertion of new articles 21B, 21C and 21D) By Shri C.R. Patil	514
(iii) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2011 (Amendment of Section 126) By Shri Manish Tewari	515
(iv) MEGA PROJECTS (TIMELY COMPLETION) BILL, 2011 By Shri P.L. Punia	515
(v) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF GUJARAT BILL, 2011 By Shri C.R. Patil	516
(vi) ERADICATION OF MALNUTRITION BILL, 2011 By Shri Bhakta Charan Das	516
(vii) SAFAI KARAMCHARIS INSURANCE SCHEME BILL, 2011 By Shri Arjun Ram Meghwal	517
(viii) MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS (AMENDMENT) BILL, 2011 (Substitution of new Chapter for Chapter IV) By Shri Mahendrasinh P. Chauhan	517

- (ix) **FARMERS (PROTECTION FROM NATURAL CALAMITIES AND OTHER WELFARE MEASURES) BILL, 2011**
By Shri Mahendrasinh P. Chauhan 518
- (x) **PROTECTION OF CIVIL RIGHTS (AMENDMENT) BILL, 2011**
(Amendment of section 3, etc.)
By Shri Mohan Jena 518
- (xi) **PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL, 2011**
(Omission of section 28)
By Shri Mohan Jena 519
- (xii) **INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2011**
(Insertion of new section 376E)
By Shri M.K. Raghavan 519
- (xiii) **PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES AND PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) AMENDMENT BILL, 2011**
(Amendment of section 26, etc.)

By Shri M.K. Raghavan 520
- (xiv) **AGRICULTURAL WORKERS WELFARE BILL, 2011**
By Shri Bhausahab Rajaram Wakchaure 520
- (xv) **RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL, 2011**
(Amendment of section 6 to 8)
By Shri Bhausahab Rajaram Wakchaure 521
- (xvi) **BEEDI WORKERS WELFARE BILL, 2011**
By Shri Bhausahab Rajaram Wakchaure 521

(xvii) DISPLACED PERSONS WELFARE BILL, 2011

By Shri S. Semmalai 522

**(xviii) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL
EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT)
BILL, 2011****(Amendment of Schedule II)**

By Shri S. Semmalai 522

**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010
(Amendment of the Eighth Schedule)**

523-576

Shri Satpal Maharaj	523-531
Shri Hukmadeo Narayan Yadav	532-536
Shri Shailendra Kumar	537-540
Shri Gorakhnath Pandey	541-542
Shri Mangani Lal Mandal	543-547
Shri Bhartruhari Mahtab	548-555
Shri Adhir Chowdhury	556-561
Shri Syed Shahnawaz Hussain	562-573
Shri K.C. Singh 'Baba'	574-576

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	593
Member-wise Index to Unstarred Questions	494-599

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	600
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	601-602

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, September 2, 2011/Bhadra 11, 1933 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्वेश्चन ऑवर, क्वेश्चन नं. - 421

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Let us run the Question Hour.

... (*Interruptions*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एसजीपीसी के चुनाव के संबंध में दिलाना चाहती हूँ। इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है, वह माननीय गृह मंत्री द्वारा विद्वान करने के बारे में.. (व्यवधान)

श्री शेर सिंह घुबाया (फ़िरोज़पुर): मैडम, पंजाब के साथ बहुत अन्याय हो रहा है? ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The hon. Minister wants to say something. Please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. The hon. Minister has got up to say something.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : हरसिमरत जी, बैठ जाइए। गुलशन जी, आप भी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, I would like to make a statement.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except the statement of the hon. Minister.

(*Interruptions*) ... *

11.02 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Court cases relating to elections to the SGPC

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, last evening, the Ministry of Home Affairs received a report that Shri Harbhagwan Singh, a Senior Advocate, appeared in the High Court of Punjab and Haryana in the cases relating to elections to the SGPC. He appears to have made a claim that he was representing the Government of India and he stated that the Notification dated 8.10.2003 was being withdrawn by the Government of India. On his statement, the High Court is reported to have passed certain orders. On a suggestion that a suitable Senior Counsel may be engaged to appear in the matter, the Ministry of Law and Justice had written a letter dated 1.9.2011 approving the engagement of Shri Harbhagwan Singh in two of the three cases before the High Court. A copy of the order has not yet been received in the Ministry of Home Affairs. Neither the Ministry of Law nor the Ministry of Home Affairs had given a *vakalatnama* to Shri Harbhagwan Singh. No one from the Government had briefed him. In particular, he had no authority to make a statement that the Notification dated 8.10.2003 would be withdrawn.

The Government also wishes to make it clear that there is no proposal to rescind or withdraw the Notification dated 8.10.2003. I may add that the elections to the SGPC will be held according to the published schedule. The Government will also bring the above facts to the notice of the High Court today.

I humbly request that the matter be closed.

(Q. No. 421)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 421

श्री अशोक कुमार रावत - उपस्थित नहीं।

श्रीमती अन्नू टण्डन।

श्रीमती अन्नू टण्डन : मैडम, मैं सबसे पहले टूरिज्म मिनिस्ट्री और खासकर जो मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : उनको रूरल सेक्टर में पर्यटन के नए-नए स्थान और मौके ढूंढने के लिए ... (व्यवधान) इन जगहों को प्रमोट करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except Shrimati Annu Tandon's question. Please take your seat.

*(Interruptions) ... **

श्रीमती अन्नू टण्डन : खासकर उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आती हूं ... (व्यवधान) वहां पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सेक्टरस ... (व्यवधान) को यूपी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट, 2011-12 में शामिल किया गया है। ... (व्यवधान)


अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के, उन्नाव सर्किट के भी कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान शामिल हैं, जैसे कि बाल्मिकी आश्रम, शफीपुर मॉस्क, चंद्रशेखर आजाद की जन्म भूमि, राजा राव राम बख्श का स्मारक, नवाबगंज का पक्षी विहार और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गांव है। मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार ने हाल में ही यूपी प्राइवेटाइजेशन

लिस्ट, 2011-12 को इंप्लीमेंट करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है? इस कार्यक्रम व योजना के अंतर्गत क्या राज्य सरकार को कोई धन आबंटित किया गया है?

श्री सुबोध कान्त सहाय: अध्यक्ष महोदया, हमने उन्नाव सर्किट, जानकीकुंड, शफीपुर और चंद्रशेखर आजाद बर्थ-प्लेस, बदाकर बर्ड सैंक्चुरी और नवाबगंज जगहों को लिया है। इनको रूरल टूरिज्म की पूरे स्कीम के साथ जोड़ा है। यह हमारी प्राथमिकता में है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सवाल ऐडवेंचर टूरिज्म से संबंधित है। जिस प्रदेश से मंत्री महोदय आते हैं उसी प्रदेश से मैं भी आता हूँ यानी कि झारखंड, वहां पर ऐडवेंचर टूरिज्म, राफ्टिंग, रॉक्स क्लाइम्बिंग, सफारी, इन सब की बहुत गुंजाइश है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या झारखंड के लिए उन्होंने  टूरिज्म की कोई विशेष योजना बनाई है? अगर कोई योजना बनाई है तो उसको विस्तार से यहां बताएं।

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूँ कि ऐडवेंचर टूरिज्म और खासकर वाटर स्पोर्ट्स और माउंटेनिंग से रिलेटेड संभावनाएं वहां बहुत हैं। हमने खासकर तिलैया डैम, चान्दिल डैम और इस तरह के वाटर sports के project लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह हमें project दें और एक-दो जगहों के projects को हमने प्राइओरीटाइज भी किया है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर वहां ऐडवेंचर टूरिज्म की संभावना है हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जब इसके project आएंगे तो हम उसको प्राथमिकता में रखेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग होने के बाद बहुत सारे टूरिज्म प्लेस दूसरे प्रदेश उत्तरांचल में चले गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आया हूँ वह रूरल एरिया है। भदोही कालीन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह काशी और प्रयाग के मध्य में है। एक तरफ ऐतिहासिक नगरी काशी और दूसरे तरफ तीर्थराज प्रयाग है जिनके बीच में सीता समाहित स्थल है। पौराणिक दृष्टि से वहां सीता पृथ्वी में समाहित हुई थी, जो सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। विदेशों से हजारों पर्यटक हर महीने वहां आते हैं। उसी से जुड़ा हुआ विंध्याचल धाम है जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो लक्षागृह नाम से प्रसिद्ध है जहां वनवास के समय में पांडव निवास करते थे। काशी, प्रयाग, सीता समाहित स्थल विंध्याचल धाम और लक्षागृह को कॉरिडोर बना दिया जाए तो पर्यटन की दृष्टि से और कूटीर उद्योग की दृष्टि से, रूरल एरियाज को विकसित करने की जो व्यवस्था है उनमें यह पर्याप्त सहायक होगा। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पूर्वांचल में रूरल एरियाज के टूरिज्म को विकसित करने के लिए काशी,

प्रयाग, विन्ध्याचल, प्रयाग, सीता समाहित स्थल और लक्षागृह को एक कॉरिडोर बना कर, टूरिज्म प्लेस घोषित करने की वह कोई योजना बना रहे हैं? क्या इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं?

श्री सुबोध कान्त सहाय: अध्यक्ष महोदया, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का यह पूर्वांचल इलाका जिसके बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके साथ-साथ वह बुद्धिस्ट सर्किट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारनाथ से लेकर उस पूरे इलाके को बुद्धिस्ट सर्किट के पार्ट से जोड़ कर और रूरल टूरिज्म के साथ, कारपेट उद्योग का जो इलाका है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। राज्य सरकार ने जितनी योजनाएं दी हैं उनमें से हमने अभी बुद्धिस्ट सर्किट को लिया है लेकिन पूर्वांचल का यह रूरल टूरिज्म और वहां का जो एथनिक इण्डस्ट्रीज है उनको जोड़ कर काम किया जा सकता है।

SHRI IJYARAJ SINGH : Madam Speaker, development of tourism in any area can be an economic boom for that region. Therefore, the development of different products and models is of great importance, especially in an area like mine, on the river Chambal, which has a lot of potential for water sports and boat cruises.

Madam, through you, I would like to ask the hon. Minister, as to what is being done to develop water sports and cruises in the Hadoti area on the river Chambal. What emphasis is being placed on developing facilities and services to collect garbage, refuse and having toilet facilities wherever these attractions are there?

SHRI SUBODH KANT SAHAY: We are having guidelines, particularly in the area of hygiene and sanitation and how we can provide the biodegradable toilet, etc. These are part of our schemes.

So far as the development of this region is concerned, proposal should come from the State for prioritisation because whatever scheme we finalize, it is only with the consultation of the State Government. They fix the priority and then we go ahead. I think what the hon. Member is saying, if the proposal comes from the State Government, we will take care of.

श्री निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदया, ए डायवर्सिफिकेशन इन टूरिज्म वेंचर, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो मोटो है, स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग और संरचना, इसमें आपने मेगा टूरिस्ट डैस्टीनेशन के लिए 46 शहर मार्क किए हैं और डायवर्सिफिकेशन में आपका कल्चरल और हैरिटेज सेंटर भी है। मैं

जिस क्षेत्र से आता हूँ और मंत्री जी, आप जहां से हैं - देवघर, महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस क्षेत्र का जिक्र किया है कि देवघर में वे अपना सैंटर बनाना चाहते थे, आजादी का आंदोलन वहीं से चलाना चाहते थे। महर्षि अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में आने से पहले वहीं था। पहला बम विस्फोट देवघर में हुआ और रिलीजियस टूरिज़्म के नाम पर इतना बड़ा मंदिर है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने मेगा टूरिज़्म डेस्टीनेशन के नाम पर जो कमेटी बनाई है, क्या देवघर में इन छः मोटो के साथ आपने कोई मीटिंग की है या उसके विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के पास क्या संरचना है?

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया, देवघर हम लोगों के लिए शिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलीजियस स्थान है। हमने देवघर को मेगा टूरिज़्म सर्किट के तौर पर डेवलप किया है और करीब 24 करोड़ रुपये उसके लिए सैंक्शन किए हैं। जब पूरी चीजों की संरचना शुरू होगी, फिर हाइजीन और अतिथि देवो भवः का जो लक्ष्य है स्वागत, सम्मान, इन सब चीजों के बारे में भी बैठकर कार्य करेंगे। अभी हमने राज्य सरकार को इस दिशा में काम शुरू करने के लिए प्राथमिक तौर पर पैसा तय किया है। दुर्भाग्य यह है कि वर्ष 2006 से लेकर अभी तक के बहुत सारे प्रोजैक्ट्स वहां पूरे नहीं हुए हैं, अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि देवघर मेगा सर्किट के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, कालबद्ध योजना के तहत काम पूरा हो जाए, हम इस बारे में कोशिश कर रहे हैं।

(Q. No. 422)

SHRI NARAHARI MAHATO : Madam, mining operations are undertaken by lease as per the approved mining plan of the Indian Bureau of Mines or the State Government. The mining activities are also subject to other laws of the land including Forest Conservation Act, 1980 and rules framed hereunder and the Environment Protection Act, 1986.

I would like to know whether any objection has been made by iron-ore rich States in the matter of giving mining leases to companies having their operations in other States. If so, the details thereof and the reaction of the Union Government on this?

MADAM SPEAKER: How many questions have you asked?

श्री दिनशा पटेल : मैडम, माननीय सदस्य द्वारा बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे जो खनन पट्टे दिए जाते हैं, वे पूरी तरह चौकसी के बाद ही दिए जाते हैं। कुछ केस में पहले दो परमिट दिए जाते हैं - आरपी, फिर पीएल यानी पुनरक्षण लाइसेंस दिया जाता है, फिर खनन पट्टा दिया जाता है। मगर पर्यावरण मंजूरी की भी इतनी ही जरूरत है और वन विभाग की मंजूरी की भी इतनी ही जरूरत है। उस वजह से तय किया जाता है कि उन्हें खनन का पट्टा दिया जाये या नहीं दिया जाये। मगर बहुत सी दिक्कतों के बाद मैंने यह विवरण भी दिया है कि बहुत से स्टेट्स में, बहुत सी जगहों में न्यायालयों के जरिये काफी खानों को प्रभावित और बंद भी किया गया है। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु आदि में जो खानें हैं, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर बंद किया गया है। मैं मानता हूँ कि इसमें पर्यावरण को बचाने की भी जरूरत है और साथ-साथ वन्य जीव प्राणियों को भी बचाने की भी जरूरत है। वन्य जीव प्राणियों के साथ-साथ अन्य जीवों के जीवन को भी जोड़ा गया है जोकि जीने के अधिकार के साथ जोड़ा गया है। इसलिए मैं सभी सांसदों से अपील करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि जिन खानों में अवैध खनन से जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उन्हें कम करने में हमें माननीय सांसदों का सहयोग मिलेगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दिनशा पटेल: मैं मानता हूँ कि भारत की जीडीपी में खनन क्षेत्र का कुल योगदान 2.62 परसेंट है जिसमें धात्विक खनिजों का लगभग 0.50 प्रतिशत है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर वर्ष 2011 के लिए खनिज क्षेत्र की विकास दर 7.43 प्रतिशत है। देश के आर्थिक विकास के लिए खनन उद्योग को बढ़ावा देते हुए हमें पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान रखना है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें पट्टाधारकों द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गयी स्वीकृति की शर्तों का पालन करने के लिए अधिक ध्यान दें, ताकि खनन की शर्तों के उल्लंघन के क्रम में माननीय न्यायालयों के आदेश द्वारा बंद न हो जायें। इसीलिए मैं माननीय सदस्य को यही कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार इस बारे में अपनी ओर से पूरा सोचती है। हम राज्यों के साथ सैक्रेट्री लैवल पर मीटिंग करके ज्यादा से ज्यादा अवैध खनन कम हो और ज्यादा से ज्यादा खानें चलती रहें और देश के विकास में खान विभाग का जो सहयोग है, वह चलता रहे, ऐसी कोशिश केन्द्र सरकार हर राज्य के साथ बैठकर कर रही है।

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को आंकड़े चाहिए कि कितनी खानें बंद हुई हैं और किस कारण हुई हैं, उस बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में 64 खानें बंद की गयी हैं और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या 698 है। गोवा में 10 खानें बंद की गयी हैं और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या 161 है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में 93 खानें बंद की गयी हैं और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या 8186 है। साथ ही कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में 18 खानें बंद हुई हैं और कर्नाटक के तुमकुर जिले में 21 खानें बंद हुई हैं। कर्नाटक में ऐसी कुल 132 खानें बंद हुई हैं। कर्नाटक में एक कुद्रेमुख अयस्क खान में करीब 2118 कारीगर प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में 157 खानें, जिनमें 52 प्रमुख और 105 गौण खनिज की खानें बंद हुई हैं। 600 कारीगर प्रमुख खानों में इफैक्ट हुए हैं। हरियाणा में 87 खानों में 3595 कारीगरों को इफैक्ट हुआ है। तमिलनाडु में 2 खानें बंद हुई हैं और 16 लोग प्रभावित हुए हैं। मगर वह न्यायालय और पर्यावरण विभाग की सूचना की वजह से हुआ है। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश की जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो खानें कर्नाटक में बंद हुई हैं, उनके लिए उच्च न्यायालय ने वन विभाग और पर्यावरण विभाग की कमेटी बनायी है।



वह कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, उसकी रिपोर्ट को देखकर फिर उसमें क्या कार्यवाही हो सकती है, वह करेंगे।

SHRI NARAHARI MAHATO : Madam, what steps have been taken by the Central Government for preserving mineral resources for our future generation and why is the Government not banning the export of iron ore?

श्री दिनशा पटेल: मैंने वही बताया है कि न्यायालयों के आदेश के कारण खान बन्दी मामलों में मंत्रालय द्वारा कदम उठाए गए हैं। अधिकांश मामले पर्यावरण से संबंधित हैं, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय न्यायालय मामलों में प्रतिवादी है क्योंकि प्रतिवादी सीधा खनन विभाग नहीं होता है, तथापि बेल्लारी में लौह अयस्क खानों की बन्दी के मामले में मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार देश में अपेक्षित लौह अयस्क से संबंधित सूचनाएं दीं जिनमें विकास ढांचे से संबंधित सूचनाएं भी शामिल की गयी हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि तीन मास में वन विभाग और पर्यावरण विभाग ने जो कमेटी बनाई गयी है, वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के बाद आगे जो कार्यवाही करनी होगी, की जाएगी।

अध्यक्ष महोदया : श्री नृपेन्द्र नाथ राय - उपस्थित नहीं।

श्री अधीर चौधरी : महोदया, हम सभी को जानकारी है कि मिनरल एक फिनिट चीज है और नॉन-रिन्यूएबल भी है। हमारी जितनी छोटी बड़ी और मझली इंडस्ट्रीज हैं, उसमें इसका इस्तेमाल एक रॉ मैटेरियल के रूप में होता है। हिन्दुस्तान में 87 किस्म के मिनरल्स मिलते हैं। मैं थोड़ा हटकर आपको सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे बगल वाला देश अफगानिस्तान है जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं और जिस अफगानिस्तान को डेवलप करने के लिए हम काफी मदद भी दे रहे हैं। अभी हमें यह देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान में चीनी कंपनियां आकर एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री बना रही हैं। हमारे देश में भी ओएनजीसी-विदेश जैसी कंपनियां हैं जो बाहर जाकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो क्यों नहीं हम अफगानिस्तान जैसे देश, जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जाकर मिनरल्स एक्सट्रैक्शन की कोई कोशिश करें? इस दिशा में क्या आप कुछ सोच रहे हैं? चूंकि आज मिनरल पॉलिसी से संबंधित प्रश्न आया है, इसलिए मैं यहाँ मालूमात लेना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि आपकी मिनिस्ट्री रिसर्च पर कितना पैसा खर्च करती है? रिसर्च एक बड़ा मुद्दा है। रिसर्च पर हम क्या धनराशि खर्च करते हैं?

श्री दिनशा पटेल: महोदया, अफगानिस्तान के लौह भण्डारों को लेने के लिए भारत प्रयत्न कर रहा है। जो लौह अयस्क की बात है, जो निर्यात का निर्णय है, वह निर्णय वाणिज्य विभाग के जरिए किया जाता है और खनिजों के साथ माइनिंग का पार्ट है। अधिनियम में हम इसको अधिक सरल रखने का सोचेंगे। आपका जो सुझाव है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उमाशंकर सिंह जी, इधर सामने देखिए। उनको उठा दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार : महोदया, झारखण्ड में धनबाद के नजदीक कुछ ऐसी कोयला खानें हैं जहां जमीन पर ऊपर ही वे इतनी ज्यादा गर्म हो गयी हैं कि वहां जो बसाहट है, अधिकांश लोग वहां से दूसरे स्थानों पर जाकर सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ परिवार वहां पर बड़ी संख्या में रह रहे हैं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, मकानों की दीवारें फट रही हैं और जमीन गर्म हो रही है। उस क्षेत्र में ऐसी कितनी खदानें हैं जहां पर पर्यावरण के कारण इस तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं और जिसके कारण वहां बड़ी संख्या में जनजीवन प्रभावित हो रहा है? ऐसे क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? दूसरे, आपने जो उत्तर दिया कि खानों के बंद होने से श्रमिक प्रभावित हुए हैं, तो जो श्रमिक प्रभावित हुए हैं, क्या उनको दूसरी खानों में लगाए जाने की कोई योजना है?

श्री दिनशा पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदया, जो प्रश्न पूछा गया है, उसका इस विभाग से सम्बन्ध न होकर कोयला विभाग से सम्बन्ध है, मगर मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि एमएमडीआर एक्ट 1957 संशोधन कर अब 2011 में जो नया अधिनियम आएगा, तब ही इस तरह से जो प्रभावी लोग हैं, उनके बारे में सोचा जाएगा। इस बारे में सोच चल रही है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, अभी देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी बहस है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। एक प्रकार से यह इलाका भ्रष्टाचार की खान है, खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। कानून में इतनी बाधाएं हैं, उसे इतना काम्प्लीकेटेड बनाया हुआ है कि उसका पालन ठीक से नहीं हो पाता है। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं, जबलपुर, वहां सिहोरा, कटनी आदि क्षेत्र खनिजों से भरे हुए हैं। लेकिन उस इलाके में इनकी लूट मची हुई है। उस इलाके में मार्बल भी है और लोहा भी है। यह भी ठीक है कि यह राज्य का विषय है। भविष्य में और आने वाली पीढ़ी के लिए भी देश की हजारों-लाखों साल की जो सम्पदा, दौलत हमें मिली है, उसकी रक्षा करने के लिए काफी विसंगतियां हैं, क्योंकि आपके पास तो खान मंत्रालय ही है, जबकि यह कोयला मंत्रालय से भी सम्बन्धित बात है। इसलिए सरकार और सदन को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिससे आइरन ओर जो बाहर जा रहा है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, रेत को

निकाला जा रहा है और नदियों की धारा को बदला जा रहा है, उस पर रोक लगे। इस मुद्दे से सम्बन्धित कई विभाग हैं, जिनमें आपस में समन्वय न होने के कारण देश की खनिज सम्पदा को लुटेरे लूट रहे हैं। मेरा मंत्री जी से यह पूछना है कि क्या इसके लिए सरकार एक समग्र कानून बनाने की पहल करेगी या नहीं?

श्री दिनशा पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन कई राज्यों में हो रहा है। उसे रोकने में राज्य सरकारों की भी सहमति और सहयोग चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि यहां बैठे हुए तमाम सांसदों का सहयोग भी चाहिए। हम सभी मिलकर काम कर सकें, तो मैं मानता हूँ कि आपका जो आशय है, वह पूरा हो सकता है। अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग बहुत जरूरी है। खानों को लीज पर देने की पावर भी राज्य सरकारों के पास है और उसे सम्भालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। इसके अलावा रायल्टी भी राज्य सरकारों को मिलती है। इस तरह से उसे सम्भालना और अवैध खनन को रोकना, इस प्रकार की सारी पावर्स राज्य सरकारों को दी गई हैं। माननीय सदस्य ने जो अवैध खनन को नियंत्रित करने की बात कही है, तो राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने के लिए एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 (ग) के अनुसार नियम बनाने के लिए कहा गया है कि यह नियम जल्दी बनाया जाए। वर्ष 2005 से राज्य सरकारों से अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यालय गठित करने का अनुरोध भी किया गया है। अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकारों को नियमित सलाह भी दी गई है। रेलवे, कस्टम और पत्तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्वय करने हेतु, समन्वय एवम् अधिकार प्राप्त समिति गठित करना भी कहा गया है। खनन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आदर्श खनन नीति के आधार पर राज्य खनन नीति तैयार करना और अवैध खनन की गुंजाइश को कम करने के लिए अधिकार प्रदान करने हेतु पारदर्शी नीतियां बनाने के सम्बन्ध में भी कहा गया है। खान मंत्रालय ने विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा खनन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ 3-8-2009, 27-11-2009, 22-2-2010 और 16-4-2010 को चार बैठकें की हैं। अंतिम समीक्षा बैठक भी 21.9.2010 को की गयी। इसके पश्चात समीक्षा बैठक केन्द्रीय समन्वय तथा अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के भाग के रूप में भी की गयी है। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांजिट पास जारी करने के ऑटोमेशन में, सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि रॉयल्टी संग्रहण और ट्रांसपोर्ट परमिट जारी करने के लिए प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, उसी आधार पर करें, जिस आधार पर गुजरात महत्ता वाली फर्टिलाइजर कंपनी ने एनकोड समाधान द्वारा ऑन-लाइन रॉयल्टी पास-प्रणाली कार्यान्वित की



गयी है। एनकोड प्रणाली का उद्देश्य पट्टा-कार्य-कलापों की निगरानी हेतु इंटरनेट के उपयोग से स्वतः समाधान, रायल्टी के भुगतान के लिए कुशल प्रक्रिया, 24 X 7 आधार पर पारदर्शी ढंग से यूनिट रॉयल्टी परमिट जारी किया जाना, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क को कम करना, केन्द्रीयकृत टाटा संग्रह और राज्य में उत्पादित तथा लाए गये खनिजों के ऑन-लाइन लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार की प्रणाली से निश्चित रूप से राजस्व संग्रह में सुधार होगा और राज्य को अपनी खनिज नीतियों को ज्यादा सशक्त बनाने का मौका मिलेगा। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने क्या पूछा है और क्या बताया जा रहा है। आप हमें प्रोटैक्ट नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? मैंने पूछा है कि भारत की सारी जो खनिज सम्पदा है उसके लिए क्या योजनाएं हैं और सरकार उसके लिए क्या पहल कर रही है? कोई पहल करके कोई नया कानून लाइये, यह मैंने पूछा है। इस पर सारा सदन आपके साथ है। यह हमें बताइये।

श्री दिनशा पटेल: मैंने माननीय सदस्य को वही अपील की है कि राज्य सरकारों के साथ बैठकर जो नया एम.एम.डी.आर. एक्ट 2011 बन रहा है, उसमें राज्य सरकारों के साथ बैठकर इसे कैसे रोका जाए, इस पर पूरी कोशिश की जाएगी।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 423

श्री रामकिशुन - अनुपस्थित।

श्री हरीश चौधरी

(Q. No. 423)

श्री हरीश चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जो रिन्यूवल एनर्जी के लिए आप सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, उसके अंदर यह प्रावधान रखा गया है और एक स्टडी ने बताया है कि आबादी के दो किलोमीटर के दायरे के अंदर विंड-मिल्स नहीं लग रही है। क्या इस चीज का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इसके अलावा भी ओरंग-गोचर के इलाके हैं उसमें भी ऐसी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में, टूरिज्म के बारे में बात हो रही थी, जैसलमेर से सटे इलाके में, जहां आज के समय में सबसे ज्यादा टूरिज्म हो रहा है, उस इलाके के अंदर भी ये विंड-मिल्स लगनी है। तो क्या ऐसे प्रावधान है कि सेंट्रल फाइनेंस देते समय, ऐसी जमीनों के ऊपर ऐसी विंड-मिल्स न लगें?

डॉ. फ़ारुख़ अब्दुल्ला: मैडम, जहां तक विंड-मिल्स का सवाल है, मैं माननीय सांसद से कहना चाहता हूँ कि विंड-मिल्स का एक एटलस बनाया गया है, सी-वैट और डेनमार्क के दरम्यान, उसमें जहां-जहां भी बेहतरीन इलाके विंड के लिए हैं, वहां पर विंड-मिल्स लगाई जाएंगी। जहां तक जैसलमेर का सवाल है, मैं खुद वहां गया था, वहां जो नयी मशीनें आई हैं, जो दो-मेगावाट पैदा करती हैं, उन्हें वहां लगाया गया है। मुझे लोगों ने कहा कि कई हमारे सेंड-ड्यूल्स हैं, उन्हें खतरा पहुंचता है। मैंने कहा कि वहां इतनी सेंड का इलाका है कि कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि वहां पर जो बिजली पैदा होगी, वह उन्हें भी फायदा देगी और मुल्क के लिए एक बेहतरीन चीज होगी। हमारी कोशिश है कि विंड-मिल्स हर जगह लगें, लेकिन जहां पर अनाज पैदा होता है उस जमीन पर असर न डालें। इस बात की तरफ हमारी तवज्जोह है और इनके सामने अगर कोई ऐसी जगह है, जहां ये चाहते हैं कि हम विंड-मिल्स लगाएं, तो मेरा मंत्रालय इनके सामने स्टडी करके उसे रखेगा।

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

*(Interruptions) ... **

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please answer his question.

... (Interruptions)



* Not recorded

DR. FAROOQ ABDULLAH : I will answer your question. Your question is very clearly answered. I am not going to run away from giving this answer.

We are not here to destroy the tourism circuit at any cost. You should be clear about it. We have to produce electricity. There is no doubt about it. The demand is ever growing. We want to maintain the environment. We also want to increase the production of energy from this renewable source. You have already seen that the environment all over the world is being affected by other forms of energies that have been produced. That is why, the renewable energy has got a lift up. I can assure this House that in no place we will see this. I would like to tell you that in Maharashtra, they have got a very good wind farm, which has become an attraction even for tourism. So, in many ways, people want to see these things also while they have been producing power.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदया, सौर ऊर्जा से देश को बहुत उम्मीद है। देश में ऊर्जा का बहुत संकट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांसदों की कोठी पर और मंत्री जी के निवास स्थान पर सौर ऊर्जा का पूरा सैट लगा है, लेकिन इससे एक गिलास पानी भी गर्म नहीं होता है। कई बार ऐसी अजब-गजब तरीके से आवाज करता है, तो लगता है कि पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है।

इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पंचायतों में सौर ऊर्जा की नकली प्लेट बिक रही हैं और बहुत कालाबाजारी हो रही है। ऐसी-ऐसी कम्पनियां हैं, जो नकली प्लेट देती हैं और पंचायतों में भी एक गिलास पानी गर्म नहीं होता है।

मेरा आपके जरिए मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या इसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

DR. FAROOQ ABDULLAH: Madam Speaker, I have a Member sitting next to me. He also gets hot water. In my house also I am getting hot water from the same plant.... (*Interruptions*) किसी भी सदस्य को अगर यह शिकायत है कि उनके यहां पानी गर्म नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों खड़े हो गए हैं। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: अगर मेरा उत्तर आपको संतुष्ट नहीं करता है, तो आप उठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय : कैसे उठ जाइए ?

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: महोदय, सवाल इस बात का है कि जहां इस प्रकार की शिकायत है कि सौर ऊर्जा से पानी गर्म नहीं होता है, आप मुझे मेहरबानी करके लिखें। I will get it examined by CPWD. मेरी मिनिस्ट्री इसे नहीं लगाती है। It is done by CPWD. They are the ones who are installing these plants. They are the ones who have to manage them.... (*Interruptions*) It is for them to manage.... (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : It is a wasteful expenditure. It is not working for the last two years ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down, Baaluji.

... (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: The expenditure was not incurred by my Ministry. It is the CPWD, which has done this. But we are ready to look into this matter... (*Interruptions*) I will get every hon. Member's unit examined from my Ministry. I will see that it is done. आपने जो कहा है कि पंचायतों में ऐसा माल दिया जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि यह स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।...(व्यवधान) यहां सीपीडब्ल्यूडी है, राज्यों में पीडब्ल्यूडी है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please do not get into this discussion. Let us not get into this discussion... (*Interruptions*)

डॉ. फ़ारुख़ अब्दुल्ला : मैंने किसी को रोका नहीं है। आप मुझे लिखें कि आपके घर में यह शिकायत है।...(व्यवधान) मुझे कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री जयंत चौधरी : महोदया, उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। पीक डिमांड में तकरीबन आठ हजार मेगावाट की शार्टफाल होती है। जहां देश में हर साल बिजली की औसत खपत 672 यूनिट है, हमारे यहां 340 यूनिट है। यह स्थिति तब है, जबकि करोड़ों घर तो विद्युत व्यवस्था से जोड़े भी नहीं गए हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि छोटे मिनी ग्रिड को और वैकल्पिक ऊर्जा को हमें बहुत महत्व देना होगा।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सौर्य मिशन में उत्तर प्रदेश में पहले फेज की बिडिंग में मात्र पांच मेगावाट का बिड मिला। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां इतनी सम्भावनाएं हैं, सोलर इन्सुलेशन लेवल्स हाई हैं, वहां निवेश नहीं हो रहा है। आप जो इन्सैंटिव्स स्कीम्स चला रहे हैं, क्या आप उन्हें संशोधित करके सोलर इन्सुलेशन पर आधारित डिफरेंशियल इन्सेन्टिव स्कीम बनाएंगे?

डॉ. फ़ारुख़ अब्दुल्ला : महोदया, मैं इस बात का उत्तर जरूर दूंगा। जब यह स्कीम आई, हम लोगों ने इसे पूरा एडवरटाइज किया। उसके बाद हमने लोगों को कहा, क्योंकि *it is totally a privately manned. We are only facilitators.* हम लोगों ने इसकी बिडिंग कर दी। जितनी डिमांड स्टेट्स की तरफ से आई, हमने पूरी की। हमने 100 मेगावाट रखा था इंडिविजुअली एक या दो मेगावाट का। जिन राज्यों ने हमें भेजा, उन लोगों को मिल गया। अगर इसमें इनकी स्टेट पीछे रह गई, तो मेरा कसूर नहीं है। अगर राज्य की तरफ से यह चीज आ गई होती, तो हम रोकते नहीं। आज भी हमारे पास आपके राज्य के छह यूनिट्स सोलर एनर्जी के ऐसे हैं, जो पाइपलाइन में हैं, जो तैयार हो रहे हैं। उसमें मेरा कसूर नहीं है, राज्य जितने प्रोजेक्ट्स भेजेगा, उतने हम दे देंगे। आपके राज्य को तीन साल में सबसे ज्यादा रकम 114 करोड़ रुपए रिन्यूवल एनर्जी के लिए दिए गए हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं तब सवाल पूछना चाहता था, जब जैसलमेर से सिलसिला शुरू हुआ था। वहां मेरा कुछ पैरोक्वियअल इन्टरेस्ट लगता है, इसलिए संकोच से पूछ रहा हूं। जैसलमेर मेरा घर है। जैसलमेर की बात होते-होते मंत्री जी गर्म हो गए।...(व्यवधान) हम तो आपको नरम करने के लिए अर्ज़ कर रहे हैं।

मैं आपसे बहुत आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर में हवा की चक्कियां लगा कर, जैसलमेर का जो असली रूप है, वह आपने बरबादी के रास्ते पर डाल दिया है। मैं तहेदिल आपसे अर्ज करूंगा कि आप इसे गम्भीरता से लें। जगह-जगह पर मकड़ी के हाथ की तरह ये दानव खड़े हो गए हैं। हमें ये जैसलमेर में नहीं चाहिए। जैसलमेर वैसे ही अपने आप में जिले के रूप में एनर्जी सरप्लस हो गया है। रामपुर का जो प्लांट है और जो पहले लगे प्लांट हैं, उनकी गिनती कर लें, तो जैसलमेर एनर्जी को एक्सपोर्ट कर रहा है। आप मेहरबानी करके वहां और मकड़ियां खड़ी न करें।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : मैं इसकी तरफ नज़र रखूंगा कि आप जैसा फरमाते हैं कि हवा चक्कियों ने आपके इलाके को बरबाद किया है। मैं स्वयं वहां देखने के लिए गया था। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इलाके में ये और न लगे।

SHRI T.R. BAALU : Madam, farming sector is the most important sector in our country, and the farmers are the backbone of our economy.

Actually, the State Government of Tamil Nadu, the State Government of Punjab and other State Governments have come forward to make it free, power to agricultural pump sets are concerned. They have made it free.

DR. FAROOQ ABDULLAH: In what way?

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): By giving free power supply to the pump-sets for agriculture. In this connection, I would like to know from my friend, the hon. Minister, whether the Government of India would fund in establishing renewable energy just like wind energy, solar energy and other such energy, so that at least, tiny and small farmers can get the benefits like 3-horse power motors, 5-HP motors, etc.

MADAM SPEAKER: Please ask your question.

SHRI T.R. BAALU : I would like to know whether the Government of India will fund for it, at least, in the Interim Budget.

DR. FAROOQ ABDULLAH: No doubt, it is a big thing. Maximum diesel is now also utilized for these pump-sets that are generating, getting water out of the ground. Earlier, there used to be a scheme where 100 per cent was given for these pumps. Then, it was reduced to 30 per cent. We are, now, requesting in the 12th Plan more funds may be given so that wherever it is possible, more power can be generated. We are nowadays even working on solar energy being used to generate power enough to get that water. We are requesting that further grants may be given so that the States would not have to utilize their power nor their diesel would be utilized; and we feel that solar energy, wind energy, and in many places biomass energy can be also given to the water pumps.

We are hoping that the 12th Five Year Plan would be generous to us so that we would be able to do more in the renewable energy sector.

SHRI P.C. CHACKO : Madam, the conventional sources are getting exhausted. So, there is a need and thrust to be given in the non-conventional sector. The steps explained by the hon. Minister are worth appreciating. But the wind energy and solar energy are the two potential areas. In the wind energy sector, the private participation is there, which has also been explained in the question.

There was an investment subsidy being given by the Government of India, the Ministry of Non-Conventional Energy for establishing wind turbines and also the solar energy panels. But now, of late, in the last two years, the investment subsidy for the wind turbines being given by the Government of India, the Ministry of New and Renewable Energy is being dispensed with. Considering the wind velocity maps prepared by the hon. Minister's Department, there is a huge potential in this area. Private Sector is ready to invest also. So, the investment subsidy, which is 50 per cent of the total cost of the project, was given by the Department. That was one point, which was giving a lot of encouragement to the private sector to come to this field. There is no reason for dispensing with this investment subsidy.

Therefore, will the Minister assure this House that the investment subsidy for the wind mills to be established by the private sector continue to encourage the non-conventional energy production in the wind sector?

DR. FAROOQ ABDULLAH: Madam, as far as wind energy is concerned, depreciation was being given in the 11th Plan. Then, we shifted to generation based incentive; that the power that you would generate, the incentive would be given. The wind mill people -- because it is a private industry that does this -- were of the opinion that depreciation based incentive may kindly be continued till the 11th Plan period is over; and then those people, who want to take up generation based incentive, might utilize this thing. But lately, they say now that they should get both. Unfortunately, that is not so. We are giving generation based incentive from the 12th Plan, but in the 11th Plan, we are continuing with the depreciation based incentive which we have been giving. We are hopeful. I will take the hon. Member's suggestion and see with the Finance Ministry what we can do for the future.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Q.. 424 – Shri Suresh Angadi.

श्री रामकिशुन : महोदया, मूल प्रश्न मेरे नाम से था लेकिन मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। मैं क्षमा चाहता हूँ।... (व्यवधान)


अध्यक्ष महोदया : यह प्रश्न हो गया है।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. We have already moved on to the next Question.



(Q. No. 424)

SHRI SURESH ANGADI : Madam, through you, I would like to tell the hon. Minister that neither there are doctors available nor there is existence of proper health care facilities related to infrastructure and Primary Health Centres in various rural and urban areas of the country. There is an acute shortage of medical doctors in the country, especially in the rural areas. The prime objective of the National Rural Health Mission is defeated here. 

Further, there is no uniformity in the implementation of this scheme in different States. Appointment of doctors on casual basis and using the infrastructure available with the hospitals run by NGOs, Trust or Society are helpful to some extent. In view of this, I would like to state that there are many AYUSH doctors in the country. If they take their services, the rural people can get the facilities and they will be treated as in Andhra Pradesh where they have given the opportunity for the AYUSH doctors. Likewise, if we give opportunities to the Ayurvedic doctors all over the country, it will be more helpful. This is my first supplementary.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, this is a fact that there is an acute shortage of doctors. I have been saying this time and again in this House and also in the other House, and that is why, we have taken a number of steps, particularly during the last two years to increase the number of seats and thereby increasing the number of medical colleges. Also to attract the entrepreneurs, we have given a number of incentives and we have changed the rules of the Medical Council of India.

Land, infrastructure, equipment—all these things have been rationalized so that the capital investment is much less or it is reasonable to set up a Medical College. We have also taken steps to increase the number of intakes, as a result of which in just two years' time, the intake of MBBS seats has gone up by almost 9,000 and the intake of MD seats has gone up by 8,000, and this has never happened before that such a big jump has taken place in the increase of intake in

MBBS and MD seats. But besides that, it is not only Andhra Pradesh but it is a scheme of Government of India and money is also paid under the NRHM by the Government of India. Should the State Governments employ doctors, nurses, specialists, ANMs, para-medics and AYUSH doctors? Particularly, if they push these doctors to the rural areas, difficult areas, inaccessible areas and remote areas, in addition to what the State Government is providing, the Government of India under the NRHM will also provide funds.

I am happy to state that during the past 5-6 years, ever since the NRHM has been launched, as on 31st March, 2011, 1,84,000 human resources have been engaged on contractual basis under the NRHM. These are, 7,063 specialists, 9,432 doctors, 11,575 AYUSH doctors, 33,667 staff nurses, 60,268 ANMs, 21,740 para-medics and 4,616 AYUSH para-medics.

SHRI SURESH ANGADI : Madam, there are infrastructures, Primary Health Centres but there are no doctors, and in some areas there are doctors but they do not have any infrastructure. Can he make the arrangement of some good NGOs, good societies and good health doctors? Wherever the doctors are not available in the primary health centers, can they give those primary health centers on the contractual basis to those who are doctors? They can utilize the infrastructure and give better service to the people of this country.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न दो भागों में है, पहला भाग है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और दूसरा भाग है कि डॉक्टर्स नहीं हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर कम था, माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, यह केंद्र में नहीं आता है। फिर भी यूपीए सरकार ने महसूस किया कि राज्य सरकारों के लिए बड़ी मुश्किल है, 60 सालों से इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वे अपने रिसोर्सिस से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना सकें। इसलिए एनआरएचएम बनाया गया। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार का इसी पांच साल का बजट तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए है जो राज्य सरकारों को इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है जिससे तमाम सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर बना सकें। 70,000 करोड़ रुपया पांच साल में दिया गया है, जो दवाइयां बच्चों के लिए दी जाती हैं, वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, नॉन-कम्युनिकेबल डिस्सीज़िज़ या कम्युनिकेबल डिस्सीज़िज़ के लिए दी जाती हैं, ये

इसके अलावा हैं। एक बहुत बड़ी राशि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले छः-सात साल से राज्य सरकारों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दी जा रही है। जहां तक प्राइवेट देने का सवाल है, हमारे देश में डाक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स हैं, राज्य सरकारों को बता ही दिया गया है कि आप कान्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एपाइंट करो, पैसे हम देंगे। प्राइवेट वाले कहां से लाएंगे? जितना देश में उपलब्ध है, उन्हीं का प्रयोग तो राज्य सरकार कर रही है, किसी दूसरी जगह तो नहीं आने वाला है।

श्री रामसिंह राठवा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गुजरात की ट्राइबल बैल्ट, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बार्डर से लगे ग्रामीण विस्तार में आम जनता के स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अध्यक्ष महोदया, हमने बैकवर्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ की तरफ विशेष रूप से एक-डेढ़ साल से ध्यान दिया है और पूरे देश की 264 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सूची बनाई है, जिनमें ट्राइबल एरियाज़ और दूसरे एरियाज़ पड़ते हैं। सब स्टेट्स से लिए गए हैं। 264 जिलों को चुनने का आधार है, जिनमें बड़े पुअर हैल्थ इंडीकेटर्स हों। जहां एससी और एसटी 35 परसेंट से ज्यादा हैं, वहां 35 परसेंट तो बिल्कुल ले लिए हैं। 33 left wing extremists affected districts भी ले लिए हैं। इसमें देश की 40 परसेंट पापुलेशन कवर की है। इन 264 जिलों में शिशु मृत्यु दर 60 परसेंट और आम मार्टेलिटी मैटर्नल रेट, प्रेगनेंट वूमन मृत्यु दर 75 परसेंट है। इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए, इसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और तकरीबन 18 ऐसे राज्य हैं, जिनमें हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं।

11.59 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)



जैसा मैंने पहले बताया कि कान्ट्रैक्चुअल अपाइंटमेंट करना है। इसलिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स और इलाकों में देते हैं, जो बैकवर्ड्स और ट्राइबल एरियाज़ हैं।

... (Interruptions)

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): महोदय, हमारी बात सुनी जाए... (व्यवधान)

12.00 hrs.

At this stage, Shri Umashankar Singh came and stood on the floor near theTable

... (Interruptions)

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

12.0½ hrs.

At this stage, Shri Rakesh Sachan and some other hon. members came and stood on the floor near theTable

... (Interruptions)

12.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN : Now Papers to be laid on the Table. Shrimati Krishna Tirath.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2009-2010.
 - (iii) A copy of the Action Taken Report (Hindi and English versions) on the recommendations contained in the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5059/15/11)

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2011 together with Auditor's Report thereon:-

- (i) Arunachal Pradesh Rural Bank, Papum-Pare.
(Placed in Library, See No. LT 5060/15/11)
- (ii) Pallavan Grama Bank, Salem.
(Placed in Library, See No. LT 5061/15/11)
- (iii) Bangiya Gramin Vikash Bank, Murshidabad.
(Placed in Library, See No. LT 5062/15/11)
- (iv) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad
(Placed in Library, See No. LT 5063/15/11)
- (v) Dena Gujarat Gramin Bank, Gandhinagar
(Placed in Library, See No. LT 5064/15/11)
- (vi) Chikmagalur Kodagu Grameena Bank, Chikmagalur
(Placed in Library, See No. LT 5065/15/11)
- (vii) Baitarani Gramya Bank, Mayurbhanj
(Placed in Library, See No. LT 5066/15/11)
- (viii) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
(Placed in Library, See No. LT 5067/15/11)
- (ix) Pandyan Grama Bank, Virudhunagar
(Placed in Library, See No. LT 5068/15/11)
- (x) Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati
(Placed in Library, See No. LT 5069/15/11)
- (xi) North Malabar Gramin Bank, Kannur
(Placed in Library, See No. LT 5070/15/11)
- (xii) Samastipur Kshetriya Gramin Bank, Samastipur
(Placed in Library, See No. LT 5071/15/11)

- (xiii) Rushikulya Gramya Bank, Berhampur
(Placed in Library, See No. LT 5072/15/11)
 - (xiv) Jaipur Thar Gramin Bank, Jaipur
(Placed in Library, See No. LT 5073/15/11)
 - (xv) Purvanchal Gramin Bank, Gorakhpur
(Placed in Library, See No. LT 5074/15/11)
 - (xvi) Bihar Kshetriya Gramin Bank, Munger.
(Placed in Library, See No. LT 5075/15/11)
 - (xvii) Puduvai Bharathiar Grama Bank, Puducherry
(Placed in Library, See No. LT 5076/15/11)
 - (xviii) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur
(Placed in Library, See No. LT 5077/15/11)
 - (xix) Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola
(Placed in Library, See No. LT 5078/15/11)
 - (xx) Kalinga Gramya Bank, Cuttack
(Placed in Library, See No. LT 5079/15/11)
 - (xxi) Rewa Sidhi Gramin Bank, Rewa
(Placed in Library, See No. LT 5080/15/11)
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Bank for Agricultural and Rural Development, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Bank for Agricultural and Rural Development, Mumbai, for the year 2010-2011.
(Placed in Library, See No. LT 5081/15/11)

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-
- (i) The Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. G.S.R. 199(E) in Gazette of India dated the 9th March, 2011.
 - (ii) The Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other place of Business) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. G.S.R. 200(E) in Gazette of India dated the 9th March, 2011.
 - (iii) The Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. G.S.R. 491(E) in Gazette of India dated the 28th June, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5082/15/11)

- (4) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/14/21219 in Gazette of India dated the 5th July, 2011 under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(Placed in Library, See No. LT 5083/15/11)

- (5) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the, State Bank of Patiala, State Bank of Mysore, State Bank of Bikaner and Jaipur and State Bank of Travancore, for the year 2010-2011 alongwith Audited Accounts and Auditors Report thereon under sub-section(4) of Section 43 of the State Bank of India (subsidiary Banks) Act, 1959.

(Placed in Library, See No. LT 5084/15/11)

(6) A copy each of the following Notification (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:-

(i) The Union Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2010 published in the Notification No. 27 in weekly Gazette of India dated the 8th July, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5085/15/11)

(ii) The Bank of Baroda (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010 published in the Notification No. 4 in weekly Gazette of India dated the 28th January, 2011.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 5086/15/11)

(8) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts 1970 and 1980:-

(i) Report on the working and activities of the Punjab and Sindh Bank for the year 2010-2011, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5087/15/11)

(ii) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2010-2011, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5088/15/11)

(iii) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2010-2011, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5089/15/11)

- (iv) Report on the working and activities of the Dena Bank for the year 2010-2011, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5090/15/11)

- (v) Report on the working and activities of the Corporation Bank for the year 2010-2011, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5091/15/11)

- (vi) Report on the working and activities of the Syndicate Bank for the year 2010-2011, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5092/15/11)

- (vii) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2010-2011, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5093/15/11)

- (viii) Report on the working and activities of the Vijaya Bank for the year 2010-2011, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5094/15/11)

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5095/15/11)

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): On behalf of Shri S. Gandhiselvan, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited and the Department of AYUSH, Ministry of Health and Family Welfare for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5096/15/11)

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003:-

- (i) The Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 417(E) in Gazette of India dated the 27th May, 2011.
- (ii) The Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 570(E) in Gazette of India dated the 26th July, 2011.
- (iii) The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2011

published in Notification No. G.S.R. 619(E) in Gazette of India dated the 11th August, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5097/15/11)

- (3) A copy of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) and Indian Medicine Central Council (Post Graduate Unani Education) Amendment Regulations, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. U-1/6-5/2011 in weekly Gazette of India dated the 3rd June, 2011 under sub-section (3) Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

... (*Interruptions*)

(Placed in Library, See No. LT 5098/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram, for the years 2007-2008 to 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram, for the years 2007-2008 to 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5099/15/11)

12.02½ hrs.

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA ***

SECRETARY-GENERAL: Mr. Chairman, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

“I am directed to inform the Lok Sabha that the State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill, 2011, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th August, 2011, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 30th August, 2011, with the following amendment:-

CLAUSE 10

1. That at page 6, lines 1 to 3, be *deleted*.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendment be communicated to this House.”

2. Mr. Chairman, I lay on the Table the State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill, 2011, as returned by Rajya Sabha with amendment on the 30th August, 2011.

* Laid on the Table

12.03 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR):

Mr. Chairman, Sir, with your permission, on behalf of Shri Pawan Kumar Bansal, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the current session, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
2. Consideration and adoption of amendments made by Rajya Sabha in the following Bills, as passed by Lok Sabha: -
 - (a) The Orissa (Alteration of Name) Bill, 2011;
 - (b) The Constitution (One Hundred Thirteenth Amendment) Bill, 2011; and
 - (c) The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill, 2011.
3. Consideration and passing of the following Bills: -
 - (a) The Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009; and
 - (b) The Constitution (One Hundred and Tenth Amendment) Bill, 2009.
4. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-
 - (a) The Copyright (Amendment) Bill, 2010;
 - (b) The Commercial Division of High Courts Bill, 2010; and

(c) The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now Submissions. Rajkumari Ratna Singh.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Dr. Tarun Mandal.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please give the notice. I will call you.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If you give it there, I will call you.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. You can say whatever you want to. I will call you if you go back to your seats.

... (*Interruptions*)

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, I beg for inclusion of the following subjects for discussion in the next week's Business in the House.

1. Flood situation in West Bengal including coastal districts of South, North 24 Paraganas and Midnapore, due to incessant rain and discharge of water from several dams. It has claimed more than 75 lives already. Relief operation for the people and compensation particularly for the farmers of the flood ravaged areas need to be augmented.
2. Forceful land acquisition by Odisha Government at Dhinkia, Nuagaon and Gada Kujanga panchayats under Jagatsinghpur district for Posco Steel Plant displacing more than 25000 people and destroying forest and fertile land endangering environment. People of the 6000 acres plus areas are in the path of resistance struggle since 2005 under the banner of Posco Pratirodh Sangram Samity.


श्री सी.आर.पाटिल (नवसारी): महोदय, मैं गुजरात के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

12.05 hrs.

At this stage, Shri C.R. Patil and some other hon. members came and stood on the floor near the Table

... (Interruptions)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय सभापति महोदय, कृपया निम्न अति-महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें :

1. खाद की कमी से किसान त्रस्त हैं, जल्द से जल्द किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
2. घाघरा नदी में बाढ़ के कारण बाराबंकी, सीतापुर, बहरा  गोण्डा जनपदों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। आबादी के पास मजबूत ठोकर एवं पक्के बांध बनाए जाएं ताकि हर वर्ष हो रही तबाही से बचा जा सके।
3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कोर नेटवर्क में संशोधन कर नई सड़कों पर काम शुरू किया जाए। बाराबंकी जनपद के लिए फेज़ 8 की 104 सड़कों के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराया जाए।

MR. CHAIRMAN : Please go to your seat.

... (Interruptions)

12.06 hrs.

At this stage, Shri Umashankar Singh, Shri Dharmendra Yadav, Shri Dhananjay Singh and some other hon. members went back to their seats.

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सभापति महोदय, कृपया आगामी सप्ताह में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा हेतु विषय सूची में डालने की अनुमति प्रदान करें:

1. जम्मू कश्मीर राज्य में **delimitation** करवाने, 13 लाख शरणार्थियों को अधिकार व सुविधाएं प्रदान करने, पंचायती राज प्रणाली में सभी शक्तियों प्रदान करने, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी सत्र से शुरू करने व बड़े उद्योग स्थापित करने के बारे में।
2. देश भर में विशेषतः हि.प्र., उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश आदि पहाड़ी राज्यों में हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट में रिलीफ एवं रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, लाडा व लीज़ रूल्स को सख्ती से लागू करवाने तथा ऐलान करने पर भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा दिलाने के बारे में।
3. केंद्र सरकार द्वारा देश के ट्राइबल एरियाज़ व पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों को वन भूमि के पट्टे एलॉट करने के निर्णय को हि.प्र. में भी लागू करवाने के बारे में।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :

1. मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत बैरगनिया एवं घोडासहन को आदर्श स्टेशन का दर्जा दिए जाने का कार्य।

मेरे संसदीय क्षेत्रान्तर्गत सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखण्ड अवकारी बाजार स्थित सीमा शुल्क कार्यालय का स्थानांतरण भारत नेपाल सीमा पर किए जाने हेतु।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri. Hukmadeo Narayan Yadav

... *(Interruptions)*

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, Sir, I want that the following items may be included in the next week's agenda :

- (a) Need to give stoppage of one Rajdhani Express at Burdwan Railway Junction because of the importance of the location. It connects not only bordering three districts, but it is also the centre of learning having one

University; one Medical College; and one University Institute of Technology.

- (b) Need to convert the Narrow Gauge Railway Line to Broad Gauge Line in between Balgona to Katwa in Eastern Railway, that is, the remaining portion of Burdwan-Katwa Line, in the district of Burdwan, West Bengal.

MR. CHAIRMAN: Please keep quiet when your own Member is speaking.

... (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूँ:

1. सैनिकों के लिए " वन रैंक वन पेंशन " राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित होने के पश्चात भी लागू नहीं होना भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीड़ा का विषय है। अतः इस विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।
2. देश में प्रत्येक छोटे और बड़े शहर में यातायात को बोझ बढ़ता जा रहा है। पार्किंग की समस्या सबसे विकट समस्या होती जा रही है। अतः देश में सभी शहरों के लिए यातायात की समूचित व्यवस्था हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने से संबंधित विषय चर्चा में सम्मिलित किए जाएं। ... (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, निम्नलिखित विषयों को सप्ताह की अगली कार्यसूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जाए:

1. कि यह सभा आग्रह करती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में स्थित चन्द्रपुरा जं. का समपार धनबाद डी.आर.एम. द्वारा बंद करा दिया गया है। इस पर लगभग 30 वर्षों से आम जनता का आवागमन था एवं इससे करीब 40 हजार जनता प्रभावित है। अतः इसे अतिशीघ्र चालू करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएं।
2. कि यह सभा आग्रह करती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में स्थित पूर्व-मध्य रेलवे के फुसरो रेलवे क्रासिंग बंद कर दिया है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है एवं धनबाद रेलवे स्टेशन का वी.आई.पी पार्किंग बंद है। इन दोनों को अतिशीघ्र चालू कराने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएं।

12.09 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF
URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

Situation arising out of lack of storage and stock-holding facility for FCI procured foodgrains in different parts of the country and particularly in Punjab, due to non-transportation of the procured foodgrains to deficit States

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No. 8, Calling Attention.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Rajnath Singh.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri P. C. Mohan.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shrimati Harsimrat Kaur Badal.

... (*Interruptions*)


SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Sir, I call the attention of the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

“The situation arising out of lack of storage and stock-holding facility for FCI procured food grains in different parts of the country and particularly in Punjab due to non-transportation of the procured food grains to deficit States.”

... (*Interruptions*)

Sir, if the House is not in order, how can I speak? ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, please lay your Statement on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Sir, with your permission, I beg y the Statement on the Table of the House.

*Government of India has been making constant efforts to move out food grain stock out of Punjab and other surplus States to deficit and consuming States. Over the period of time, procurement as well as movement of food grains from Punjab has increased. The movement of food grains from Punjab increased to 165.88 lakh tonnes during the year 2010-11 compared to movement of 119.28 lakh tonnes out of Punjab in 2008-09. During the year 2011-12 (provisional figures till 31st August) 67.67 lakh tonnes of food grains were moved out of Punjab compared to 63.78 lakh tonnes during the same period in 2010-11.

During the Rabi Marketing Season 2011-12, procurement of wheat has reached an all time high level of 281.44 lakh tonnes.

In M.P., Rajasthan and U.P., procurement this year has been substantially higher than last year. During 2010-11 the combined procurement in these three States was 56.7 lakh tonnes. In 2011- 12, the combined procurement in three States reached the level of 96.56 lakh tonnes.

As a result of higher procurement of wheat in M.P., Rajasthan and U.P., outward movement of wheat from Punjab has been affected. Earlier, the requirement of major wheat consuming States like Maharashtra and Gujarat was met by moving wheat from Punjab. However, this year, due to substantially higher procurement in U.P., M.P. and Rajasthan, there is no vacant space to store wheat moved from Punjab into these States. In fact movement of wheat to the extent of 8.26 lakh tonnes has been made out of Madhya Pradesh up to July to deficit states.

Production and procurement of rice has also been high this year in Andhra Pradesh necessitating movement of rice ex-Andhra of about 17.6 lakh tonnes up to July to deficit States.

However, the overall movement of wheat and rice out of Punjab in 2010-11 was higher than the previous year. This year also, Government of India is continuing effort to move as much wheat and rice out of Punjab as possible.

... This part of the speech was laid on the Table

During 2011-12, it is estimated that by September end, 84.47 lakh tonnes of wheat and rice will be moved out of the State whereas during 2010-11 during the same period, 78.42 lakh tonnes of wheat and rice was moved out of the State.

Despite these constraints, there is no problem in acceptance of rice stocks by FCI in Punjab. As on 1.7.2011, FCI had a vacant covered storage capacity of 8.1 lakh tonnes against which 3.35 lakh tonnes of rice was delivered by millers in Punjab. Similarly, on 1.8.2011, FCI had a vacant covered storage capacity of 12 lakh tonnes against which 3.97 lakh tonnes of rice was delivered by millers in Punjab. It is expected that delivery of fresh crop rice by millers will start from January, 2012. In the intervening period, FCI will evacuate further stocks of wheat and rice from Punjab which will create sufficient additional vacant storage capacity for acceptance of KMS 2011-12 rice. As far as acceptance of wheat in RMS 2012-13 is concerned, it is expected that a substantial amount of capacity of about 30 lakh tonnes sanctioned under PEG will be ready by then including 6 to 7 lakh tonnes in Punjab. This will not only help in keeping milled Rice of KMS 2011-12 and procured wheat of RMS 2012-13 in Punjab but also in moving out surplus wheat and rice to consuming States also where there will be new addition to existing storage capacities.

In order to create additional covered storage space, Government has formulated a scheme for construction of go-downs through private entrepreneurs under Private Public Partnership mode with a view to reduce dependence on CAP (Open Storage) by construction of covered go-downs both in procurement as well as consumption areas through private entrepreneurs, CWC and SWCs. A capacity of 152.97 lakh tonnes has been planned for creation in 19 States under the Scheme through private entrepreneurs and Central and State Warehousing Corporations. CWC and SWCs are constructing 5.31 and 15.49 lakh tonnes respectively under the Scheme, out of which, a capacity of about 3.5 lakh tonnes has already been completed. About 30 lakh tonnes of new capacity is likely to be completed by

March, 2012 under the scheme while substantial amount of new capacities will be added in next one year or so thereafter.

However, wheat is also stored in Cover and Plinth (CAP) temporarily in surplus States like Punjab and Haryana before it is evacuated to deficit States. However, CAP is a scientific storage. Some wheat is also lying in kutchha plinths but wheat is being moved out on priority from there. *In spite of* all precautions some quantity of wheat does get damaged due to various reasons. However, such damaged quantity is very small compared to overall quantity handled by FCI and other Government agencies. The quantity of damaged stocks over last few years with FCI is as follows:-

2007 - 08	-	34,426 tonnes
2008- 09	-	20,114 tonnes
2009- 10	-	6,702 tonnes
2010- 11	-	6,346 tonnes
2011- 12	-	541.33 tonnes
(up to 1st July)		

A total 76.29 lakh tonnes of storage capacity was available with FCI in Punjab up to 31.3.2011 in addition to 115.45 lakh tonnes available with State Government/other agencies. Against this, as on 1.8.2011, 85.98 lakh tonnes of rice and 128 lakh tonnes of wheat were available in the Central Pool in Punjab. Under the FCI's Guarantee Scheme creation of 51.25 lakh tonnes capacity has been approved to be created in Punjab by CWC, SWC and private entrepreneurs. Out of this, a capacity of 20.1 lakh tonnes has been finalized in Punjab to be created by the Private Entrepreneurs. Tenders for creation of 22 lakh tonnes capacity are in the process of being finalized. Out of 51.25 lakh tonnes of total capacity sanctioned CWC and PSWC have been allotted 0.782 lakh tonnes and 2.895 lakh tonnes respectively. Out of this, 1.356 lakh tonnes has already been handed over while the remaining is likely to be handed over to FCI by March 2012.

The Government is making all out effort to ensure higher off-take by consuming States. Government of India has made a number of additional allocations to various State Governments. However, lifting in many States is poor. If the consuming States lift their allocations, it would be possible to move more stocks out of Punjab and other surplus States to deficit States. The matter is being regularly pursued with the consuming States. As a result of additional allocations made by Government of India off-take in 2011-12 are higher than the off-take in 2010-11. During 2011-12, 180.42 lakh tonnes of wheat and rice was lifted under PDS till July, 2011 compared to 159.36 lakh tonnes in the same period last year. The long-term solution however lies in creation of additional storage capacity in procuring as well consuming States for which we are already working for creation of additional capacities under the PEG scheme and in increased off-take of food grains by States.*

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

12.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.



14.01 hrs.

*The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Fourteen
of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

**CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF
URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**Situation arising out of lack of storage and stock-holding facility for FCI
procured foodgrains in different parts of the country and particularly in
Punjab, due to non-transportation of the procured foodgrains to deficit States
– Contd.**

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): In a country whose population is growing at more than 15 million per year, the most important and vital thing for the growth of the nation is the production of its food. A nation can only grow if its people are not hungry. After production of food, the next most important thing is the way this grain is stored because it is this very food that ensures the food security of the nation.

Today, in our country, a farmer utilises all his resources, puts in his blood and sweat and toils hard to feed this nation. In the process of using all his resources to give a crop, we are also utilising all our natural resources soil and water which are getting depleted due to over-utilisation.

Today, in our country, where in the last four years, the cost of inputs of a farmer has risen by 60 per cent, the Government has only increased the MSP by Rs. 20 for wheat and Rs. 100 for Rice which is not even 10 per cent increase in price. In spite of these things, you will be surprised to know that the farmers of our country have produced an all time bumper crop and today, our central pool has 654 lakh tonnes of wheat and rice. According to the Ministry, the required amount of buffer stock in the Central pool is 319 lakh tonnes. But, today the buffer stock lying in the country is 654 lakh tonnes.

Now, I want to tell you that 654 lakh tonnes of grains is lying in the country which is double the amount of required buffer stock. ये किस हालात में देश का अनाज गोदामों में पड़ा हुआ है। Against 654 lakh tonnes of grain, this country has storage capacity of only 446 lakh tonnes and the remaining 210 lakh tonnes is lying outside which is exposed to heat, rain, flood, insect, animal, rat, pilferage.

आप जो भी हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोज़ टेलीविज़न और अखबारों में देखने को मिलता है कि बोरियों के ढेर रुले पड़े हैं। जिनके बीच में जानवर और चूहे अपना पेट भर रहे हैं। जिस देश में 22 करोड़ आदमी भूखे सोते हैं। 25 लाख लोगों की मौत हमारे देश में भूख के कारण होती है। उधर यह सरकार दुगुना बफ़र स्टॉक होर्ड करके उन लोगों को भूखे मरने दे रही है और इस बात पर आपको हैरानी होगी कि इसी हाउस में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 319 लाख टन का जो बफ़र स्टॉक होता है, जिसको देश की सरकार बचाकर रखती है ताकि वह क्रॉप फेल्योर, फ्लड आ जाए, ड्राउट हो जाए या कोई नैचुरल कैलेमिटी हो जाए तो सरकार के पास इतना अन्न हो कि देश भूखा न मरे। लेकिन इसका दुगुना अनाज इन्होंने होर्ड कर दिया। आपको हैरानी होगी कि ये 300 लाख टन अतिरिक्त अनाज होर्ड कर रहे हैं। इनके मंत्री ने खुद बताया है कि होर्डिंग की कैरिंग कॉस्ट 27 करोड़ रूपए प्रति दिन है। यह खर्च एक्स्ट्रा होर्डिंग करने के लिए है। 335 लाख टन सरकार का एक्स्ट्रा बफर स्टॉक है। यह सरकार एक्स्ट्रा होर्डिंग करने के लिए 27 करोड़ के हिसाब से एक साल में 13 हजार करोड़ रूपए खर्च करती है। इस साल इस सरकार के पास 259 लाख टन अनाज जो पड़ा है, ये दोनों मिलाकर एक दिन का 27 करोड़ रूपए का हिसाब लगाकर पूरे 23000 करोड़ रूपए होते हैं। सरकार अन्न के स्टॉक होर्डिंग करने के लिए 23000 करोड़ रूपए खर्च कर रही है। आज 22 करोड़ आदमी रोज भूखे सो रहे हैं, एक साल में 25 लाख लोग भूख से मर रहे हैं और यह सरकार कह रही है कि स्टोरेज इम्प्रॉपर होने के कारण अन्न सड़ रहा है।

महोदय, यह सरकार की कौन-सी नीतियां हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि 23000 करोड़ रूपए आप होर्डिंग में बर्बाद कर रहे हैं और एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाने के लिए आप क्या खर्च कर रहे हैं? पिछले बजट में अतिरिक्त स्टोरेज बनाने के लिए 40 करोड़ रूपए स्वीकृत हुए और इस बजट में 87 करोड़ रूपए स्वीकृत हुए। कुल मिलाकर 127 करोड़ रूपए नए स्टोरेज बनाने के लिए और 23000 करोड़ रूपए फालतू का स्टॉक करने के लिए, होर्ड करने के लिए यह सरकार खर्च कर रही है।

मुझे समझ में नहीं आता कि इस सरकार की सोच क्या है? आप एक्स्ट्रा स्टॉक गरीबों में बांटे। जिन तीन राज्यों में बाढ़ आई है, जिन राज्यों के लोगों को आप पेट भरने के लिए पूरे दिन भर का बीस रूपए बाढ़ सहायता/बाढ़ राहत देते हैं, आज वहां सूखा पड़ा है, बाढ़ आया हुआ है, आप एक्स्ट्रा स्टॉक उन्हें बांटे और अपने गो-डाउन खाली करें। आप 23000 करोड़ रूपए बचाएं। मैं यह जवाब मांगना चाहती हूँ कि आप साइटिफिक स्टोरेज को क्रियेट क्यों नहीं करते हैं? आज हमारे राज्य पंजाब में 190 लाख टन से कम स्टोरेज है, 200 लाख टन अन्न भरा पड़ा है और पन्द्रह दिनों में 140 लाख टन चावल का और स्टॉक आ रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि यह 350 लाख टन अनाज हम कहां रखें, यह अन्न हम कहां रखें क्योंकि आपकी मूवमेंट हर साल सिर्फ 14-15 लाख टन प्रति महीने की हो रही है।

महोदय, पन्द्रह दिनों में जो यह चावल का स्टॉक आ रहा है, इसे उठाने के लिए और रखने के लिए आज हमारे पास जगह नहीं है। जब किसान अपने अनाज मंडियों में ले जाता है और हम उसे उठा नहीं पाते तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब ये किसान दुखी होंगे कि उनकी फसल उठायी नहीं जा रही है, जब वे दंगा करेंगे, नाराज़गी दिखाएंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं पूछना चाहती हूँ कि इस सरकार की नीतियां क्या है? एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग पैसा खर्च करके अन्न को सड़ा रहे हैं। तीसरी तरफ, किसानों को भी पूरा मूल्य नहीं दे रहे हैं। होर्डिंग करके बाज़ारों में कीमतें बढ़ा रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं और भूखमरी बढ़ा रहे हैं। मैं इस सरकार से जवाब चाहती हूँ कि जो हमारे चावल का 110 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक आ रहा है तो आप पन्द्रह दिनों में हमारे गोदाम खाली करके कितना लाख टन निकालेंगे ताकि मैं अपने किसानों को बता सकूँ कि हमारे पास जगह नहीं है, आप अपना अन्न मंडियों में ले जाने के बजाय दिल्ली ले जाकर सरकार के दरवाजे पर फेंकिए और फिर उनसे पूछिए कि इनका क्या किया जाए।

महोदय, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि मंत्री जी गोलमोल जवाब देने के बजाए मुझे ठोस जवाब दें कि अगले पन्द्रह दिनों में कितने मीट्रिक टन अन्न उठाकर हमारे गो-डाउन खाली करके हमें दिए जाएंगे?

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में ऐसी स्थिति निर्माण हुई है जिसके बारे में मंत्री महोदय इस सदन को जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि गो-डाउन में अनाज ज्यादा है और अनाज रखने के लिए भंडार नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। आज 107 लाख मीट्रिक टन अनाज सड़ रहे हैं और एक-तिहाई अनाज के खराब होने की संभावना है। यहां आज एक तरफ अनाज गो-डाउन में पड़ा है और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं।



महंगाई बढ़ी हुई है, लोग मार्केट से अनाज खरीद कर खा नहीं सकते हैं। इस समय गोडाउन में पड़ा हुआ अनाज मुफ्त या कम कीमतों में जनता को देने का निर्णय क्या सरकार करने वाली है? सन् 2009, 2010, 2011 और 2012, इन चार सालों में लगभग 20 परसेंट अनाज, विशेषतः पंजाब और हरियाणा में 25 परसेंट आज गोडाउन में नहीं है, वह बाहर भीग रहा है और सड़ रहा है। इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? क्या आने वाले भविष्य में एफसीआई और सरकार मिल कर यह तय करेगी कि जितना अनाज आ गया है, उसे गोडाउन में रखना है या उसके लिए कोई नये गोडाउन बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी? दूसरा मेरा कहना यह है कि हमारे गोडाउन पुराने हो गए हैं, इस कारण से वहां अनाज जल्दी खराब हो जाता है। तीन साल तक गोडाउन में अनाज सुरक्षित रहे, ऐसी यंत्रणा का निर्माण करने के लिए क्या सरकार प्रयास करेगी, यह महत्वपूर्ण सवाल है? यहां अनाज सड़ रहा है और लोगों को अनाज मिल नहीं रहा है, यह स्थिति गंभीर है, इसके बारे में सरकार जवाब दे।

DR. K.S. RAO (ELURU): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have heard the tone at which the hon. Member from Punjab has spoken. I support her. But if that were to be the tone at which a representative of the Punjab farmers should speak in Lok Sabha, our tone should be such where the top must go out. The reason is that the pathetic condition of the farmer in Andhra Pradesh cannot be explained. Andhra Pradesh is one State which is producing rice after West Bengal. The difference is that West Bengal is producing 155 lakhs and Andhra Pradesh is producing 145 lakhs. And the storage capacity that we have is so little that after purchasing the paddy from the farmers, they are putting it in the open area or in the elementary schools or in the community hall as there is no space available.

I am happy that we have got a good Minister who is very sensitive in this regard and immediately he has responded to it by allowing the private sector to construct the storage capacity of 151 lakh metric tonnes under public, private partnership. I am not jealous of Punjab. I always support farmers. The worry is that Andhra Pradesh is given permission for 5.56 lakh metric tones of godown capacity while Punjab has got permission for more than 70 lakhs. ... *(Interruptions)* I am supporting her. I am not opposing. Wherever the farmer is, he must be helped. I am in favour of that.

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बादल जी, आपने अभी जो बात कही है, राव जी, आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं।

... (*Interruptions*)

DR. K.S. RAO : For the last six months, we have been representing the Government, not only the Minister of Agriculture, but the hon. Minister Prof. K.V. Thomas, the Finance Minister and the Prime Minister. We have been telling them that the paddy got dis-coloured because of the unprecedented heavy rains. All that we want is that boiled rice must be permitted to be exported so that this discoloured rice also can be converted into para-boiled and exported. There is a demand for this outside the country. All of them were very sympathetic. They agreed to give permission for export. Six months have passed and almost all the paddy has gone out of the hands of the farmers. It has gone into the hands of the rice millers. Now about a forty days back, they have permitted ten lakh metric tonnes to be exported. Even there, the pathetic condition is that because of the handling by various Ministries, particularly in the Ministry of Commerce, the whole of ten lakh metric tonnes was not allowed to be exported. How pathetic! We are not able to give an answer to the farmers in Andhra Pradesh. The hon. Minister was kind enough to tell us that another 20 lakh metric tonnes of rice will be permitted to be exported. There was more than 50 lakh metric tonnes of rice lying with the rice millers and the farmers in Andhra Pradesh. What to do with that rice when there is no storage capacity? FCI will not purchase it and the millers will purchase it from the farmer only for Rs.200 less than the MSP. The net effect is that in this season the farmers of Andhra Pradesh have lost Rs.1500 crore. That is the reason why they committed suicides.

On the contrary, there are occasions when they transferred the wheat from Punjab to the godowns of Andhra Pradesh, where there is no consumption of wheat, only with a view to vacate the godowns in Punjab. We have not raised our voice as high as they have done. I think in this House the only solution is to raise the voice as much as one can and only then one will be able to get things done. ... *(Interruptions)* Sir, it is very unfortunate. I am only speaking from my heart.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please put your question.

DR. K.S. RAO : Another pathetic thing is that in the name of first-come-first-served, even that 10 lakh metric tonne was not given to any of the rice millers or traders or farmers in Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please put your question to the Minister.

DR. K.S. RAO : I am doing that, Sir. They have given it to traders who are not connected with the export of rice. And they are now trying to black-market it, charging from the farming community in Andhra Pradesh. What I would request the hon. Minister to do is to increase the capacity of the godowns in Andhra Pradesh from five lakh tonnes to at least 25 lakh tonnes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rao, please conclude.

DR. K.S. RAO : I would also request him to release further 20 lakh metric tonnes of export order under OGL, not first-come-first-served basis. The hon. Minister is a man of integrity, I know him. At least people like him. He must come forward, take the initiative and impress upon the Government of India and see that this 20 lakh tonnes as well as 10 lakh tonnes is permitted under OGL so that the farmers can be benefited; and also increase the capacity of godowns in Andhra Pradesh to 25 lakh tonnes.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Sir, in today's discussion some important points were raised by the hon. Members especially on issues in Punjab and Andhra Pradesh.

Punjab is one of the States which produce the largest quantity of food grains especially paddy and wheat. Andhra Pradesh produces large quantities of paddy. In the case of Punjab and Haryana we have taken special care when allotment of godowns was made. Apart from the new PEC scheme which we started two years back, Punjab has a total covered capacity of 70.88 lakh tonnes. It has a capped capacity of 10.65 lakh tonnes. The total is 81.53 lakh tonnes. As of now, the stock held – both in the covered and in the capped godowns – is 75.48 lakh tonnes. Compared to the previous years, we have taken special care so that more food grains, especially wheat go out of Punjab to the consuming States of Maharashtra and Gujarat.

I have got the data. In 2008-09, in Punjab, the procurement was 184.97 lakh tonnes. What has been moved out in 2008-09 was 119.28 lakh tonnes. In 2009-10, the procurement was 200 lakh tonnes, which is both wheat and rice together; and what has been moved out is 153.06 lakh tonnes. Compared to the previous years, this year, the procurement was more. It was to the tune of 188.43 lakh tonnes; and we have moved out 165.88 lakh tonnes.

But still, Punjab has to send out more food grains. But the present situation is that the States like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan also started producing more. So, we have to procure wheat from these States also and they also have to be stored. There is a lot of pressure from Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. We are trying to balance the situation. I understand the problem raised by the hon. Member. But compared to the previous years, we have moved out more wheat from Punjab. ... (*Interruptions*) I, myself, have discussed with the hon. Chief Minister and the hon. Food Minister and Agriculture Minister of Punjab. ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

PROF. K.V. THOMAS: I have sent a special team to Punjab. ... (*Interruptions*)

Sir, at least the hon. Members should give me time to express what is actually happening there. ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए।

... (*Interruptions*)

PROF. K.V. THOMAS: We have taken a very special care of Punjab. ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

PROF. K.V. THOMAS: The Punjab Chief Minister has met the hon. Prime Minister and the hon. Prime Minister has directed me. About two weeks back, I had a discussion with the officers and the Ministers of Punjab. We have to manage the entire country as a whole. Fortunately, the production has gone up. The MSP has gone up. This is not a small issue. Within five years, the MSP has been doubled; bonus has been given. That is one of the reasons why the procurement has gone up.

Hon. Members were telling about the buffer norms. There are no maximum buffer norms; there are only minimum buffer norms. This is again decided depending on the season and the availability on quarter to quarter basis – whether there is availability, the quantity that is to be procured; it also depends on how much we have to give to the States. So, the buffer norms depend on season to season and productivity. That is why, there are higher buffer norms. There have been seasons when buffer norms have come down; there have been seasons when buffer norms have gone up. This is one of the reasons.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मंत्री जी जवाब थोड़ी दे रहे हैं।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। उसके बाद आपको जो पूछना है, पूछ लीजिए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के अलावा किसी और माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

PROF. K.V. THOMAS: Hon. Members should be patient enough to hear me. I have listened to them patiently. I am discussing with the State Government, the Chief Minister of Punjab. Recently, five special teams were sent to Punjab to see the situation there. A senior officer of the level of Executive Director has been posted at Punjab. Even today we have no problem in accepting rice from Punjab. As on 1.7.2011 FCI had a vacant covered storage capacity of 8.1 lakh tonnes against which only 3.35 lakh tonnes has been delivered by the millers of Punjab. So, even today we have no problem in accepting rice from Punjab but I understand their problem with regard to wheat. Punjab wants that all the wheat produced should be moved out of Punjab but we have also to look at UP, Madhya Pradesh, Rajasthan and other States which have also started producing wheat. Sir, I assure the hon. Member that we will take all steps to see that no food grains rot in any State.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

PROF. K.V. THOMAS: With regard to damage to food grains, I wish to bring to the attention of the House that due to strong measures taken by the Government of India during the last five years the damage has come down. In 2005-06, in the case of FCI the damage was 95.075 tonnes which came down to 25,253 tonnes in 2006-07. Last year it was 6,137 tonnes.... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के अलावा किसी और माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

PROF. K.V. THOMAS: We should not be carried away by Media propaganda. I have got the data which I am placing before the House. The damage to Food grains in the FCI godown, which was 2.5 per cent five years back, has come down to 0.07 per cent. I am placing the data, which I have got, before the House and if we have any doubt we can verify it. What I am saying is we are taking all measures. All the FCI godowns are computerised and every day I get data with regard to the stock position of each of the godown.

Coming to the PEC scheme, we have decided 152.9 lakh tonnes to be created by 2013. Each State has been allocated godowns based on certain norms. For the procuring State, the norm is their three years procurement and for the consuming State the norm is their four months need of the PDS. My friend, Shri K.S. Rao has a genuine complaint because when we first allotted 70 lakh tonnes to Punjab it was on the basis of this norm. In Punjab the procurement is done by the Government agency and hence we have got the data. We, therefore, allotted them 70 lakh tonnes. In the case of Andhra Pradesh procurement of paddy is done by the millers and not by the Government. In Andhra Pradesh the direct procurement by the Government and the FCI is very small. I had a discussion with the Chief Minister of Andhra Pradesh, in the presence of Members of Parliament representing Andhra Pradesh, and we decided to increase the capacity of Andhra Pradesh....

DR. K.S. RAO : By at least 30 lakh tonnes.

PROF. K.V. THOMAS: I would not assure 30 lakh tonnes but adequate quantity will be given to Andhra Pradesh in two forms. Under the PEC Scheme, we will allot some quantity, out of 153 lakh tonnes which is with us, to Andhra Pradesh, as we allot to U.P. and Rajasthan.

A new Silo Scheme is coming up. The Cabinet and the eGoM have agreed to create 2 million tonnes of Silos in the country. We are formulating a scheme as to how much Silos should be for States like Punjab, Andhra Pradesh or for that matter for every State. The Planning Commission has formulated a scheme and

within a short period we will be able to implement it. Experiments are going on. For example, I was in Punjab and there I have seen Silos. It has been a success story. The Punjab Government has taken initiatives. We are discussing the situation about Punjab. We are in constant touch with the Punjab Government. I have attended four zonal meetings. Later, we called the producing and consuming States separately. We are in discussion with these States to find out the solution.

As regards rice, which will be produced in Punjab in the coming season, I can assure you that the FCI will be able to procure it and send it to the other parts of the country.

As far as Andhra Pradesh is concerned, it has got a genuine problem. There is excess production of rice. We are in discussion with the Government of Andhra Pradesh. The Chief Minister of Andhra Pradesh and my colleagues here have represented that some quantity of food grains should go out of Andhra Pradesh. So far, we are not allowing the export of either parboiled rice or the non-basmati rice. We are allowing only basmati rice. As some representations came from States like Andhra Pradesh, Punjab and Haryana, we have decided to allow export of 10 lakh tonnes of non-basmati rice. Unfortunately, it went into the legal battle. We are finding out what we can do.

DR. K.S. RAO (ELURU): What about the basmati rice?

PROF. K.V. THOMAS: I am talking about non-basmati rice, not basmati rice. It went into some legal battle. We are pressurizing the Ministry of Commerce to settle the things.

Then, there is another proposal, which has come from Punjab and Haryana that some quantity of wheat has to go out. We are examining the entire distribution. The country like India has two problems. One is we have to supply food grains to the States under the PDS. Fortunately, the off-take of the food grains in the PDS has gone to 95 per cent. Two years back, it was only 75 per cent. Now, the off-take in the States has gone up to 95 per cent in the Targeted Public Distribution System (TPDS). But there are 150 lakh tonnes, which we have

allocated to the States under a special scheme. We have given 50 lakh tonnes to the States as per direction of the Supreme Court. We had accepted the verdict of the Supreme Court. The Supreme Court desired to allocate 50 lakh tonnes to the 170 poorest districts. We have told the Supreme Court that 50 lakh tonnes is with you but till date only 4 lakh tonnes been lifted. So, we are already releasing 150 lakh tonnes to the States. This is the situation.

We are taking all precautions so that our farmers, who have given a good production, get a better price. All their products should be procured.

In the case of implementing the MSP, it is the duty of the State Governments to implement it. Fortunately, I visited a *mandi* in Punjab. There I found that farmers are getting MSP. I do not have any complaint about that. But when I went to Andhra Pradesh, there were complaints. I have discussed it with the State Government. For more storage, Rs.2000 crore has been earmarked under the NABARD. The States are free to make use of Rs.2000 crore and construct the godowns from the village level to the *taluka* level. So, I can assure the House that we will take all the steps to ensure that not even a single food grain is lost.

Coming back to further exports, the States have requested that some quantity of wheat should be exported and some more quantity of non-basmati rice should also be exported. This is before the EGoM and we will take a proper decision... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

(Placed in Library, See No. LT 5100/15/11)

14.35 hrs.

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(AMENDMENT) BILL, 2011 – contd.**

उपाध्यक्ष महोदय : आइटम नं0-9, श्री वीरेन्द्र कश्यप ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर पहले भी बोल चुके हैं, इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, सबसे पहले मुझे यहां से बोलने की इजाजत दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011 पर जब चर्चा हो रही थी, तो वह बीच में रोक दी गई थी। उसे मैं अब कंटीन्यू करते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हम जो गरीबों और अमीरों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को पहले बराबर करना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के अमीर बच्चों, गरीब बच्चों, शहरों या गांवों में पढ़ते हैं, सबके लिए एक समान एजुकेशन सिस्टम चाहिए और सबको एक जैसी शिक्षा मिले। इस कम्पिटीशन के युग में जब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान ठीक होना चाहिए। वह तब ही हो सकता है जब हमारे पास अच्छे और वैल क्वालिफाइड टीचर्स हों।

सन् 1964 में एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट में एक अच्छी बात यह थी, जिसमें यह कहा गया था। *Destiny of India is now being shaped in her class rooms.* यानि हमारे देश का भविष्य क्लास रूम में बनेगा। उस समय 1964 में हमारे शिक्षा निर्माताओं ने कल्पना की थी, उन्होंने यह सपना देखा था, जो आज भी हम देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हमारी शिक्षा का प्रसार हुआ है और स्कूल्स की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन एजुकेशन के प्रसार को मद्देनज़र रखते हुए हम देख रहे हैं कि जहां हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है, वहीं हमारे पास बच्चों को बैठने के लिए क्लास रूम नहीं हैं। अगर क्लास रूम हैं तो टाट पट्टी नहीं है। अगर टाट पट्टी है तो वहां पर टीचर्स नहीं हैं। अगर टीचर्स हैं तो वे शिक्षित नहीं हैं, ट्रेड नहीं हैं। नेशनल कौंसिल फार टीचर एजुकेशन बिल में जो यह संशोधन लाया गया है, उसके माध्यम से मैं समझता हूं कि इन बातों पर गौर किया जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे अध्यापक हों। *A teacher should remember that he is watched not only by students but by all stakeholders. His private life also counts a lot in making him effective. If his private life is not worthy of*

gentleman and in consonance with the moral values, he can hardly be an effective teacher. मैं यह कहना चाहता हूँ कि अच्छा अध्यापक, if we want to produce a good teacher, जिसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर रहे, जो कल के नागरिक हैं और देश का भविष्य हैं और यह बात योग्य टीचर के माध्यम से बेहतर हो सकता है। इसलिए टीचिंग को हम प्रोफेशन तक ही सीमित न रखें। It should not be a profession only. It is a vocation, a calling, and a mission. The most admired teachers are not those who fill up the empty mind but those who stimulate thinking, inspire and ignite a spark of learning. यानि बच्चों में एक ऐसी भावना भरें ताकि उस टीचर की मोरल वैल्यू को देखते हुए, उसके मोराल को देखते हुए, जिसे हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं बच्चों का, उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारी जो रिक्रूटमेंट पालिसी है, वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। आज हमने कांट्रैक्ट पर टीचर्स को रखना शुरू कर दिया है। कहीं पर विद्या पाठक रखे गए हैं, कहीं कहा गया कि विद्यार्थी मित्र हैं और कहीं पर पैरा-टीचर्स हैं। इस प्रकार से उन टीचर्स के लिए जो वैल क्वालिफाइड हैं, उन्हें लो पे दे रहे हैं और जो इतने शिक्षित नहीं हैं, जेवीटी हैं, उन्हें गांवों में 20-25,000 रुपए तक मिल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कई जगह पर प्रॉक्सी टीचर्स की बात हो रही है। हमारे दूर-दराज के देहाती क्षेत्रों में, जो ट्राइबल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर प्रॉक्सी टीचर्स हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो टीचर 20-25,000 रुपया ले रहा है, वह पांच-छः हजार रुपए में अपनी जगह किसी को भेज देता है और खुद अन्य जगह कोई दूसरा काम करके अपना धंधा चला रहा है। यह बात हमें देखने को मिली है। इसका सीधा-सीधा नुकसान देश में रहने वाले उन 70 प्रतिशत देहात के बच्चों का हो रहा है, जो दलित परिवार के हैं, ट्राइबल्स हैं।

बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर प्रॉक्सी-टीचर्स काम कर रहे हैं। प्रॉक्सी टीचर का मतलब है कि जो टीचर 20-25 हजार रुपया महीना ले रहा है वह 5-6 हजार रुपये महीने में वहां पर किसी और को अपनी जगह पढ़ाने के लिए लगा देता है और खुद अपना दूसरा धंधा चलाता है। इसका सीधा असर हमारे बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। हमारे 70 प्रतिशत बच्चे देहातों में रहते हैं, जो दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, उन्हें हम ठीक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे टीचर्स अच्छे हों, उनका प्रशिक्षण अच्छा हो। ... (व्यवधान)

हिंदुस्तान में आज 7.72 लाख टीचर्स अप्रशिक्षित हैं, उनमें 5.47 लाख मिडिल और 2.25 लाख प्राइमरी

टीचर्स हैं। अगर हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित टीचर्स हैं तो वे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? यह सोचने वाली बात है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी जो प्राइम-मिनिस्टर एडवाइजरी पैनल की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सी बातें रखी गयीं। आप लोगों ने यह निर्णय बहुत अच्छा लिया, जिसमें आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए टीचिंग को अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि *we need to give teachers a position of honour in society from where each teacher themselves can open and encourage a creative and questioning attitude.* इसमें आपका निर्णय आया है कि आप 15 लाख ग्रेजुएट साइंटिस्ट, 3 लाख पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट और 30 हजार पीएचडीज साइंटिस्ट वर्ष 2025 तक लाना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। इसे आप बेहतर तरीके से करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि साइंस टीचर्स और साइंटिस्टों की जो कमी है वह पूरी हो सकेगी।...(व्यवधान)

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। आपने वर्ष 1985 में जवाहर नवोदय विद्यालय देश के हर जिले में खोले। वहां हमें जाने का मौका मिला, वहां हमें टीचर्स घेर लेते हैं और कहते हैं कि 1.1.2004 से पहले जिन लोगों ने अपाइंटमेंट स्कीम ली, उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें पेंशन दीजिए। जिन लोगों ने वर्ष 1985 में सेंट्रल स्कूल में ...(व्यवधान) सर, मैं एक मिनट और चाहता हूँ। सर, मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय के टीचर्स की समस्याओं को सरकार हल करे।

आप जो एनसीटीई में अमेंडमेंट्स लाए हैं बिल्कुल सही अमेंडमेंट्स हैं और इन अमेंडमेंट्स के लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एनसीटीई की जो एक्टिविटीज हैं, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसमें आप पारदर्शिता लाएं। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि यहां पर बहुत बंगलिंग होती है। एनसीटीई के बहुत से केसेज जब हमारे प्रदेश से यहां आते हैं तो उन्हें लटकाया जाता है, कई-कई साल तक लटकाया जाता है और यहां जो लोग बैठे हैं वे उसमें कुछ-न-कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए। एनसीटीई अगर बेहतर तरीके से काम करेगी तो हमारी शिक्षा में अच्छा सुधार होगा और अच्छे टीचर्स हमें मिल पाएंगे।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए अमेंडमेंट बिल नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, जो कि राज्य सभा द्वारा पारित हुआ है, इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज के संदर्भ में जबकि हम एक नए विश्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में जब एक ज्ञान आधारित समाज हम बनाना चाहते हैं, तो ज्ञान आधारित समाज तभी बनेगा, जबकि हमारे नौजवानों की शिक्षा की नींव मजबूत हो। इसके लिए आपने अध्यापकों के शिक्षण परिषद के बारे में बात कही, इसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहती हूं कि बहुत समय तक "टीचर ट्रेनिंग" शब्द का प्रयोग होता था और जो "प्रशिक्षण" शब्द है, उससे कई बार ऐसा लगता है कि यह रोजमर्रा के कामकाज को ले कर एक तरह के स्किल के प्रशिक्षण की बात हो रही है। आपने एक कदम आगे बढ़ कर एजुकेशन की बात कही, इससे लगता है कि न केवल रोजमर्रा के कामकाज में बल्कि एक तरह से पूरे शिक्षण क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ोतरी के लिए और गुणात्मक शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। इसके साथ मैं यह भी जोड़ना चाहती हूं कि क्या यह अच्छा होता, अगर हम टीचर लर्निंग की बात करते। जैसा एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि *The only thing which interferes with my learning is education.* क्योंकि लगातार जब हम अपने दिमाग को खुला रखते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि वह शिक्षा जो हमें छोटे दायरे में बांधती है, उससे नुकसान होता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा एनसीटीई का काम वर्ष 1993 से चल रहा था और जैसा कि उस दिन मंत्री जी ने कहा कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश वर्सिस उपेन्द्र राय एंड अदर्स के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उसके बाद यह बेहद जरूरी था कि हम इस तरह का संशोधन विधेयक पेश करें और पुनः परिभाषित करें कि जो नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन है, उसकी भूमिका क्या होगी और किस तरह से हम उसके काम को आगे ले कर जाएंगे।

मैंने इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी की रिक्मेंडेशन्स का भी अध्ययन किया और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हालांकि मंत्री जी ने उस दिन बहुत विस्तार से बताया कि इन्होंने विभिन्न तरह के जितने भी स्कूल हैं, उनको अपने इस एक्ट में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बिल में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। उन्होंने उस दिन एडेड स्कूल, अन एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल आदि सब तरह के स्कूल का अपने उद्बोधन का उल्लेख किया था। यह बेहतर होता कि जो परिभाषाओं की सूची है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग चीजों को परिभाषित किया है, वहां अगर इसे स्थान मिलता तो यह और अच्छा होता, लेकिन इसके बावजूद भी आपने काफी हद तक कि स्कूल से आपके क्या मायने हैं और आप किन चीजों

को इसमें जोड़ना चाहते हैं, आपने इसमें स्पष्ट किया है। हमारा जो पुराना कानून था, उसका जो सैक्शन 12 (डी) है और उसके बाद सैक्शन 32 (डी-1) है, उसे अब आपने नए ढंग से जो परिभाषित किया है, उसमें अब वह सैक्शन 12 (ए) और 32-2 (डी डी) क्लॉज़ में आया है। आपने उसमें न्यूनतम अहर्ताएं और योग्यताएं क्या होंगी और स्पष्टतः आप किसी शिक्षक से क्या योग्यता चाहते हैं, इसे आपने चिह्नित किया है। मेरा आपसे इसमें विशेषतः दो चीजों का अनुरोध है। एक - जब से राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्प्लेसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आप ले कर आए हैं, उसके सैक्शन 23 में आपने यह प्रावधान दिया है कि जो मौजूदा शिक्षक हैं, जाहिर है कि उनमें से बहुत सारे होंगे, जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होगा, जो कि आपके एनसीटीई के नार्मस के मुताबिक होना चाहिए, तो आरटीई के अंतर्गत आपने सैक्शन 23 में प्रावधान किया है और पांच साल की अवधि निश्चित की है कि जिसके अंतर्गत वह अपने आपको दोबारा शिक्षित कर ले, प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। लेकिन इस बिल में एनसीटीई का जो संशोधन आप ले कर आ रहे हैं, उसके लिए आपने कोई अवधि निर्धारित नहीं की है। इस बात का मैं स्वागत करती हूँ। जो वर्तमान में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको अगर आप बिना किसी तरह का समय दिये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अगर आप उस काम को आगे बढ़ाते तो यह संभव नहीं था लेकिन मेरा अनुरोध है कि दोनों के बीच में कोई कांटेडिक्शन नहीं हो, इसलिए इसको देखते हुए दोनों अपने आप में कामप्लीमेंट करें, जैसा कि आपने स्थायी समिति की रिकमेंडेशन के जवाब में भी दिया है, तो मेरा अनुरोध होगा कि अगर हम उसके लिए एक समय सीमा तय कर लें और अध्यापकों के शिक्षण के लिए और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ने के लिए हम उन्हें तैयार करें तो यह बेहतर होगा। यह मेरा पहला सुझाव है।

मेरा इस संबंध में दूसरा सुझाव है कि यह जो अध्यापकों का शिक्षण कार्य जिन संस्थानों में होगा, उनमें जो अध्यापक ये कार्य सम्पादित करेंगे, उनकी क्या न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए, ये इसमें कहीं पर निश्चित नहीं किया गया है, जिसके बारे में भी मेरा अनुरोध है कि एक स्पष्ट विचारधारा तय कर लेनी चाहिए। तीसरा मेरा अनुरोध है चूंकि शिक्षण का जो कार्य है, वह हमारे समवर्ती सूची का काम है और आपको राज्यों को विश्वास में लेकर ही इसका क्रियान्वयन करना होता है और हम सबने देखा है कि शिक्षा के अधिकार कानून में जिन जिन राज्यों का सहयोगात्मक रुख रहा है, उन राज्यों में बेहतर काम हुआ और जिन राज्यों का सहयोगात्मक रुख नहीं रहा, वहां पर वैसा कार्य नहीं हो पाया। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर नियम भी नहीं बन पाए। इसलि मेरा अनुरोध है कि इसमें मैंने यह भी देखा कि बहुत सारे राज्य हैं जिनमें असम से लेकर पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है, इन सबमें आज शिक्षित अध्यापकों की बेहद कमी है और कुल मिलाकर जितने शिक्षकों की आवश्यकता है, उनकी भी कमी है। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हम पूरे देश में यूनिफॉर्मली

गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जरूरी होगा कि हम सारी राज्य सरकारों के साथ बैठकर इसके लिए अपनी ओर से भी प्रयास करें। मैं यहां यह भी कहना चाहती हूँ कि यूनेस्को ने 1996 में एक स्टडी की और उसके बाद कहा कि

“Teaching should be regarded as a profession. It is a form of public service which requires teachers’ expert knowledge and specialised skills, acquired and maintained through rigorous and continuing study.”

यानी उन्होंने यह माना कि जो शिक्षण का काम है, उसको सतत करते रहने की आवश्यकता है और यूरोपियन यूनियन ने भी हाल ही में अध्यापकों के शिक्षण को लेकर एक अध्ययन किया और उनका निचोड़ भी यही निकलकर आया कि लगातार उसमें अध्ययन और अध्यापन का सिलसिला जारी रहेगा तब जाकर बेहतर शिक्षण व्यवस्था होगी। ऐसा देखने में आया है और मेरे पूर्व वक्ता ने भी इसका जिक्र किया कि हम यह पाते हैं कि कई जगहों पर शिक्षण का कार्य उस तरह से नहीं हो पाता।

यह देखने में मिलता है कि कई स्कूल्स में क्योंकि स्कूल्स और अध्यापक सीधे सीधे विचारधारा के वाहक होते हैं और कई बार यह महसूस किया जाता है कि हमारे जो शिक्षणगण हैं, वे समझ की बजाए याददाश्त पर ज्यादा बल देते हैं और समझ की बजाए यदि याददाश्त पर ज्यादा बल शिक्षण व्यवस्था में होगा तो उस पीढ़ी का निर्माण नहीं कर पाएंगे जो फक्र के साथ कह सके कि हमने किस चीज का अनुसंधान किया, किस चीज का अन्वेषण किया। फिर वो मनोज कुमार जी की प्रसिद्ध पिकचर का गाना है, “जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई” उसकी बजाए आज की श्री ईडिएट्स फिल्म में गाना आया “कंप्यूजन ही कंप्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।” ऐसे एक वातावरण का निर्माण होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विद्यार्थियों को क्या सोचें यह नहीं सिखाएं बल्कि कैसे सोचें, यह सिखाएं। ऐसे अध्यापकों की हमें जरूरत है।

अंत में, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि जैसे मेरे अध्यापक गण हैं, वे विचारधारा के वाहक हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब हैं, उन्होंने अपने खुद के बचपन के किस्से का अपनी किताब अग्निपंख में जिक्र किया जबकि उन्होंने महसूस किया कि एक विशेष अध्यापक जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझती, उनकी ओर से जब भी शिक्षा का कार्य सम्पादित होता था, तब वो कहीं न कहीं बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता था और गैर बराबरी पनपती थी।

ऐसे में जरूरी है कि लगातार समाज, धर्म और जाति के भेदभाव को अलग हटाकर शिक्षकों को शिक्षित करने की सुविधा मिले, ऐसा वातावरण बने जिसमें सभी छात्रों को एक नजर से देखा जाए, बैक बेंचर्स को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे आगे बढ़कर देश के नवनिर्माण में साथ दे सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर पीछे भी व्यवधान की वजह से बहस नहीं हो पाई थी और आज जल्दबाजी में इसे पास किया जा रहा है। यह बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, इसमें माननीय सदस्यों के विचार आ जाते तो अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी को ही पांच मिनट का समय दिया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में 10,31,000 शिक्षकों की जरूरत है। मैं इस बिल में विस्तार से देख रहा था कि म्युनिसिपल बोर्ड और जिला पंचायत द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालयों का समावेश किया है। जहां तक रेश्यो की बात है, एक कक्ष में 25-30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक होना चाहिए। यह हमारा मानक है लेकिन आज बैलेंस नहीं है। यहां तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं कि एक क्लास में 40, 50 या 60 बच्चे बैठते हैं और अध्यापकों की कमी है। जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां अध्यापक नहीं हैं और जहां अध्यापक ज्यादा हैं वहां बच्चे कम हैं। इस बैलेंस को देखना पड़ेगा।

14.57 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

महोदय, एक अच्छा स्वच्छ वातावरण बनाना होगा। हमें विशेष तौर पर प्राइमरी विद्यालयों की तरफ ध्यान देना होगा। अच्छा वातावरण इसलिए बनाना होगा क्योंकि बहुत से विद्यालयों में पेड़ के नीचे या मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहां धूल भी उड़ रही होती है और गंदगी भी होती है। कई प्राइमरी विद्यालयों में गाय भेंस घूमती हैं क्योंकि बाउंड्री नहीं होती है। हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना होगा, बाउंड्री बहुत आवश्यक है। इसकी व्यवस्था करनी होगी। वहां बाथरूम नहीं है, अगर बने हैं तो हालत बहुत खराब है। अतिरिक्त भवनों और कक्षों की जरूरत है जो अब तक नहीं बन पाए हैं। हम शिक्षकों की बात कहते हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। हम चाहते हैं कि योग्य शिक्षक आए। पहले शिक्षकों का सम्मान होता था। समाज में शिक्षकों को आदरपूर्ण तरीके से देखा जाता था। लेकिन आज क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार शिक्षकों के सम्मान की तरफ विशेष ध्यान

दे। बच्चों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बैठने के लिए घरों से खाद की प्लास्टिक की बोरियां ले जाते हैं क्योंकि टाट पट्टी नहीं होती है। बच्चों के लिए प्रापर यूनिफार्म की व्यवस्था करानी चाहिए। कुछ राज्यों ने व्यवस्था की है। जिस प्रकार केंद्र सरकार मिड-डे-मील योजना चला रही है उसी प्रकार से यूनिफार्म भी मुहैया करानी चाहिए, एक वातावरण बनाना चाहिए।

योग्य शिक्षकों की बात कही गई है। इनमें बीएड, बीटीसी है और विशिष्ट बीटीसी की व्यवस्था की गई है।

15.00 hrs.

एलटी के भी हमारे तमाम अध्यापक हैं, जो बड़े योग्य और शिक्षित हैं। लेकिन उनके प्रशिक्षण के बारे में आपने जो कहा कि वे पढ़-लिखकर आते हैं एक से लेकर बीए, एमए तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद बीटीसी, एलटी, विशिष्ट बीटीसी की अलग परीक्षा देते हैं और यदि उसके बाद आप उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें चयनित करें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। आप उनकी दोबारा परीक्षा न लें।

महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है। आज भी हम लोग जब वहां जाते हैं तो शिक्षामित्र ही एक ऐसा अध्यापक होता है, जिसे मानदेय पर रखा गया है। उसे हम पूरा वेतन भी नहीं देते हैं, केवल मानदेय देते हैं। लेकिन पूरे स्कूल का वातावरण, पूरी शिक्षा की व्यवस्था केवल उसी पर डिपैन्ड करती है और जो वहां रेगुलर अध्यापक होते हैं, वे थोड़ा उससे विरक्त रहते हैं, वे कहीं न कहीं चले जाते हैं तथा स्कूल को शिक्षामित्रों को भरोसे छोड़ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां जो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है, वह उसे रेगुलर करे, ताकि उन्हें भी सही तरह से मौका मिले। ये लोग रेगुलर अध्यापकों से ज्यादा मेहनत करके पढ़ाते हैं। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि इन शिक्षामित्रों को रेगुलर किया जाए।

महोदय, हम विदेशी शिक्षा की नकल की बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उस परिसर में प्रोपर वे में शिक्षा का माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे बच्चे घरों में पढ़ते हैं तो वहां शिक्षा का एक माहौल होता है, उस प्रकार का वातावरण हमें प्राइमरी पाठशालाओं में देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा हो, उसमें प्राइमरी शिक्षा पर हमें ठोस ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि इन्हीं बच्चों के कंधों पर हमारे देश का भविष्य है। इनके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी शिक्षा में कोई कमी न आये और प्राइमरी स्तर से हमारी यह देखने की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे छात्रों का ध्यान किस रोजगार, किस ट्रेड की तरफ

है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा को रोजगारपरक होना चाहिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिए।

अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहूँगा, चूंकि समय बहुत कम है और इस बिल को पास भी करना है। इसलिए मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। 12 फरवरी, 2008 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जिसमें टैक्निकल टीचर्स को ही टीचर्स माना है, इसलिए इसमें अमैन्डमेंट आवश्यक है। इस अमैन्डमेंट का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यह है कि जो टीचर्स हैं, अगर टीचर्स में ही टीचर्स की काबलियत नहीं है तो वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, आज सवाल इस बात का है। सैक्शन 12(ए) में टीचर्स का स्टैंडर्ड का रूल फॉर कैटेगरी लेड आउट है। अखबारों में छपा है कि इस समय 14 लाख 60 हजार टीचर्स की आवश्यकता है। लेकिन टीचर्स कोई फैक्टरी नहीं है या कोई अनाज और फूड ग्रेन नहीं है कि यूरिया डाल दो और प्रोडक्शन बढ़ा दो। यदि टीचर्स ही ट्रेन्ड नहीं हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी?

अब आप उनकी हालत को देखिए। पहले आप यह देखें कि इनकी इंस्पैक्शन फीस चालीस हजार रुपये है। यूनिवर्सिटी में उस स्कूल को चालीस हजार रुपये जमा करने पड़ते हैं, ताकि इंस्पैक्शन टीम आये और चालीस हजार रुपये जमा करने के बाद, माननीय एचआरडी मिनिस्टर को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि वह बहुत हायर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, हार्वर्ड के स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देता हूँ... (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं बताना चाहता हूँ कि आज बी.एड. की परमीशन लेने में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है और भ्रष्टाचार के बाद यदि किसी कालेज को कोई बीएड की परमीशन मिलती है तो आप उसकी प्रोडक्ट के बारे में सोच लीजिए। यदि यह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो फिर कैसे होगा। ... (व्यवधान)

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सैन्टर बंद कर दिया... (व्यवधान) सैन्टर के रीजनल ऑफिसेज चल रहे हैं। जहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, वहां बंद हो गया, लेकिन अब यहां फैल गया है। इसके अलावा जब भ्रष्टाचार है तो इनके स्टैंडर्डिजेशन जैसे डा.के.सी.पांडे कमेटी की रिपोर्ट में कल रात को देख रहा था। उन्होंने कहा था कि इनकी भी पॉइन्ट्स रेटिंग होनी चाहिए। कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए किसी जिले में 50 कालेजों को बी.एड. की अनुमति दी है लेकिन कोई चेकिंग नहीं होती कि यहां कैसी पढ़ाई हो रही है, कौन टीचर पढ़ा रहा है और क्या हो रहा है। सिर्फ आप उनसे व्यवसायिक संबंध रख लीजिए तो आप उनको नकल करा कर किसी तरह से टीचर्स को प्रोटक्शन दे रहे हैं। अगर व्यापारिक काम ही है तो वह शिक्षा नहीं हो सकती है।



दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल से ही शिक्षा की नींव डाली जाती है। मैंने माननीय एचआरडी मिनिस्टर को सुना कि हायर एजुकेशन हॉरवर्ड यूनिवर्सिटी से इम्पोर्ट करो। लेकिन आज आठवीं का बच्चा हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है। वह एक पेज की दरखास्त नहीं लिख पाता है तो आगे चल कर क्या होगा। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सर्व शिक्षा अभियान की नींव एकदम गलत साबित होगी और सब अनपढ़ लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे। मेरा कहना यह है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिंग सिस्टम, वह टीचर्स पर भी लागू होना चाहिए। एक बार किसी ने सन् 1940 में या सन् 1980 में कुछ पढ़ लिया, उसके बाद उसका ज्ञान बढ़ाने का या उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स का कोई प्रोविज़न नहीं है। ...(व्यवधान) इसे एनसीटी कर सकती है, या जो बिल बनाते हैं वे करें। डॉ. के.सी. पाण्डेय जी की रिपोर्ट में भी कहा है कि रेटिंग सिस्टम इन एजुकेशन, बी.एड. कक्षाओं में होना चाहिए।

आज इसमें भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है कि अब क्या हो रहा है एडहॉक टीचर्स, शिक्षा मित्र टीचर्स, कांट्रेक्ट टीचर्स आदि जितने किस्म के भ्रष्टाचार के पॉसिबल एवेन्यूज हैं, वे सब चल रहे हैं। छठे वेतन आयोग के बाद प्राइमरी शिक्षकों की सेलरी 18000 रुपये हो गई है। इसमें 25 से 35 प्रतिशत टीचर्स को यह मालूम नहीं कि वह पोस्ट किसी दूसरी जगह में है, और वे कांट्रेक्ट में काम करा रहे हैं। उस कांट्रेक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि लोगों की नेक्सस है और पढ़ाई हो रही है। इसकी चेकिंग होनी चाहिए।

जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार किताबें वितरण करती है, बच्चों को इन्फिरीऑरिटी काम्प्लैक्स न हो इसके लिए उनको ड्रेस देती है, जिसमें यूनिफार्मिटी है। उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा में खासकर प्राइमरी एजुकेशन, उसके ऊपर अपर प्राइमरी एजुकेशन में पूरी तरह से सहयोग कर रही है। लेकिन उसकी बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए, इसके बहुत नियम बनने चाहिए। *It is not only the quantity, but quality matters.* इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का पुनः समर्थन करता हूँ।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् संशोधन विधेयक-2010 जिसे माननीय मंत्री जी ने कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया है, उस पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका अभार प्रकट करती हूँ।

महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वे इस विधेयक में बहुत ही अच्छा संशोधन लेकर आए हैं।

महोदय, आदिकाल से शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की नींव रखते आये हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सचमुच में ऐसे शिक्षक तैयार होंगे, जिनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत होगी।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पहले के नियम के अनुसार 1995 से सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय इस सन्दर्भ में 2008 में आया, तब तक सब कुछ उसी रूप से चल रहा था।

महोदय, मेरी समझ है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पूर्व भी हमारे देश के सभी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी थी। सिर्फ कानून बना देने से, सिर्फ कानून में संशोधन कर देने से स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सकता। महोदय, कानून को लागू करने के लिए सरकार की नीयत और नीति की जरूरत पड़ती है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। हमारे देश में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून है। परन्तु सच्चाई क्या है- क्या हम सभी को शिक्षा दे पा रहे हैं, क्या हम सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे पा रहे हैं? महोदय, मैंने इन बातों का जिक्र इसलिए किया है कि यह संशोधन विधेयक बहुत ही अच्छा है, पर इस पर अमल किया जाये, यह बहुत ज्यादा जरूरी है।

महोदय, आज भी हमारे देश में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था है। शहरों के लिए अलग शिक्षा, गांवों के लिए अलग शिक्षा, अमीर के लिए शिक्षा की अलग नीति है और गरीब के लिए अलग। महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसी शिक्षा नीति बने, जिससे अमीर-गरीब, गांव-शहर सभी के बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिले।

महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की बेहद कमी है। वहां एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त मात्र 57 शिक्षण संस्थान हैं, जिनसे प्रतिवर्ष मात्र 5500 शिक्षक

तैयार हो पाते हैं। मंत्री जी इससे सहमत होंगे कि दस करोड़ की आबादी के लिये यह संख्या बहुत ही कम है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से मांग है कि बिहार में बी.एड. संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाये, साथ ही साथ बिहार के मानव संसाधन विकास विभाग ने बिहार के सभी 245 अंगीभूत महाविद्यालयों में बी.एड. की पढ़ाई शुरू करने की जो अनुमति मांगी है, उसे स्वीकार किया जाये ताकि बिहार में भी प्रशिक्षित शिक्षक तैयार किये जा सकें।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me permission to speak on this Bill. The Bill seeks mainly to set standards of teacher education and teacher qualification in all categories of schools based on the Supreme Court Judgement dated 12 February 2008.

Sir, I rise to oppose the Bill because education is in the Concurrent List and NCTE is embarking in an area which is beyond its scope of legislation and also in conflict with the legislation of the State, particularly, the Seventy-Third Amendment gives powers to the Panchayats and they are encroaching upon their powers. So, the Centre should have consultation with the States before such amendment.

Secondly, what is our experience of the teachers' training? My experience is that in West Bengal, this NCTE created a lot of problems, particularly, endangering the future of thousands of students. I was the Chairman of a School Board and I was also a teacher. So, I have the personal experience of how they are imposing conditions after conditions. So, I would request the hon. Minister of Human Resource Development to regularize and give recognition to all those candidates who have completed the teachers' training prior to 2009, implementation of the RTE Act. At the same time, what is our experience? NCTE is taking much bribe while making inspections. They have given recognition to such private institutions which have no infrastructure, nor even qualified teaching faculty. The HRD Ministry enquiry has also found out the same; they have referred to Northern Regional Centre of NCTE. That is why the HRD Ministry has superseded the NCTE for six months now. But my request is that let there be no NCTE. All the teacher education should be vested with the universities. Universities are competent enough to do that kind of job. So universities should be given that task. There should be no need of NCTE.

Another thing is about teachers' training. There is no doubt that it is very important because Kothari Commission in its findings says: "The destiny of India is now being shaped in her classrooms." That is why, classroom management,

classroom climate, and classroom situation are very important. For that, teachers' training is also very important. But there are a number of untrained teachers all over the country. So, a time-frame should be given to them. But, for that, what the Government is doing is that it is encouraging the private education providers, private players to open various training colleges. What they are doing? They are flouting all the norms. Their purpose is to earn profit out of it. They are making education a kind of commodity and a degree-giving thing. That is why, there should be some limit to that. There should be some control over the private institutions. They are not even observing the reservation policy while appointing teachers. They are not paying proper salary to the teachers in the private institutions. So, there should be some control over them. They are getting a huge amount as tuition fee and as capitation fee. That should be limited.

Another important thing is teacher pupil ratio. That is very important. For that, a uniform norm should be made and merit should be the only criterion. If teachers are not qualified, equipped with the knowledge of their subjects, they must not be appointed. In West Bengal, there is School Service Commission for appointing teachers. That kind of Service Commission should be there.

Another important thing is absenteeism of the teachers. That should be looked into. In this connection, I would request the hon. Minister that teachers should not be vested with non-academic works. Even in the RTE, it is told that teacher should be engaged in voters' list revision or in census works. Why? If they do so, that will hamper the teaching, learning process.

Another important thing to be looked into is this. To attract the best students to teaching profession, proper salary should be given and benefits and facilities should be given. That is mainly the job of the States. But the Centre should also form a model code of conduct particularly for the private institutions. What about the para-teachers and the contract teachers? They are not given proper training. The training should be given to them.


My last point is that teacher education is a continuous process and its pre-service and in-service components are inseparable. There has been a linkage between the theory and practice. Hence, the present D.Ed. and B.Ed. syllabus need restructuring, upgrading and updating to meet the quality requirements for education both in the primary and secondary levels. A committee of experts from NCERT, SCERT, and DIET should go into this exercise to design the need-based syllabus and courses of study.

MR. CHAIRMAN : Shri Mahtab. Take just three minutes. You are the last speaker. All others, who would like to speak, may kindly give their speeches to the Minister so that he can react later.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, the purpose of regulating the teacher education system is to ensure quality of teachers in the education system. In view of the Supreme Court's judgement in the case of Basic Education Board, Uttar Pradesh *versus* Upendra Rai and others of 2001, the minimum qualification for appointment of teachers in schools laid down by the Council has become redundant. Therefore, this amendment has come to clarify that the Act applies to schools, school teachers and the minimum qualification for appointment of school teachers, so as to have uniform standards of teaching in schools in the country.

Education being in the Concurrent List, the issue of consultation with the State Government on the proposed amendment in the Act was necessary which the Minister has done. But the main question here, for which the West Bengal Government had gone to the Court, is this. Are you going to prepare a model or are you going to enforce a set of rules? That is the main question which needs to be deliberated.

As I was going through the amendments that were sought in the Rajya Sabha, the Government has already incorporated the definition of 'school' and some other issues which were there; the definition of 'school' and the definition of 'local authority' that have been mentioned. In Clause-D, the words 'in school or shall be' are omitted through these amendments. Another amendment that has been also put forth is the 'minimum qualification of a teacher' referred to in the first proviso shall be acquired within the period specified in this Act.

So, these are certain amendments which have been incorporated after deliberations in the Rajya Sabha. I would say that for the Lok Sabha, there is nothing much to add. 

The basic question is that lack of qualified teachers is a cause of concern. Not only in my State or in Southern States, it is a cause of concern throughout the country. Lack of quality teachers is another concern. Are you going to create or facilitate more number of Teacher Training Institutes? Are you going to

encourage the State Governments and private parties to establish more number of teacher Training Institutes?

What I find is that there is a shortage of around 1.2 million teachers at the elementary level. The shortage of teachers for class IX and class X is over two lakh. I would like to quote here:

“NCTE should not, therefore, confine itself to performing a regulatory role alone and needs to convert itself into a facilitator, developmental mentoring organisation”

These are not my words. These are the words of the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN : Please, pass on your remaining points to the hon. Minister. There is no time.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I understand it, Sir. The hon. Minister has also to reply. But, if this will be the method of transferring our views to the hon. Minister then there is no point of discussing it here in the House.

MR. CHAIRMAN: Most of the hon. Members have touched these points.

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, it is not a personal affair....
(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Sir.

I have certain suggestions to make. I have already given two suggestions. I would only say, as Meenakshiji has mentioned referring to the Right to Education Act – because I do not think any other hon. Member had mentioned about this issue – the Right to Education Act prescribes the norms of one teacher to every 30 students at the elementary level. You can calculate as to how many students are coming into these elementary schools and what the shortage of teachers is and which are the States where that shortage has occurred. Do such teachers are coming out of those institutes which are there to train our teachers? It is not.

Different State Governments are recruiting directly educated teachers to educate students and subsequently allowing them to take training.

I would only request the hon. Minister and the Government to look into this major aspect so that NCTE can serve the nation in a better way.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): First of all, I would like to thank the distinguished Members of this House.

जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन का समर्थन किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि चर्चा से साफ जाहिर है कि जो यह माननीय सदस्य ने कहा है, उनके टीचर अच्छे थे क्योंकि अगर उनके टीचर अच्छे नहीं होते तो वे अपनी भावनाओं को कैसे आपके सामने रख पाते? इसका मतलब यह है कि टीचर तो अच्छे हैं। हाँ, कुछ कमियाँ तो हैं। उन कमियों को हम पूरा करेंगे और जो सुझाव आपने दिए हैं, उनको हम सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): देश के बारह राज्यों में टीचर की कमी आप रखे हुए हैं। बारह राज्यों में शिक्षा नहीं हो रही है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, everything has been taken care of.

... (Interruptions)



MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 7 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

15.26 hrs.

**MOTION RE: TWENTY-FIRST REPORT OF COMMITTEE ON
PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**

MR. CHAIRMAN : Now, we take up item no. 11 – Shri Vijay Bahadur Singh.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): I beg to move:

“That this House do agree with the Twenty-first Report of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on 30 August, 2011.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do agree with the Twenty-first Report of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on 30 August, 2011.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up Private Members’ Legislative Business.

Bills for introduction. Item no. 12 – Shrimati Supriya Sule.

15.27 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

(i) GIRLS (FREE AND COMPULSORY) EDUCATION BILL, 2010*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free and compulsory education to every girl whose parents are living below poverty line.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for free and compulsory education to every girl whose parents are living below poverty line.”

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : I introduce** the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item no. 13. Shri D.V. Sadananda Gowda – not present.
Item no. 14 – Shri C.R. Patil.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

** Introduced with the Recommendation of the President

15.27½ hrs.

(ii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011*

(Insertion of new articles 21B, 21C and 21D)

श्री सी.आर.पाटिल (नवसारी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री सी.आर.पाटिल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

15.28 hrs.**(iii) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2011***
(Amendment of section 126)

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.”

The motion was adopted.

SHRI MANISH TEWARI : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item no. 16. Shri L. Rajagopal – not present.
Item no. 17. Shri L. Rajagopal – not present.
Item no. 18 – Shri P.L. Punia.

15.28½ hrs.**(iv) MEGA PROJECTS (TIMELY COMPLETION) BILL, 2011***

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for timely completion of all mega projects and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for timely completion of all mega projects and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

15.29 hrs.**(v) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO
THE STATE OF GUJARAT BILL, 2011***

श्री सी.आर.पाटिल (नवसारी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालिकाओं के कल्याण के संवर्धन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और राज्य में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए गुजरात राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Gujarat for promoting the welfare of girl child, reduction of maternal and infant mortality rate and welfare of agricultural labourers in the State.”

The motion was adopted.

श्री सी.आर.पाटिल : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

15.29½ hrs.**(vi) ERADICATION OF MALNUTRITION BILL, 2011***

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of an Authority for supply of nutritious food to the neglected, homeless, street, physically and mentally challenged malnourished children and to the members of the families living below poverty line who cannot afford nutritious food and for matters connected therewith.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

** Introduced with the Recommendation of the President

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for setting up of an Authority for supply of nutritious food to the neglected, homeless, street, physically and mentally challenged malnourished children and to the members of the families living below poverty line who cannot afford nutritious food and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI BHAKTA CHARAN DAS : Sir, I introduce the Bill.

15.30 hrs.

(vii) SAFAI KARAMCHARIS INSURANCE SCHEME BILL, 2011*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for comprehensive and compulsory insurance of Safai Karamcharis against any mishap connected with their work, to give them economic protection, to safeguard their interests and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for comprehensive and compulsory insurance of Safai Karamcharis against any mishap connected with their work to give them economic protection, to safeguard their interests and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

15.30½ hrs.

**(viii) MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR
CITIZENS (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Substitution of new Chapter for Chapter IV)**

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.”

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.31 hrs.

**(xi) FARMERS (PROTECTION FROM NATURAL CALAMITIES
AND OTHER WELFARE MEASURES) BILL, 2011***

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों के संरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों तथा उससे संशक्त वियों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of farmers affected by natural calamities and for other welfare measures and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

MR. CHAIRMAN: Item No. 24 – Dr. Sanjeev Ganesh Naik: Not present
 Item No. 25 – Shrimati Bijoya Chakravarty: Not present
 Item No. 26 – Shri Mohan Jena

15.32 hrs.

**(x) PROTECTION OF CIVIL RIGHTS (AMENDMENT) BILL,
 2011*
 (Amendment of section 3, etc.)**

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Protection of Civil Rights Act, 1955.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Civil Rights Act, 1955.”

The motion was adopted.

SHRI MOHAN JENA : Sir, I introduce the Bill.

15.32½ hrs.

**(xi) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL, 2011*
 (Omission of section 28)**

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960,

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.”

The motion was adopted.

SHRI MOHAN JENA : Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

15.33 hrs.

**(xii) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Insertion of new section 376E)**

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.”

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN : Sir, I introduce the Bill.

15.33½ hrs.**(xiii) PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES AND PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) AMENDMENT BILL, 2011*
(Amendment of section 26, etc.)**

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Pensions with Disabilities (Equal Opportunities and Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Persons with Disabilities (Equal Opportunities and Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.”

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN : Sir, I introduce the Bill.

15.34 hrs.**(xiv) AGRICULTURAL WORKERS WELFARE BILL, 2011***

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of agricultural workers and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of agricultural workers and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

** Introduced with the Recommendation of the President

15.34½ hrs.**(xv) RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL, 2011***
(Amendment of sections 6 to 8)

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right to Information Act, 2005.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right to Information Act, 2005.”

The motion was adopted.

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE : I introduce the Bill.

15.35 hrs.**(xvi) BEEDI WORKERS WELFARE BILL, 2011***

SHRI BHAAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of the Beedi Workers' Welfare Fund and also a Board to administer the Fund for welfare of beedi workers in the country and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of the Beedi Workers' Welfare Fund and also a Board to administer the Fund for welfare of beedi workers in the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

15.36 hrs.**(xvii) DISPLACED PERSONS WELFARE BILL, 2011***

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for rehabilitation of displaced persons and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for rehabilitation of displaced persons and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI S. SEMMALAI : I introduce the Bill.

15.36½ hrs.**(xviii) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT
GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Amendment of Schedule II)**

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.”

The motion was adopted.

SHRI S. SEMMALAI : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 2.9.11

15.37 hrs.**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010—contd.
(Amendment of the Eighth Schedule)**

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up further consideration of the following motion moved by Shri Satpal Maharaj on the 19th August, 2011:

“That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”

Shri Satpal Maharaj to continue his speech.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आठवीं अनुसूची में गढ़वाली और कुमाऊँनी भाषा को सम्मिलित करने की मांग है। यह मांग उत्तराखंड से आती है जहां गढ़वाली और कुमाऊँनी भाषा बोली जाती है। पिछली बार मैं ढोल सागर का जिक्र कर रहा था। ढोल सागर एक ऐसा ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग अपने देवताओं से वार्तालाप करते हैं। ढोल सागर के जरिए नरसिंह, नाग राजा, कोरेल, छेदवा, विदवा, भाषर, पांडव, नरंकार और इसमें बीर भडों की गाथाएं जागरों के जरिए गाई जाती हैं। आप अगर किसी शादी को लौटता देखते हैं तो उसमें ढोल बजाने वाले ढोल सागर के माध्यम से ऐसी तरंगे निकालते हैं जो मोरिस कोड की तरह समझी जा सकती हैं। उन तरंगों के जरिए लोगों को पता चल जाता है कि बारात जा रही है या बारात लौट रही है। बारात में दो ध्वज होते हैं - एक सफेद रंग का होता है और एक लाल रंग का होता है। जब लाल रंग का होता है तो यह पता चलता है कि बारात जा रही है, जब सफेद रंग का आगे आ जाता है तो पता चलता है कि बारात लौट रही है। इस प्रकार के ढोल सागर में शब्द बजाए जाते हैं जिससे लोगों को यह ज्ञान हो जाता है कि बारात चढ़ रही है या उतर रही है। इसी ढोल सागर में इस प्रकार का विज्ञान है कि चौरास बजाने वाला जब चौरास बजाता है तो पूरे मकान को ढा देता है, मकान गिर जाता है। गांवों में अगर बाघ आ जाता है तो लोग ढोल बजाकर यह सूचना दे देते हैं कि उनके गांव में बाघ आ गया है और अड़ोस-पड़ोस के गांव से लोग उन्हें बचाने के लिए चलकर आ जाते हैं। गढ़वाली भाषा के अंदर अनेक जागर लगते हैं, कुमाऊँनी भाषा में जागर लगते हैं। जिन जागरों के सामने देवी, देवता प्रकट होते हैं, ऐसी यह भाषा है।

सभापति महोदय, आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूँ, जिसमें उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा को एक समृद्धशाली, विकसित भाषा के रूप में, कुमाऊंनी भाषा को एक विकसित भाषा के रूप में आपको देखने का अनुभव प्राप्त होगा।

सभापति महोदय, मैं पांडवों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे उत्तराखंड में पांडवों की संस्कृति रही है और पांडवों का विचरण होता रहा है। ये पांडव जब कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि --हे कृष्ण, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ, अगर तुम्हें शिव के दर्शन हो जायेंगे, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जायेगी। शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए पांडव केदार खंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करके शिव की तलाश करने लगे। उस वक्त शिव ने कहा कि मैं इतनी जल्दी इन्हें दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी हत्याएं की हैं। जहां-जहां पांडव जाते थे, शिव भगवान अंतर्ध्यान हो जाते थे। शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिये। पांडव चलते-चलते केदार घाटी में आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि **great things are achieved by great sacrifices only.** महान चीजें महान कुर्बानी के बाद ही प्राप्त होती हैं और शिव चाहते थे कि पांडव कुर्बानी करें, पांडव तपस्या करें, पांडव कर्म करें। जब पांडव तपस्या करते-करते केदार घाटी में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिये। वे अनेक बैल बनकर निकले। भीम ने घाटी में दोनों पैर रख दिये और कहा कि जो शिव रूपी बैल होगा, वह मेरे नीचे से नहीं जायेगा। सारे बैल चले गये, लेकिन एक बैल उलटा दौड़ता है और दौड़ते-दौड़ते जहां पर केदारनाथ जी का मंदिर है, वहां अपना सिर जमीन में धंसा देता है। वह सिर नेपाल में निकलता है, जिसे हम पशुपति नाथ जी के नाम से जानते हैं और बैल का पिछला हिस्सा भारत में है। यह एक कितनी सुंदर कल्पना है कि एक शिव जिनका चेहरा नेपाल में निकलता है और पशुपति नाथ के रूप में पूजित होता है और बैल का पिछला हिस्सा भारत में रहता है। एक अराध्य देव के कारण दोनों देश जुड़े हुए हैं। दोनों अलग-अलग देश हैं, लेकिन उनकी आत्मा, जो शिव है, वह एक है। आपको ऐसा उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। मैं यह निवेदन भी करूंगा कि उसके बाद केदार खंड में जगद् गुरु शंकराचार्य जी आते हैं। आप यह देखें कि जहां पांच केदार माने जाते हैं, उनमें मद-महेश्वर भी आता है। मद-महेश्वर की डोली चलती है और रांसी गांव में आती है। रांसी के लोग रोते हैं। डोली आगे जाती है फिर पीछे जाती है। वह फिर आगे जाती है, पीछे जाती है। माताएं क्रंदन करते हुए, आंसू बहाते हुए रोती हैं और देवता से वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि जा-जा फिर चले आना अगले साल। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का संवाद और

किसी भाषा में नहीं होता है। यह गढ़वाली भाषा में ही सम्भव है, इसलिए ऐसी भाषा को राजभाषा का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कालिदास ने बड़े काव्य लिखे। उनका पहला काव्य मेघदूत था, जिसमें कालिदास जी लिखते हैं कि वे रामगिरि आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय आसमान से मेघ जा रहे थे और मेघों को जाता हुआ देखकर कालिदास को अपने उत्तराखंड की याद आती है। कालिदास यह सोचते हैं कि ये मेघ अब यहां से जाते-जाते हिमालय की पहाड़ियों से टकरायेंगे और टकरा कर शिव का जो स्थान कैलाश पर्वत है, वहां तक पहुंचेंगे। उन्होंने मेघदूत की रचना की। मेघदूत के अंदर वे सारे स्थान जहां-जहां से कालिदास जी गये होंगे, वहां के सारे स्थानों का वर्णन किया। वे उज्जैन में भी मेघों को लाते हैं और उसके बाद वे केदार खंड में आते हैं और केदार खंड के अंदर वे-वे बातें कालिदास जी लिखते हैं, जो उत्तराखंड का व्यक्ति ही लिख सकता है। कालीमठ से आगे 6 किलोमीटर दूर एक स्थान है, जिसे कबिल्ला कहा जाता है। कबिल्ला अपभ्रंश शब्द है, जिसका असली शब्द कबीठा और संस्कृत में इसे कविस्थानम्, यानी कवि का स्थान कहते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि कालिदास वहां पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उनका प्रेम गुप्त काशी के नरेश की पुत्री विद्योत्मा से हो गया और राजा ने कालिदास को निष्कासित कर दिया। वह मेघदूत के अंदर यक्ष के यहां न पहुंचने के कारण यक्ष उसको निष्कासित कर देता है, ऐसा लिखता है। कालिदास ने उत्तराखण्ड की गोधूलि के बारे में लिखा है। गोधूलि एक ऐसा समय होता है जब गडगं लौटती हैं। गडगं लौटती रहती हैं और सूर्य अस्त होता रहता है, इसको धूलि अर्घ्य कहते हैं। जो उत्तराखण्ड की आत्मा होगी, उत्तराखण्ड में जो व्यक्ति पैदा होगा, वही धूलि अर्घ्य के महत्व को समझता है। इसको बड़ा प्रभावशाली समय माना जाता है। कुमारसम्भव के अंदर कालिदास जी गोधूलि का जिक्र करते हैं कि गोधूलि के समय शंकर जी पार्वती जी का वरण करने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार की उत्तराखण्ड की जो निटी-ग्रिटी बातें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, वे सब बातें लिखी गयीं और मैं समझता हूं कि ऐसा विरासत में मिला उत्तराखण्ड का इतिहास हमारे सामने है। इसी प्रकार से गुरु गोविन्द सिंह जी अपने पिछले जन्म के अंदर, विचित्र नाटक में लिखते हैं :

अब मैं अपनी कथा बखानूं, तब साधत जिय बिधि मुहं आनूं।
हेमकुण्ड पर्वत है जहां, सप्तसिंह सोअत है तहां, सप्तसिंह तिहं नाम कहावा।
पाण्डु राज जहां जोग कमावा, तहं हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका अराधी।
एह विधि करत तपस्या भयो देव ते एकरूप हो गयो।

गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक के अंदर अपने पिछले जन्म के वृत्तांत को बताया है कि पिछले जन्म में दुष्टों का दमन करने के लिए वह दुष्टदमन सिंह के नाम से प्रख्यात हुए। हम भी, सनातन

लोग भी यह मानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी लक्ष्मण के अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग के औतार थे। इस प्रकार से इसके अंदर यह बात आती है कि जहां पर सात मुख वाला पर्वत है, सप्तसिंह पर्वत है तहां, हेमकुण्ड पर्वत है तहां और वहां पाण्डुकेश्वर आपको उत्तराखण्ड में मिलेगा। बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में पाण्डुकेश्वर है जहां पाण्डु राजा ने योग कमाया था। विचित्र नाटक में इन सारी बातों को गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। ऐसा उत्तराखण्ड है जहां तमाम तपस्वियों ने साधना की और साधना करने के बाद वह कहते हैं कि उन्होंने महाकाल और कालिका की आराधना की, जिसके प्रताप से वह एकरूप हो गए, यूनिकेशन उनका हो गया, तो ऐसे उत्तराखण्ड के अंदर जो भाषा है, वह देवभाषा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके अंदर गागर में सागर उत्तराखण्ड के कवि लोग भर देते हैं। मैं आपके सामने हमारे जनकवि गिरीश चन्द्र तिवड़ी, जिनको गिरदा के नाम से जाना जाता था, उनकी एक कविता का अंश आपके सामने रखूंगा और बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से कवि गागर में सागर में भर देता है। गिरदा लिखते हैं:

त तुक नी लगा उ देख, घुनन-मुनन नी टेक। जैता एक दिन तो आलो, उ दिन यो दुनि में।
चाहे हम नी लै सकों, चाहे तुम नी लै सकों, मगर क्वे न क्वे तो लालो, उ दिन यो दुनि में।
ज्या दिन ननु तुलो नि रौलो, ज्या दिन त्यारा-म्यारा नि होलो, जैता एक दिन तो आलो,
उ दिन या दुनि में।

गिरदा लिखते हैं कि ऐसा एक न एक दिन आएगा जब छोटे-बड़े, तेरे-मेरे का भेदभाव नहीं रहेगा, वह दिन चाहे हम न ला सकें, वह दिन चाहे तुम न ला सको, पर कोई न कोई तो आएगा, उस दिन को इस दुनिया में लाने वाला। ऐसे गागर में सागर भरने वाले कवि हमारे गिरदा थे। मैं लोककवि नरेन्द्र सिंह नेगी को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने एक बहुत सुन्दर गीत लिखा है:

कमीशन की मीठ भात, रिश्वत को रौलो, बस कर भंड्या न सपोड़, अब कदगा खेलो।
नयो-नयो राज उत्तराखण्ड आसमाछन लोभ, ब्याणांछन डाम यख लैंडोको तैरो जोग।
कुंभ नहोयोको भोलू, अब अबदा नहे रो रे, नियुक्तियों की रस मलाई, ट्रांसफरों को हलवा।
मालदार विभाग में, तेरे चेलों को जलवा।

इसी कविता में आगे कहा गया है:

बारमाचाछन, बारवां चुनाव छन्न, खुल्यो कि हंस ल्यो कि रोल्यो रे।

इसमें कवि इतना सशक्त है, इतना प्रभावशाली है कि वह सरकारों को गिरा देता है, सत्ता से लोगों को नीचे गिरा देता है।

15.49 hrs.(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

ऐसा सशक्त कवि है और हमारे लोककवि नरेन्द्र सिंह नेगी लिख रहे हैं कि भाई, कितना खाएगा। गढ़वाली भाषा के शब्दों के बारे में मैं कहना चाहूंगा।

बसकर भंडया न सपोड़, सपोड़ एक ऐसा शब्द है जो बड़ा ही चमत्कारिक शब्द है। कवि ने इसका उपयोग किया है कि यह नया-नया उत्तराखंड राज्य बना है, बहुत लोग इसमें आशान्वित हैं और कुम्भ भी नहा गया, आपदा भी नहा गया है, दीजियों की रसमलाई, ट्रांसफर्मर्स का हलवा, इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। वह कहते हैं कि 2012 में चुनाव होंगे, फिर हंसोगे या रोओगे। इस प्रकार की गागर में सागर भरने की जो तरीका हमारे कवियों में यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड मुख्यतः दो मंडलों में विभक्त है, एक कुमाऊँ मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। इन दोनों मंडलों की दो प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कुमाऊँनी एवम् गढ़वाली। ये भाषाएं शब्द क्रमशः कुमाऊँनी भाषा और गढ़वाली भाषा का भी द्योतक है। बोली विभेद की दृष्टि से कुमाऊँनी को दो उप-वर्गों में बांटा गया है, (क) पूर्वी कुमाऊँनी और (ख) पश्चिमी कुमाऊँनी। पूर्वी कुमाऊँनी को चार बोलियों में विभक्त किया गया है, 1. कुमय्याँ, 2. सोर्याली, 3. अस्कोटी, 4. सिराली पश्चिमी कुमाऊँनी को छः उप बोलियों में बांटा गया है, 1. खसपर्जिया, दो. चौगर्खिया, 3. गंगोली, 4. पछाई, 5. दानपुरिया और 6. रौ चौमैसी। इस प्रकार कुमाऊँनी की कुल दस उप बोलियां हैं।

इसी प्रकार गढ़वाली भाषा में आठ उप बोलियां हैं। 1. श्रीनगरी, 2. बधाणी, 3. दौसल्या, 4. माझ कुमैया, 5. नागपुरिया, 6. सलाणी, 7. राठी और 8. टिहरियाली। इस क्रम में टिहरी जिले की अनेक उप बोलियां हैं। तकनौरी-बाड़ाहटी, रमोल्या, जौनपुरी, रवोल्टी, बड़ियारगड्डी, टिहरियाली। टिहरियाली के दो भेद माने गए हैं, 1. गंगाड़ी, तथा 2. जौनपुरी रवांल्टी।

कुमाऊँ में चार प्रमुख जनजातियां रहती हैं, 1. राजी, 2. शौका, 3. थारु और 4. बुक्सा। इन जनजातियों की बोलियां भी क्रमशः इन्हीं के नामों से जानी जाती हैं, शौका बोली भी दो तरह की होती है। 1. रड. बोली और 2. जोहारी बोली। पिथौरागढ़ जनपद में दारमा, ब्यांस और चौदाण पट्टी के लोगों की भाषा रड. कहलाती है तो मनुस्यारी के शौकाओं की बोली जोहारी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार गढ़वाल के जौनसार-भाबर की बोली जौनसारी के नाम से जानी जाती है।


सभापति महोदय, गढ़वाल में अनेक ऐसे शब्द हैं, जो हिन्दी कोष को और बढ़ा सकते हैं। गढ़वाली में जैसे ऊनी, सूती और ऊन-सूती मिश्रित तीन कपड़ों के जलने को हम क्या कहते हैं। अगर ऊनी वस्त्र

जलता है तो हम कहते हैं कि क्रियान आ गई, अगर सूती वस्त्र जलता है तो हम कहते हैं कि क्रित्यान आ गई और अगर ऊनी-सूती मिश्रित वस्त्र जलता है तो कहते हैं कि विक्लयान आ गई। इस प्रकार से इसके अंदर बड़े सूक्ष्म भेद हैं। गढ़वाली में जैसे हम बोलते हैं दादा भोला यानि बड़ा भाई और छोटे भाई को। हिन्दी के अंदर हम बोलते हैं दीदी भुलि। इसी प्रकार अगर हम हिन्दी में बोलें तो बोलेंगे बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन। इसी प्रकार उसमें बड़ा-छोटा लगाने से थोड़ी समस्या पैदा होती है। अगर अग्रज और अनुज कहें तो इसका प्रयोग बोलचाल में बड़ा अटपटा लगता है। ऐसे ही हिन्दी में कल भूत और भविष्य दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि गढ़वाली में हम बोल यानि आगामी दिन और बयाले यानि जो बीत गया। ये अलग-अलग शब्द हैं।

इसी प्रकार से गढ़वाली एवम् कुमाऊँनी भाषाओं का वैदिक संस्कृति प्राकृत एवम् पाली भाषाओं से काफी सम्बन्ध है। संस्कृत प्राकृत एवम् पाली में काफी शब्द गढ़वाली एवम् कुमाऊँनी भाषाओं से मिलते हैं। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत और इतिहासकार मैगाथीनीज़ ने 297 बी.सी. में लिखा था कि उस समय उत्तराखंड गढ़वाल के राजा का राज नेपाल से अफगानिस्तान तक था और यहां दरिज जाति के लोग रहा करते थे। हमारे माननीय सदस्य श्री करण चन्द सिंह, जो केसी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, स्वयं उनके पूर्वजों में चन्द राजाओं के रूप में कुमाऊँ पर शासन किया। उस समय में अपने सारे आदेश कुमाऊँनी भाषा में ही दिए। जिनमें राजा सोमचन्द, राजा कीर्ति चन्द, राजा अभय चन्द, राजा दली चन्द, राजा बाज़ बहादुर चन्द, राजा कल्याण चन्द, राजा दीप चन्द, राजा लक्ष्मी चन्द तथा राजा मोहन चन्द आदि सम्मिलित हैं।

सभापति महोदय : महाराज जी, क्या कुमाऊँ भाषा की अपनी लिपि है?

श्री सतपाल महाराज : जी हां, इसकी अपनी लिपि और व्याकरण भी पूरी है।

सभापति महोदय, हमारे उत्तराखंड में तिलू-रौतेली हुई, जिसने गढ़वाली भाषा के प्रोत्साहन के लिए बहुत काम किया। यह ऐसी नारी थी जो गुराडा में पैदा हुई और गुराड में पैदा होने के बाद इसने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी।  होने के बावजूद यह पुरुषों के वेष में रहती थी। हमारे उत्तराखंड के अंदर जब लड़के नाचते हैं तो लकड़ी लेकर सराई खेलते हैं। सराई तलवार चलाने का, सीखने का एक तरीका है। इसने सराई-खेत के अंदर इस तिलू-रौतेली ने अपने दांतों से लगाम को पकड़ा और दोनों हाथों में तलवार लेकर के दुश्मनों को काट डाला। उस स्थान का नाम सराई-खेत है और मैं तिलू-रौतेली को प्रणाम करना चाहूंगा, जिसने गढ़वाल की संस्कृति के लिए, गढ़वाल की भाषा के लिए, गढ़वाल की रक्षा के लिए अपने प्राणों का

बलिदान दे दिया। ये गुराड में पैदा हुई थी। हमारी उत्तराखंड की पहले मंत्री रही हैं, अमृता रावत जी, उन्होंने जणदा-देवी में और भैरो-खाल के अंदर तिलू-रौतेली की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया।

यह ऐसी वीरांगना थी जिसके बारे में लोगों ने कहा कि झांसी की रानी की तो फौज थी, पर जो तिलू-रौतेली हुई है, इसकी कोई फौज नहीं थी। इसने अपनी सहेलियों को लेकर, लुहार को लेकर के, जन-मानस को लेकर के, एक सेना बनाई और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिये। आज उत्तराखंड ऐसी वीरबाला को प्रणाम करता है।

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, आपको भी कश्मीर पर ऐसे ही बोलना होगा।

श्री सतपाल महाराज : हां, ये बोलेंगे। मैं तो चाहूंगा कि हमारे सभी सम्मानित सदस्य अपने विचार व्यक्त करें और एक गुलदस्ता पेश करें। हमारी भाषाएं जो लुप्त होने जा रही हैं, इन सब भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि भारत सुदृढ़ हो सके। मैं तो कहना चाहूंगा कि -

“ जब एक कड़ी से बावस्ता एक और कड़ी हो जाती है
तो रस्मे मौहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है
हम तो क्या हैं दोस्त एक इंसां हैं
पत्थर भी अगर मिल जाते हैं
तो दीवार खड़ी हो जाती है” ।

आइये, सब भाषाओं को जोड़ करके एक दीवार बनाएं और अपने देश को और मजबूत करें और सशक्त करें - यह हमारा संकल्प और अभियान होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पांडवों का उत्तराखंड में प्रवेश हुआ। शंकर के दर्शन करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया और स्वर्गारोहण के लिए वे बदरीनाथ की तरफ आते हैं। बदरीनाथ की आगे बढ़ने लगे, जो-जो पीछे देखने लगा, उरने लगा। यह कथा हम सभी ने सुनी है। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज आगे जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग से एक विमान आता है, उनके साथ एक कुत्ता होता है। स्वर्ग के देवताओं ने कहा कि महाराज आइये, विमान में बैठिये। जब वे बैठने लगे तो कुत्ता भी साथ जाने लगा। देवताओं ने कहा कि महाराज, स्वर्ग में कुत्ता साथ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुत्ते ने मेरा साथ दिया है, मैं यहां तक पहुंचा हूँ, कुत्ता मुझे यहां तक लाया है, अगर यह नहीं जाएगा, तो मैं स्वर्ग नहीं जाता हूँ। सारे देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और कहा कि ये कुत्ते नहीं हैं, ये धर्म हैं। इसी प्रकार से जो धर्म है, जो हमारी दूध-बोली भाषा है उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, त्याग नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि इसे सम्मान मिले, इसे गौरव प्राप्त हो। इसके अंदर ऐसे-ऐसे गाने हैं जिनसे देश को बड़ा प्रेम और प्रसन्नता प्राप्त होगी। एक गाना है - “ पेडू पाको बारा मासा” । जिसके अंदर काफल जो बड़ा विचित्र फल है, जो हमारे पहाड़ों में लगता है, बेरी की तरह है। काफल जब

पकता है तो लोग बोलते हैं कि “पेडू पाको बारा मासा, नरणा काफल पाम्यो चैता” । इस प्रकार के अनेक गानों से हमारे उत्तराखंड की धरती को बड़ा ही मंगलमय बनाया गया है और इसका बड़ा ही रिच-कल्चर है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस भाषा की अपनी लिपि और शैली है। देव-प्रयाग के 80 लाख से अधिक लोग गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा बोलते हैं। देव-प्रयाग मंदिर में महाराज जगतपाल के समय के सन् 1335 के दान-पात्र पर उत्कीर्ण लेख देखने को मिलते हैं।

16.00 hrs.

देवलगढ़ में अजयपाल का 15वीं शताब्दी का शिलालेख देखने को मिलता है। देवभूमि के उसी मंदिर में महाराज पृथ्वीशाह के सन् 1664 के ताम्रपत्र का लेख देखने को मिलता है। इसी प्रकार यह देवताओं की राजभाषा रही है और गढ़वाल के राजा अपने जितने भी जजमेंट देते थे, वे गढ़वाली भाषा में दिया करते थे।

मैं कहना चाहूंगा कि कुमाऊंनी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एक समय आया कि मलेशिया की राजभाषा क्या बने। उन्होंने बहुत गहरा मंथन और चिंतन किया और एक टापू पर बोली जाने वाली बहुत अल्पसंख्यकों की भाषा को लिया और रोमन एल्फाबेट्स को चुना तथा कहा कि यह हमारी राजभाषा बनेगी। वहां की लैंग्वेज को भाषा कहा जाता है। उन्होंने यह काम इसलिए किया कि एक छोटी सी अल्पसंख्यक भाषा अगर देश की भाषा बनती है, तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि एक बहुसंख्यक भाषा को देश पर लाद दिया गया है। इसी प्रकार से छोटी-छोटी भाषाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कुमाऊंनी भाषा की लिपि देवनागरी है और इसके बड़े प्राचीनतम नमूने देखने को मिलते हैं। कुमाऊंनी भाषा चन्द्र शासनकाल में कुमाऊं की राजभाषा रही है। उस काल में सभी शासकीय कार्य कुमाऊंनी भाषा में ही होते थे, जिसकी पुष्टि तत्कालीन ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सरकारी दस्तावेजों एवं संदनों में होती है, जिनमें महाराजाधिराज अभयचन्द्र का शक 1296 का अल्मोड़ा में मिला ताम्रपत्र, महाराजधिराज कीर्तिचन्द्र का शक 1427 में मिला ताम्रपत्र, महाराजधिराज ध्रुवचन्द्र का शक 1590 में मिला ताम्रपत्र, महाराजधिराज बाज बहादुर चन्द्र के चम्पावत में मिले ताम्रपत्र इसके प्रमाण हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये भाषाएं अपने आप में बहुत ही समृद्ध और सशक्त हैं।

आपसे मेरा निवेदन है कि इन भाषाओं को सम्मान मिले। आज जब हम अपने पुरातत्व की दृष्टि से अपने पुराने मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, बाघों की रक्षा कर रहे हैं, टाइगर की रक्षा कर रहे हैं, शेरों की रक्षा कर रहे हैं, तो यह भाषा जो 80 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है, ऐसी भाषा की निश्चित रूप से रक्षा होनी

चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो हमारी छोटी भाषाएं हैं, जो लुप्त होने जा रही हैं, यूनेस्को ने जिन्हें अपनी सूची में रखा हुआ है कि ये लुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसी भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए, उनको राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए।

मुझे आशा है कि सभी सम्मानित सदस्यगण इसमें मेरा समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

“कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री हुक्मदेव नारायण यादव। आपको उत्तराखंड पर ही बोलना है, बिहार पर नहीं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, आपने मुझे खड़ा होते ही निर्देश दिया कि उत्तराखंड पर ही बोलना है। सवाल केवल गढ़वाली और कुमाऊं भाषा का ही नहीं है, सवाल लोक भाषा का है। मैं जिस आंदोलन और क्रांति से निकल कर आया हूँ, उसमें मेरा नारा ही था- गांधी / लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। हम उसी आंदोलन को लड़ते आ रहे हैं कि चले देश में देसी भाषा। देसी भाषा का मतलब है - लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक संस्कृति, लोक आचार, लोक व्यवहार, लोक-लाज और तब आएगा राम राज। सतपाल महाराज जी कथा वाचक हैं, उन्होंने पशुपति नाथ की कथा कही। दशरथ नंदन श्री राम राजमहल को छोड़ते हैं, वनवासी का वेश बनाते हैं और देश की जो लोक भाषा है, लोक संस्कृति है, लोक भूषा है, लोक भोजन है, लोक व्यवहार है, लोक आचार है और उसमें जब अपने को रमाते हैं तो विशाल शक्ति पाकर रावण के साम्राज्यवाद का नाश करने में सफल हो जाते हैं। न उनका कोई कुटुम्ब था, न दयाद था, न जाति थी, न बंधु था, न समाज था और न ही उनके कोई रिश्तेदार थे, किसी ने साथ नहीं दिया था। यदि दिया था तो लोक जन ने साथ दिया था, इसलिए जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वह भी केवल इसलिए नहीं कि गढ़वाली और कुमाऊं ही नहीं, आप जिस प्रदेश से आते हैं, वहां जो झारखण्ड के जंगल में हमारे वनवासी भाई हैं और आपस में जब मिलते हैं और एक-दूसरे से बातें करते हैं तो उनको वहां की भाषा में ही रस आता है। यदि उनके बीच में कोई जाकर अंग्रेजी, फारसी, विलायती भाषा बोलने लगे तो कहेंगे कि देसी मुर्गी विलायती बोली। हम तो तुम्हारी बात समझते नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर देशी भाषा, लोक भाषा को सम्मानित नहीं किया गया है। हम अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिथिलांचल के कोटि कोटि लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हुए सदन में अभिनंदन करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान देकर मिथिलांचल की मैथिली भाषा को सम्मानित किया था। हमारी मैथिली भाषा की लिपि अलग है लेकिन देवनागरी में ही ज्यादातर मैथिली भाषा लिखी जाती है। देवनागरी एक लिपि है जिसमें मिलती जुलती जितनी भाषाएं हैं, वे देवनागरी भाषा के द्वारा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं।



यह जो हमारी भाषा है, उसमें जितने संत हुए, चाहे गुरुनानक जी हुए, कबीर हुए, रहीम हुए और तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी की भाषा क्या है? लोकभाषा है जिसमें सभी लोक भाषा जो अवधी है, भोजपुरी है, मगधी है तथा जितनी देश की लोकभाषा है, उन सबको मिला दिया। सतपाल महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब केवट के संवाद आते हैं तो उसका व्याकरण में अर्थ निकालने वाले को अर्थ ही नहीं मिलेगा। “सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नैन” लोग सोचेंगे कि यह अटपटा क्या है, लटपटा क्या है? लेकिन वह लोक भाषा है और लोक भाषा का अपना ही आनन्द है। जब भोजपुरी में लोग अपनी भाषा में गीत गाते हैं, तो उनको अपना ही आनन्द आता है और जब मैथिली भाषा में कोई गाने लगे तो लाख कोई डमडमा बजाइए, डिस्को डांस करिए, चाहे सिनेमा के बड़े बड़े हीरो-हीरोइन से गाना गवा दीजिए, मेरे कान में अगर कहीं मैथिली भाषा का स्वर आ जाए तो मैं सब काम छोड़कर मैथिली के गीत की तरफ दौड़ पड़ूंगा क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा रस मिलता है और उसमें ज्यादा आत्मा में आनन्द आता है। लोक भाषा की वह कीमत है।

मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। अंग्रेजी में किसी चीज के एक ही शब्द होते हैं लेकिन मैथिली के हम उस इलाके से आए हैं जहां हम बांस का अनेक प्रकार का सामान बनाते हैं और हमारे बिहार और झारखंड में बांस से बनने वाली जो टोकरी है, उसके कितने शब्द हैं, वह मैं आपको बताता हूं। सबसे छोटा मौनी, उससे बड़ा पौती, उससे बड़ा डलिया, उससे बड़ी चंगेड़ी, उससे बड़ा चंगेड़ा, उससे बड़ा पथिया, उससे बड़ा छिक्का, उससे बड़ा ढकिया, उससे बड़ा ढाक। अब अंग्रेजी में इसके लिए केवल एक या दो शब्द होंगे लेकिन ये हमारी मैथिली की लोकभाषा के शब्द हैं। जब आम फलते हैं तो आम को कहते हैं, पका या कच्चा केवल इतना ही है। लेकिन मैथिली भाषा में और झारखंड में लोग इसे बोलते हैं तो जब आम शुरु होता है, मंजर देने के समय में तो उससे पहले गुज्जर, उसके बाद मंजर, उसके बाद किरैया, फिर टिकौला, फिर कोसाइल और तब कहते हैं ज्वाइल और उसके बाद डम्हक तथा उसके बाद पाकल और उसके बाद मधुआई कहते हैं।...(व्यवधान) एक ही आम के लिए हमारी लोक भाषा में इतने शब्द हैं।

सभापति महोदय : हुक्मदेव जी, मिथिला के लोग आम के ज्यादा शौकीन होते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जी, आम और मखान हमारे हैं लेकिन हम कहते हैं कि पांच म से मिथिला बना है- मांछ, मखान, मधु, और महा महोपाध्याय। इसी से तो हमारे यहां विद्वानों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा कि जितनी देश की भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को संग्रहित किया जाए। उन सभी को सम्मानजनक स्थान दिया जाए। उन सभी भाषाओं में पढ़ाई की जाए और उन सभी भाषाओं को सरकारी विद्यालयों में तथा सरकारी नौकरियों में सम्मान दिया जाए जिससे कि वे अपनी

भावना की अभिव्यक्ति कर सके। मोरारजी देसाई जी की सरकार में चौधरी चरण सिंह 1977 में गृह मंत्री बने थे, उस समय 14 भाषाएं थीं और कहा गया था कि 14 भाषाएं संविधान की अष्टम अनुसूची में हैं इसलिए संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षार्थी चाहे तो किसी भाषा में उत्तर दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लोगों ने लोकभाषा में उत्तर देना शुरू किया है और आज इसका परिणाम है कि मधुबनी जिले से पांच-छः बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, आईएएस कम्पीट करते हैं। ये कोई बड़े घर के बच्चे नहीं हैं, साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं। उन्हें अपनी भाषा के मार्ग पर अपनी भावना की अभिव्यक्ति करने का अवसर मिला जिसके कारण वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। कबीर जी कहां पढ़े थे, उन्होंने कहा - कबीरा बाचे आंखन देखा, पंडित बाचे पोथिन लेखा। कबीर दास जी ने कहा - हम जो कहते हैं सो आंख से देखा कहते हैं और पंडित जो बात कहता है वह पोथी लेखा पढ़कर कहता है।

मेरी विनम्र विनती है कि भारत सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर देशी भाषा के लिए आयोग का गठन करे। संपूर्ण देश में चाहे बाहर के लोग हों, चाहे जंगल में बसने वाले लोग हों, चाहे थोड़े बोलने वाले हों या ज्यादा बोलने वाले हों, उन भाषाओं, लिपियों और शब्दों को संग्रहित करें और उसके आधार पर व्यापक भारतीय लोक भाषाओं का कोश बनाया जाए। आज के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों में इनकी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे भारतवर्ष के लोग जान सकें कि लोकभाषा में कितनी ताकत थी, हम कितने संपन्न थे।

मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सतपाल महाराज कुमाऊंजी और गढ़वाली भाषा में बारहमासा की बात कह रहे थे। मिथलांचल में बारहमासा गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में भादों और सावन के वर्णन में एक गरीब लड़की अपने बिरहा की कहानी गाती है। इस गीत में बताया गया है कि उसका पति परदेस में कमा रहा है, भादों का महीना है, घुप अंधेरी रात है, कीचड़ है, बिजली चमक रही है, मेंढक बोल रहे हैं, उस समय वह अकेली सोई है, उसे जब अपने पति की याद आती है तो वह कैसे अनुराग और हृदय से गाती है। इस तरह की बिरहा का वर्णन किसी और साहित्य में नहीं मिल सकेगा।

सभापति महोदय : हुक्मेदव जी, जैसे महाराज जी ने कालीदास जी का मेघदूतम का उदाहरण दिया है। आप भी तो विद्यापति जी का कुछ उदाहरण दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, आपने विद्यापति जी के बारे में कहा, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन विद्यापति जी द्वारा बाल विवाह पर बहुत रोचक गीत बनाया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। इस गीत में

पति छोटा है, पत्नी बड़ी है, बेमेल ब्याह है, पत्नी पति को गोदी में लेकर जा रही है तो लोग रास्ते में पूछते हैं कि यह कौन है तुम्हारा? इस पर विद्यापति जी ने कहा है -

पिया मोरा बालक, हम तरुणी हे,
कौन तप चूकलहुं, भेलहुं जननी हे,
पिया मोरा बालक।

इसका अर्थ है पिया मेरा बालक है, मैं जवान हूँ, हम विधाता के घर में चूक गए कि हम औरत बन गए, जननी बन गए कि आज इतने छोटे बालक से हमारे माता-पिता और समाज ने शादी कराकर अन्याय किया है। तब वह लोगों के मार्फत संदेश भेजती है और कहती है -

बाट रे बटोहिया, कि तू ही मोरा भैया, कि हमरो समाद नेने जा।
कही दीह बाबूजी से किनयी धेनु गाई,
दुधवा पिलाई के पोसथि जमाई।

सभापति महोदय: आज आपका भाषण आपके क्षेत्र में बहुत रुचि से सुना जाएगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि आप बारहमासा की बात कहते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): इस हाउस की महिला मैम्बर चाहती हैं कि आप दो-चार लाइनें और सुनाएं।

सभापति महोदय : हरीश जी, महिला मैम्बर की भावना आप कैसे समझ गये?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति जी, हम इसलिए समझ गये कि रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने महादेव जी के द्वारा पार्वती जी को कहलवाया है - 'खग जाने खग ही की भाषा'। सतपाल महाराज जी यहां महादेव जी की चर्चा कर रहे थे। महादेव तो अर्धनारीश्वर हैं, वह आधी नारी हैं, आधे पुरुष हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब जिस दिन अपने को आधी नारी और आधा पुरुष मान लेंगे, उस दिन विश्व का कल्याण हो जायेगा। जिस दिन हम सब अपने आपको अर्धनारीश्वर मान लें तो हम उसका सम्मान करना सीख जायेंगे।

मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि सम्पूर्ण लोक भाषाओं, सम्पूर्ण देशी भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहित किया जाए, संकलित किया जाए, उन्हें एक आधार बनाया जाए, उनका एक विश्वकोश बनाया जाए और उसे सब जगह प्रचारित किया जाए। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि आपने बारहमासा कहा, बारहमासा में गरीब की बेटा गाती है, जिसका पिया परदेस गया हुआ है - "भादों हे सखी, शब्द सुहावन, रिमझिम बरसत मेघ हे, सबके बलम रामा घर-घर आएल हमरो बलम परदेस हे!" मैं कहना

चाहता हूँ कि जो लोक भाषा है, उस लोक भाषा की अपनी पीड़ा है, अपनी वेदना है और अपनी व्यथा है। पाणिनि ने कहा कि व्याकरण कुछ नहीं है, बल्कि जनता जिस बोली में बोलती है, वही व्याकरण है और जन भाषा के लिए न व्याकरण चाहिए, न जन भाषा को लिपि चाहिए। अब अवसर आया है कि हम उन जन भाषाओं को आकार दें, विचार दें, लिपि दें, व्याकरण दें और उन्हें प्रतिष्ठित करें और सम्पूर्ण विश्व को चुनौती दे दें कि भारत में जितनी हमारी भाषाएं हैं, यदि सम्पूर्ण विश्व की भाषाएं एक तरफ और भारत की लोक भाषाएं एक तरफ रहेंगी तो सम्पूर्ण विश्व की भाषाएं हमारी भाषाओं के सामने 25 प्रतिशत भी नहीं ठहर पायेंगी। यह हमें स्वाभिमान के साथ खड़े होकर कहना चाहिए।

महोदय, इसके साथ ही मैं श्री सतपाल महाराज को धन्यवाद देते हुए उनके विधेयक का समर्थन करता हूँ। उत्तराखंड देवलोक हैं, मैं उस देवलोक में बसने वाले सभी देवों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आपने पशुपति शब्द कहा, पशुपति में तो बैल का ही सिर है। पशुपति में जो सिर है, वह बैल का सिर है। इसीलिए भारत की संस्कृति में कहा गया है कि बैल ही पशुओं का पति है, क्योंकि उसी से रोटी मिलती है, उसी से आर्थिक आधार बनता है। इसलिए उस गोवंश और पशुपति की भी रक्षा होनी चाहिए, तभी देश में लोक भाषा की रक्षा होगी।

सभापति महोदय : हुक्मदेव जी, क्या आपने कभी बदरीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की है?


श्री हुक्मदेव नारायण यादव : वही बाकी हैं।

सभापति महोदय : यह तो वही हुआ कि रामायण पढ़ गये, लेकिन सीता कौन है, यह पता नहीं है। श्री शैलेन्द्र कुमार जी, अब आप बोलिये। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप भी सस्वर कुछ गाते हों तो आज सुना दीजिएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री सतपाल महाराज जी, जो इस सदन के बहुत विद्वान माननीय सदस्य हैं, के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, 2010 की आठवीं अनुसूची में संशोधन वाला बिल है और जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को, जो उनके राज्य की भाषा है, उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मेरे ख्याल से वह उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा नहीं, बल्कि देश-विदेश में जहां भी पहाड़ों के लोग रहते हैं, वे उस भाषा को बोलते हैं। अभी बहुत विस्तार से श्री सतपाल महाराज जी और श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी ने बताया और यादव जी ने तो बहुत ही राग-रागिनी के साथ अपनी बात रखी है।

महोदय, यह देश बहुभाषी देश है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे इलाहाबाद में हर 15-20 किलोमीटर के फासले पर आप जिस क्षेत्र में भी निकल जाएं तो वहां भाषा अपने आप बदल जाती है। यदि आप इलाहाबाद में खड़े हैं और आप यमुना पार कर जाइये, जो मुश्किल से 10-15 किलोमीटर है, भाषा अपने आप बदल जाती है। आप गंगा पार कर जाइये, अपने आप वहां की भाषा बदल जाती है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : दस कोस पर भाषा बदले, बीस कोस पर पानी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह बहुभाषी देश है और इसलिए भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता और सार्वभौम के बारे में विदेशों में भी बखान होते हैं। अपने यहां की संस्कृति की कोई मिसाल नहीं है। एकता में भी विभिन्नता है चाहे वह भाषा के नाम पर हो या वेशभूषा के नाम पर हो। अभी सतपाल महाराज जी और हुक्मदेव नारायण यादव जी ने भी बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन राजभाषा की मांग इस सदन में कई बार उठ चुकी है। मैं बिल की सूची देख रहा था, इसमें  भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। पिछली बार इसी सदन में प्रभुनाथ सिंह ने एक रेजोल्यूशन द्वारा बहुत विस्तार से चर्चा की थी। गृहमंत्री जी ने भी कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। जब शून्य प्रहर में आप पीठ पर थे तो मैंने भोजपुरी भाषा के बारे में अपनी बात कही थी। हमारे अर्जुन मेघवाल जी ने भी अपनी बात रखी थी। मैं क्षेत्रीय भाषाओं का पुरजोर समर्थक हूँ। व्यक्ति के सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यों का सृजन और विकास इन्हीं भाषाओं के इर्द-गिर्द होता है, जिससे देश के वासी चाहे वे किसी भी कोने में हों, वे उस रूप में जाने जाते हैं। आपने भी पीठ से कहा था कि मैं महुआ चैनल पर भोजपुरी गीत-संगीत और पिकचरें आदि आती हैं। देश-विदेश में 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इसी दिल्ली में वृहद रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हमारे महाबल जी यहां पर नहीं हैं, वे सदन में कहते हैं और हम लोगों से भी कहते हैं कि अगर हम आज इस सदन में चुन कर आए हैं तो इस देश में उत्तर भारत के जो लोग हैं खास कर उत्तर

प्रदेश, बिहार, झारखण्ड के भोजपुरी भाषा बोलने वालों के वोटों के द्वारा हम चुन कर आए हैं। उनकी भी बड़ी वेदना थी कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस सदन में आश्वासन मिलने के बावजूद और राज्यों से प्रस्ताव आने के बावजूद भी आज तक केंद्र सरकार ने कभी सोचा नहीं है। मेरे ख्याल से जो 22 भाषाएं हैं, किस स्थिति में यहां पर उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है? मैं तो आपके माध्यम केंद्र सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सब को संविधान की 8वीं अनुसूची में रख देना चाहिए। यह मेरा पुरजोर समर्थन है और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ।

मैं यह मांग नहीं करता कि इलाहबाद में 15-20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, उनको शामिल किया जाए। लेकिन वे भाषाएं लम्प-सम समझ में आती हैं और लगभग हिंदी से मिलती जुलती है। हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसको हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा और सम्मान दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गृह मंत्रालय के द्वारा हिंदी का प्रचार-प्रसार में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च होते हैं। कमेटियां दौरे के लिए देश-विदेश में भी जाती हैं। जितने भी मंत्रालय हैं उनमें प्रचार-प्रसार के लिए मैगज़ीन मिलती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसी विभाग में अगर हम जाते हैं, जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, उस दिन मेरे ख्याल से जो हिंदी नहीं बोलता है, वह भी हिंदी बोलता है। हिंदी दिवस मनाने के बाद दूसरे दिन उस विभाग में जाइए तो सब अंग्रेजीमय हो जाता है। आज यह स्थिति है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शिक्षक हैं और अंग्रेजी जानते हैं लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजी में नहीं बोला। डॉ. लोहिया जी ने कसम खिलाई थी। खरगे जी बैठे हैं, वे साउथ इण्डिया से हैं लेकिन बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं।

वे बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं, वे हिन्दी में जवाब भी देते हैं, इसीलिए वे इंगित करते हैं कि हिन्दी में बात कीजिये।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, अंग्रेजी बोलना स्टेटस सिंबल बन गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हां महोदय, आपने सही कहा कि अंग्रेजी बोलना स्टेटस सिंबल बन गया है। आज पूरे भारतवर्ष में देखा जाये तो ज्यादातर लोग हिन्दी बोलते हैं। हम लोग हिन्दुस्तान के बिल्कुल कोने पर, जैसे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, कहीं भी बॉर्डर पर जाइये, लेह, लद्दाख आदि, हमारे मंत्री जी श्री वी.किशोर चन्द्र देव जी यहां बैठे हैं। हम लोग लेह, लद्दाख गये, वहां भी लोग हिन्दी में बोल रहे थे। मैं वर्ष 1985 में विधायक था। एक रसिया का डेलीगेशन आया था, संस्कृति विभाग की मंत्री जी आयी थीं। वे जहां भी गये, वे हमारे इलाहाबाद भी आये, एडवोकेट जनरल शान्ति स्वरूप भटनागर जी ने डेलीगेशन को खाने पर बुलाया। उसमें एमपीज़ थे, मिनिस्टर थे, वे सब रसियन भाषा में बोल रहे थे, जबकि वे अंग्रेजी जानते

थे। उनकी भाषा को अंग्रेजी, हिन्दी में ट्रांसलेट करने वाले लोग थे। हम विदेशों में जाते हैं, मैंने देखा है कि वहां पर बहुत से लोग अपनी भाषा में बोलते हैं और हिन्दी और अंग्रेजी में वह ट्रांसलेट होता रहता है।

महोदय, जैसा आपने कहा कि यह स्टेटस सिंबल है, उस हिसाब से लोग बोलते हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोल लिये तो हम बहुत बड़े काबिल हो गये। यह स्टेटस सिंबल हो गया है।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, यह सिर्फ स्टेटस सिंबल ही नहीं है, इससे सर्विस भी मिलती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं शून्य काल में इस बात को उठाना भी चाह रहा था कि आई.ए.एस., पी.सी.एस. में, जब हमारे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो तब उन्होंने कहा था कि अब हिन्दी में भी पी.सी.एस. का पर्चा होगा। पहले तो अंग्रेजी भाषा अनिवार्य थी, उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया और अपनी भाषा में, हिन्दी भाषा में लोगों ने परीक्षा दी और बहुत पी.सी.एस. अधिकारी बने, जो बहुत काबिल हैं। आज वे प्रदेश की सेवाओं में हैं। यहां तक कि वे पी.सी.एस. से आई.ए.एस. तक बने हैं। आज फिर से आई.ए.एस. में ऐच्छिक भाषा न करके उसमें अंग्रेजी का एक सब्जेक्ट अनिवार्य कर दिया गया है। आज स्थिति देख लीजिये कि जो रिजल्ट आया है, उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तमाम ऐसे हिन्दी भाषी राज्य हैं, जहां से आई.ए.एस. अधिकारी बहुत कम संख्या में चयनित होकर आये हैं। क्या हम अंग्रेजियत को एक बढ़ावा दे रहे हैं?

महोदय, इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चूंकि मैं विषय से थोड़ा सा अलग हट रहा हूं, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि भारतवर्ष की जो संस्कृति, सभ्यता है, यहां की अनेकता में जो एकरूपता है, इसे कायम रखने के लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा। आज भी हमारे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने हिन्दी में आई.ए.एस. किया है और उनकी पोस्टिंग देश के अन्य कोने में है। आई.ए.एस. अधिकारी ऐसा होता है कि चाहे वह किसी भी विभाग में जाये, वे उसके ज्ञाता समझे जाते हैं। जब आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है तो कम से कम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो बात सतपाल महाराज जी ने रखी है, हमें इसका समावेश करना चाहिए।

महोदय, मैं दूसरी बात उर्दू के बारे में कहना चाहूंगा। हिन्दी बोलते हैं तो उसमें उर्दू जरूर आती है, कहीं न कहीं उर्दू शब्द का समावेश हिन्दी में जरूर है। इनका छोटी बहन और बड़ी बहन का रिश्ता है। अब स्टेटस सिंबल यह है कि अगर हिन्दी बोल रहे हैं तो उसमें अंग्रेजी जरूरी भिड़ा देते हैं। यह बात आम भाषा में चल पड़ी है, इसे हमें देखना पड़ेगा और खासकर हमें विदेशों से सीख लेनी पड़ेगी कि वहां के लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए फिर

एक बार भोजपुरी भाषा, जिसे 25 करोड़ लोग बोलते हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उसे भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

सभापति महोदय : श्री गोरखनाथ पाण्डेय।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी आप तो स्वयं शिक्षक रहे हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): जी, महोदय।

सभापति महोदय : क्या अभी भी शिक्षक हैं?

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : जी, महोदय।

सभापति महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि आप एकदम लक्ष्य पर बोलेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : जी, महोदय। महोदय, मैं यहां से बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : हां, बोलिये।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय सतपाल महाराज जी द्वारा रखे गये बिल- उत्तराखंड में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमांडनी भाषा को देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में रखने का जो बिल है, उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, किसी भी देश की पहचान, किसी भी राष्ट्र की पहचान, किस प्रांत की पहचान वहां के वेशभूषा, वहां की भाषा, वहां के आचरण, वहां के खान-पान, वहां की वनस्पतियों, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के वातावरण से होती है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यह देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहां विभिन्नता में एकता है। यहां के कवियों ने, यहां के संतों ने, यहां के सूफ़ियों ने, यहां के मार्गदर्शकों ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम उनकी एक-एक चोपाइयों पर शोध कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं। सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की बात कही। यह कहने में संकोच नहीं कि यह देश की देव भूमि है। हमारे हिंदू धर्म में लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं और उन चारों धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री जाकर लोग अपने आपको धन्य मानते हैं। इस जन्म और आगे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि मुझे अच्छा जन्म मिलेगा। वहां की संस्कृति, व्यवस्था और प्राकृतिक दृश्य के साथ-साथ वहां की भाषा भी अतुलनीय है। मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला है। इसी गर्मी के सीज़न में मैंने चारों धाम की यात्रा की। मुझे गर्व हुआ कि बद्रीनाथ जाने के बाद मुझे महाराज जी के आश्रम में रुकने का अवसर मिला। केदारनाथ, जहां के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि देवताओं ने, पांडवों ने अपनी यात्रा के दौरान शिव जी के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, तपस्या की थी। उनका एक सिरा नेपाल में और दूसरा सिरा उत्तराखंड में केदारनाथ के रूप में स्थापित है। हम सभी भारत के लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने को धन्य मानते हैं।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस देश में हर 10-15 किलोमीटर चलने के बाद हमारी भाषा बोली कुछ बदलने लगती है। उनमें वह मिठास, माधुर्य, ओजस्विता और मधुरिमा है कि उसको बोलने में लोग गौरव का अनुभव करते हैं। हम जब पठन-पाठन की तरफ जाते हैं तो ऐसे कवियों की रचनाएं, जिनमें तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीरा बाई, रहीम, रस खान, संत रविदास और गुरुनानक जी हैं, जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है, जो भारत की धरोहर हैं। अभी हुक्मदेव जी मैथिली की बात कर रहे थे। बड़ा अन्योन्याश्रयी संबंध है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। उनका संबंध अवधी एवं भोजपुरी से था। मां सीता जगत जननी का जन्म मिथिला में हुआ। बड़ा ही एक-दूसरे से अन्योन्याश्रयी संबंध है। जब यहां के लोग वहां जाते हैं, अभी महाराज जी ने एक बात रखी कि उत्तरांचल में एक ढोल सागर की वाद्य धुन निकलती है, उससे पता चलता है कि बारात जा रही है, बारात

लौट रही है। लगभग हर प्रांत में, हर प्रदेश में ऐसी चीजें हैं। हर तरफ बारहमासी गीत गाए जाते हैं। हर एरिया में अपनी भाषा की मधुरता है, लेकिन मिथिला और भोजपुरी का बड़ा संबंध है। हम एक-दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं।

सभापति महोदय : भोजपुरी इलाके का होने के नाते कुछ वर्चस्व मिथिला पर लगता है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : मैं उधर की ही बात कर रहा हूं। जब हम लोग उन भाषाओं की मधुरिमा पर जाते हैं, तो लगता है कि ये देश की धरोहर हैं। आज जरूरत है कि देश में जो विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है, आज यहां हम सभी एक हैं, यह धुन निकलती है और यह बात कहती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वे सारी यही बातें हैं, जो हम एक-दूसरे से मिलकर गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। हम विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। हम देश-विदेश की यात्राएं करते हैं। हम लोगों के बीच आते-जाते हैं। लोगों के रहन-सहन, वेश-भूषा से परिचित हैं, लेकिन यहां भी हमें हमारे पहनावे से जाना जाता है कि हम किस प्रांत के लोग हैं। हमारी भाषा से जाना जाता है कि हम किस प्रदेश के लोग हैं। हमारे आचरण से जाना जाता है कि हम कहां के रहने वाले लोग हैं। इसे सुरक्षित, संरक्षित रखने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सतपाल महाराज जी ने जो अपनी बात रखी है, यह बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ भोजपुरी भाषा, जिसे 25 करोड़ लोग बोलते हैं, जिस भाषा में अनेक ग्रंथ, ग्रंथावलियां सुरक्षित हैं, जिसने देश को संस्कृति दी है, जिसने देश को सभ्यता दी है, जिसने देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे वीर पुरुष जहां पैदा हुए हैं, उन भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में रखने की जरूरत है। मैं सतपाल महाराज जी की बातों का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि भोजपुरी और मैथिली के साथ-साथ अन्य बारह भाषाओं को भी इसमें सुरक्षित रखा जाए ताकि देश में विविधता में एकता जो कही जाती है, उसका जीवन्त स्वरूप हमें देखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, अब मुझे लगता है कि भोजपुरी को कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग हर एक में भोजपुरी को ठूस रहे हैं।



1636 बजे

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति महोदय, श्री सतपाल महाराज साहब ने जो कहा है।

सभापति महोदय : जब आपने महाराज कह ही दिया है तो फिर साहब कहने की क्या जरूरत है?

श्री मंगनी लाल मंडल : असल में ये प्रवचन देते हैं और समाज के बीच सदभावना पैदा करते हैं तो एक विशेषण इनके प्रति तो रहना ही चाहिए। इनके प्रति समाज में एक सम्मान है तो इसका प्रदर्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने महाराज और साहब दोनों कहा।

सभापति महोदय : महाराज के सामने साहब बहुत बौना शब्द है।

श्री मंगनी लाल मंडल : कबीरपंथ के बारे में हुकुमदेव जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग जब कबीरपंथियों के बीच जाते हैं तो कहा जाता है साहबबंदगी, मतलब साहब की बन्दगी।

मैं इस प्रस्ताव पर विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, हम लोग यह जानते हैं कि भाषा और लिपि, दोनों के आविष्कार ने मानव सभ्यता को संस्कृति का आधार दिया, मानव समाज को स्वर दिया और मानव समाज को सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति के लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया। भाषा की बड़ी भूमिका है। समय-समय पर भाषा की भूमिका बदलती रहती है। हमारे देश में कई भाषाएँ हैं, कई बोलियाँ हैं। हम लोग जानते हैं कि भाषा का मतलब जिसका व्याकरण का आधार हो, भाषा का मतलब जिसका ग्रामर हो, शब्दकोष हो। भाषा, जिसकी अपनी लिपि हो। जिसकी अपनी लिपि न हो, जिसका अपना व्याकरण न हो, जिसका अपना शब्दकोष न हो, ये बोलियाँ हैं। देश में ऐसी बहुत सारी बोलियाँ हैं, जो भाषाओं से ज्यादा व्यापक हैं।

महोदय, आपके यहां झारखंड में विश्वविद्यालयों में "हो" और संथाली बोली पढ़ाई जाती है।

सभापति महोदय : मंडल जी, क्या आपको पता चला कि कल झारखंड ने दस क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीयक भाषा घोषित कर दिया?

श्री मंगनी लाल मंडल : यह बहुत अच्छा हुआ। झारखंड में हो रहा है या बिहार में हो रहा है, यह एक ही बात है। सरकार ने बोलियों को मान्यता दी है तो यह अच्छा काम किया है। यह होनी ही चाहिए। हो बोली विश्वविद्यालय स्तर में एम.ए. तक पढ़ाई जाती थी लेकिन हो और संथाली भाषा का व्यापक असर है और हमारे राजकाज में इसकी बड़ी भूमिका है। इसका निर्धारण नहीं हुआ था। मैंने कहा कि भाषा की भूमिका रही है। हमारे देश में भाषा की भूमिका दरबारों में रही है, हमारे राजकाज में रही है, कवियों की वाणी और लेखनी में रही है, साहित्यकारों के साहित्य में रही है और जो मनीषी हैं उनकी देववाणी में रही हैं। यह

भाषाओं की भूमिका रही है। लेकिन जो दरबार की भाषा रही है, वह कहीं विकसित हुई, कहीं राजकाज की भाषा बनी।

आज अंग्रेजी के बारे में आपने कहा कि यह स्टेटस सिम्बल हो गया है। यह ठीक है कि स्टेटस सिम्बल के साथ-साथ यह सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक प्रमुख अंग बनता जा रहा है क्योंकि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्रांति के आधार पर समाज की जो रचना होती है, उसमें भाषा की बड़ी भूमिका होती है। मानव जीवन का जो उत्थान और विकास हुआ है, उसमें भाषा और बोली का बड़ा महत्व रहा है। इसमें कहा गया है, इन्होंने अभी तक गढ़वाली और कुमाऊंजी, इन दो भाषाओं का 13वीं शताब्दी से उल्लेख किया है कि यह राज-काज की भाषा थी। इसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि उस समय तक हिन्दी संगठित नहीं हुई थी या प्रचलित नहीं हुई थी। यह बात ठीक है कि उस समय हिन्दी प्रचलित नहीं हुई, गढ़वाली और कुमाऊंजी राज-काज की भाषा थी। इन्होंने प्रारम्भ में नहीं कहा, जब आपने टोका तब इन्होंने कहा कि इसका व्याकरण एवं शब्दकोष है, लेकिन जनसंख्या के मामले में बहुत आधार नहीं है। यह उत्तराखण्ड तक सीमित है। हिन्दी आते-आते जब बहुत ज्यादा कवियों और मनीषियों के माध्यम से इसका फैलाव हुआ, इसका दरबार में संरक्षण नहीं किया तो एक समय ऐसा आया कि न सिर्फ महात्मा गांधी जी ने, बल्कि सुभाषचन्द्र बोस जी ने भी कहा कि इस देश को अखंड रखना है, आजाद करना है और इस देश के कोने-कोने में संवाद को फैलाना है तो एक ही भाषा हो सकती है और वह हिन्दी भाषा थी। आज अगर सुभाषचन्द्र बोस जी बंगाल में पैदा होते तो वे कहते कि हिन्दी नहीं, अंग्रेजी बोलो। क्योंकि वे गुलाम भारत में पैदा हुए थे और उस समय अंग्रेजी की भूमिका ऐसी निर्धारित नहीं की थी, हमारे आर्थिक जीवन में, रोजगार की भाषा अंग्रेजी नहीं बनी थी। आज अंग्रेजी रोजगार की भाषा हो गई, हमारे आर्थिक जीवन की संपूर्ण गतिविधियों पर अंग्रेजों ने कब्जा एवं एकाधिकार कर लिया है, इसलिए आज हिन्दी उपेक्षित है और इसीलिए हिन्दी के साथ जितनी बोलियां एवं भाषाएं हैं, वे सब उपेक्षित हैं।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभी भाषाएं बहनें हैं।...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : हां, सभी भाषाएं हिन्दी की बहनें हैं। इसलिए डॉ. राममनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि अंग्रेजी तो कल की छोकरी है। इसने दुनिया की सभी भाषाओं के शब्दों को समाहित कर लिया है। हिन्दी जितनी समृद्ध है, उतनी समृद्ध अंग्रेजी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी ने हमारे जीवन, देश और राज-काज पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इस देश का समुचित विकास होना चाहिए, जिसमें आज क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई दे रहा है। तटवर्ती इलाकों में अंग्रेजी आई, इन इलाकों का बड़ा विकास हुआ और मध्यवर्ती इलाकों में अंग्रेजी नहीं आई, इसलिए मध्यवर्ती इलाकों का विकास तटवर्ती इलाकों के मुकाबले में कम हुआ।

इसीलिए डॉ. लोहिया ने कहा कि अंग्रेजी जिस रूप में आई थी, उसका काम खत्म हुआ। अगर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है और समाज में जो गैर-बराबरी है, उसे दूर करना है तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय बोली और राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करना होगा। इसलिए डॉ. लोहिया कहते थे कि तुम्हें अगर हिन्दी से प्रेम न हो, खरगे साहेब जहां से आते हैं, ये बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन ये जिस प्रदेश से आते हैं, वहां अंग्रेजी का बोलबाला है, क्योंकि हिन्दी के खिलाफ एक घृणा पैदा की गई है। वहां यह कहा गया कि हिन्दी मत अपनाएं, ये कहें कि अंग्रेजी जाए, तमिल, तेलगु, मलयाली एवं बंगला आए, इसी में बोलो, डॉ. लोहिया जी ने यह कहा था। श्री सतपाल महाराज जी ने अपने भाषण में कहा कि आज हमारी भाषा क्यों नहीं समृद्ध हो रही है? आज हमारी जितनी बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं, उससे भी ज्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन वैसी बोलियों को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा रहा है, राज-काज का संरक्षण नहीं है। इसीलिए पहले अंग्रेजी में काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं जिस समय विद्यार्थी था, भारत सरकार में जितने स्तर पर हिन्दी का प्रचलन था, उतना आज नहीं है। जब हम हिन्दी में कोई पेटिशन भेजते हैं तो हमें आम लोग कहने के लिए आते हैं कि इसे अंग्रेजी में लिख दीजिए तो हमने उनसे कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि हिन्दी में पेटिशन देखते ही बाबू लोग उसे फेंक देते हैं, अनुवाद बाद में होता है, लेकिन पेटिशन को फेंक दिया जाता है। मंत्री जी उसे नहीं पढ़ते हैं और अगर वे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हिन्दी को समझना मुश्किल है। यह उनका एक अहंकार भीतर से हो गया है कि हम अंग्रेजी को जानते हैं और हमें अंग्रेजी का ज्ञानी तभी समझा जाएगा, जब हम हिन्दी के प्रति नफरत पैदा करेंगे। जो हिन्दी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, वे क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय बोलियों के प्रति समादर और आदर का भाव प्रकट नहीं करते हैं। इसीलिए जो उन्होंने प्रस्ताव किया है, 22 भाषाओं को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। अभी शैलेन्द्र जी ने ठीक ही कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। हुक्मदेव बाबू ने इस मामले में बहुत ही रोचक तरीके से कहा, वे समाजवादी आन्दोलन से आये हैं और हम भी इनके पीछे-पीछे समाजवादी आन्दोलन में थे और समाजवादी आन्दोलन के माध्यम से ही महात्मा गांधी डॉ. राममनोहर लोहिया को और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को समझ पाये तो देश को समझ पाये, देश की सांस्कृतिक विरासत को समझ पाये और इसलिए उत्तराखंड की जो ये भाषाएं हैं, ये तो देवलोक की भाषाएं हैं। जैसा लोगों ने कहा कि सारे देश का हिन्दू धर्मावलम्बी, साष्टांग दण्डवत ये लोगों को कराते हैं, चाहे बद्दीनाथ हो या केदारनाथ हो, इसलिए इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता तो मिलनी ही चाहिए!... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंडल जी, आप बद्दीनाथ-केदारनाथ के इलाके में गये हैं?

श्री मंगनी लाल मंडल : जैसा हुक्मदेव बाबू ने हाथ जोड़ कर कहा, वैसे ही मैं भी कहता हूँ कि मैं हरिद्वार गया और ऋषिकेश तक गया, लेकिन उसके आगे नहीं गया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसलिए बता रहा था कि उसके आगे जाकर जहां पर लिखा है, Welcome to the Valley of Gods. जैसे ही हम लोग, जहां से हेमकुण्ड का रास्ता टूटता है...(व्यवधान)

SHRI SATPAL MAHARAJ : It is Valley of Flowers.

सभापति महोदय : वैली ऑफ फ्लावर तो उधर हो गयी। Welcome to the Valley of Gods, कहा है कि देवताओं की घाटी में आपका स्वागत है। जैसे ही हम लोग श्रीनगर से आगे निकलते हैं तो वहां पर वह लिखा हुआ मिलता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूँ कि सतपाल महाराज जी सभी सम्मानित सदस्यों को वहां ले चलें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सतपाल महाराज जी, अगर आप स्वीकार करें तो कई माननीय सदस्य आपके निमंत्रण पर वहां जाने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

श्री सतपाल महाराज : हां-हां, बिल्कुल।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वहां सब आतिथ्य सत्कार आपको ही करना पड़ेगा।

श्री सतपाल महाराज : हां-हां, मुझे हृदय से स्वीकार है। ...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : वहां महाराज का इतना बड़ा आश्रम है और इतनी शिष्य मंडली है कि वे तो सारी संसद को बंदी आश्रम में बुलवा सकते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंडल जी, अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : ठीक है, महोदय, हम कन्क्लूड करते हैं।

अब तक तो टी.वी. में ही महाराज साहब का प्रवचन सुनते थे। बहुत रोचक तरीके से ये बोलते भी हैं। अभी भी इन्होंने जो भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो ठीक ही सारे लोगों ने प्रस्ताव किया कि सब को वहां ले चलें, अपने आश्रम में रखें और वहां अपना प्रवचन भी सुनावें और हम लोग गदगद होकर हाथ जोड़कर कहें कि गढ़वाली और कुमाऊंकी भाषा को निश्चित रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में रखना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूँ, सरकार के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, सरकार सतपाल महाराज जी के इस विधेयक के साथ क्या व्यवहार करेगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर देश को बचाना है, देश को समृद्ध करना है, देश में अगर एक स्वस्थ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए

सामाजिक आधार की संरचना करनी है तो हिन्दी सहित उसकी जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका विकास करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ यह जो विधेयक है, कुमाउंनी और गढ़वाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान मिले, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और सरकार से भी अपील करता हूं कि इस विधेयक को मान लिया जाये।

सभापति महोदय : अगर हरीश जी को जवाब देना होगा, तब तो वे आसानी से मान जाएंगे।

श्री बी. मेहताब-लगता है कि आज आपको भी हिन्दी में बोलना पड़ेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप हिन्दी में बोलिये।

श्री भर्तृहरि महताब : मुश्किल है।

सभापति महोदय : आप किसी भी भाषा में बोलें, आपका स्वागत है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to participate in the deliberations on this important Bill.... (*Interruptions*) Yes, that could have been. I could have spoken in Oriya in a much better way. Our problem is, we come from a non-Hindi speaking State and we have to think in our mother tongue and speak in a foreign language. But the basic question is, if English today is a foreign language to us, when Members are speaking on the language, specially on English language, I would like to keep the record straight. The record of today in 2011 is, there are more English speaking people in this country of ours than in England itself; we have more English speaking people in India than in England itself; there are more English speaking people throughout the world than in the United States and in England itself. That is the beauty of that language and yet I would say it is a very funny language. It is a very funny language only with 26 alphabets. When we talk of our languages, the beauty of our languages, the languages that have been recognised as Official Languages comes to around 22 today which was 14 initially when the Official Languages Act came into existence and subsequently, after deliberation, when a clause was inserted, during the Constituent Assembly Debate, that we should enforce Hindi as the Official Language within 15 years time, then all hell broke loose. That was the situation then and, that is why, standing there, the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had to concede that we cannot force one language on another.

But I would like to take all Hindi speaking people a little further from the day Jawaharlal Nehru spoke about that. Was Hindi a standard language then? You had four specific *bolis*. You had *braj boli*, you had *khadi boli*, you had *awadhi* and all those four specific *bolis* were standardised.

श्री मंगनी लाल मंडल : महात्मा गांधी सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी न तो खड़ी बोली जानते थे, न अवधि बोली जानते थे और न कोई कबीर बोली जानते थे।

श्री भर्तृहरि महताब : वे हिन्दुस्तान के थे।...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : महात्मा गांधी ने कहा कि हिन्दू और हिन्दुस्तानी से ही इस देश को जगाया जा सकता है। इसलिए मैंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया। दोनों की मदर लैंग्वेज हिन्दी नहीं थी, लेकिन दोनों ने हिन्दी के माध्यम से देश को आजाद कराने का आंदोलन चलाया था।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I have no dispute with what Mr. Mandal is saying. I have no dispute in that. My only concern here is this. Was Hindi a standardized language in the 19th Century, in the early 20th Century? Please go into Hindi literature. What I am saying is, I have read those books while I was translating a book of Maithilisharan Gupt. Then only I came to know about all this. It is not that I do not read Hindi. I read Hindi, but I cannot speak as fluently as Mr. Mandal can speak, as fluently as Mr. Hukumdeo Naranyan Yadav can speak. But the history of coronation of Hindi language is one thing and inculcating a national fervour is another thing.

So, it all happened towards the later part when we approached independence. But subsequently, these are the versions which I can state here and there it was mentioned that the *Devanagiri* will be the only script. What does this signify? It did not have a specific script. Rajasthani had a separate script as Satyapalji is saying here. They have a separate script and in Bihar, there were separate scripts for Maithili and Bhojpuri as we had two separate scripts for Oriya. That was unique, I would challenge anyone.

MR. CHAIRMAN : There are no separate scripts for Maithili and Bhojpuri. The script is only *Devanagiri*.

श्री मंगनी लाल मंडल : लेकिन हमने देवनागरी को ऐडॉप्ट किया।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : ऐडॉप्ट किया है, मैं वही बता रहा हूँ। There were different scripts for different languages.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : गुजराती और मराठी के बहुत से शब्द देवनागरी से मिलते हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : अब भी मराठी में एक ऐलफाबेट ऐसा है जो हिन्दी, देवनागरी में नहीं है।... (व्यवधान) I may be allowed to speak.... (Interruptions)

सभापति महोदय : प्लीज़, महताब जी को बोलने दिया जाए।

... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : लेकिन बाकी सारे ऐलफाबेट्स देवनागरी स्क्रिप्ट से मिलते हैं।... (व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इससे किसी भाषा का मेल नहीं है।... (व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : आप अभी हिन्दी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, गढ़वाली और कुमाऊं के बारे में भी है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। मंडल जी, यहां कोई डिबेट नहीं हो रही है। ये विचार हैं और महताब जी अपने विचार दे रहे हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It is, I think, during the last 12-13 years, this is the first time that this House is deliberating on language, on literature and whoever has spoken till now has dealt very much into the language and literature. That is the beauty of our country.

When my daughter was studying in Class VI, one evening she asked me a question. The question was, why this portion of our land is called a Subcontinent; China has bigger land mass than us, the USSR had much bigger land mass than us. Is it because more people live in this area, and that is why it is a Subcontinent? Then I referred to Britannica and even dictionary and started to find out what consists of a Continent so that we can call ourselves a Subcontinent, if not a Continent. It is because we are multi-lingual, we are multi-racial, we are multi-religious, which China is not.

What has been propounded for last many years in this House and outside that we should have one language. Then, should we say, we should have one religion? Should we say that we all belong to one race? This Constitution which has been adopted by our forefathers gives status, right to every citizen of this country to pursue his own religion, to pursue his own language and also to claim himself as a true Indian.

In this land mass, though it is divided, sub-divided many times, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Maldives, this land mass is a Subcontinent because we recognize every religion, every race, every language and we can add many more. That is why it is a Subcontinent, which Russia is not. They enforced a single language throughout that land mass and what happened. Everybody is aware that after a certain period of time that nation, as we can call it, broke. The super power demolished.

Today, what is happening in Tibet? A specific language, a specific idea is being thrust upon the Buddhists or the Tibetans in Tibet. That will create a problem, the Han, as it is called. I am not going into those aspects. But here, I would say, some years back a very alarming and also interesting news was published in many newspapers, that different organisations were making a survey in Assam. They found one specific language, which was shrinking year after year and hardly thousand people are speaking that language now. It is called 'Mori' language. The Constitution guarantees them that we have to protect that language.

Those who are actually interested in language and literature, everywhere whenever we sit in different symposia, people are saying that with the influx of electronic media, with the overburden of English language, our language will be shrinking and will be dead after five, ten or 15 centuries. Language is, as I understand, जैसे हम एक स्रोतस्विनी नदी की तरह कहते हैं। I hope it is not very Sankriticised. यह प्रवाह की तरह बहती रहती है।

सभापति महोदय : निरन्तर प्रवाह की तरह बहती रहती है।

श्री भर्तृहरि महताब : वह निरन्तर प्रवाह की तरह बहती रहती है। लेकिन जो लेंग्वेज, भाषा हमारी उड़िया भाषा में डेढ़ सौ साल पहले थी, वह अब नहीं है। वह बदलती रहती है। मैं अति नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जब हमने हिन्दी भाषा को एक स्टैंडर्डाइज्ड भाषा के रूप में विकसित कर दिया है

Are you adding more vocabulary to that language? What is the concern of Satpal ji? Today, while he was speaking, he mentioned three-four words.

17.00 hrs.(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

There was a query. When in 1963, the Official Language Act was enforced and subsequently it came into force in 1965, I would urge the Ministry of Home Affairs to find out as to how many words you have adopted in Hindi vocabulary from other Indian languages. ... (*Interruptions*)

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, पहले विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान पढ़ता था, रसायन शास्त्र पढ़ता था। अभी मैट्रिक के विद्यार्थी से पूछा जाए कि पदार्थ विज्ञान किसे कहते हैं, तो वह नहीं समझेगा। लेकिन अगर पूछें फिजिक्स किसे कहते हैं, तो तुरंत समझ जाएगा। भाषा यही है। मैं मैट्रिक में जब गणित, पदार्थ विज्ञान पढ़ रहा था और रसायन विज्ञान पढ़ रहा था, तो प्रयोगशाला की एक-एक चीज का हिन्दी नामकरण था कि बीकर किसको कहते हैं, परखनली किसको कहते हैं। अभी किसी से कहें कि रसायनशास्त्र की प्रयोगशाला में यह बीकर है, यह परखनली है, तो वह नहीं समझेगा क्योंकि हमने उनका प्रचलन बंद कर दिया है। प्रचलन से उसे विज्ञान की भाषा नहीं बनने दिया। जब हिन्दी राज-काज की भाषा नहीं हो सकी, तो विज्ञान की भाषा कहां हो सकेगी?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : महताब जी को बोलने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमने अपने मां-बाप को भुलाकर मम्मी-डैडी कर दिया। हमारे बच्चे आगे चलकर पूछेंगे कि मां क्या होता है, बाप क्या होता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माताश्री, पिताश्री कहना भूल गए।

महताब जी, आप बोलिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : They are only substituting. I would only like to mention here that in case of Oriya language what the Constitution said. It stated, it originated from Indo-European language family as Hindi also. This language is spoken by 3.3 per cent of the total population of this country. It is the State language of Orissa. Today, it is the second State language of Jharkhand. Oriya is also spoken by the people living in Assam. I do not see Mr. Paban Singh Ghatowar today in this House but many people speak Oriya in Assam, in Singhbhum and Ranchi districts of Jharkhand, in Raipur, Raigarh and Bastar

districts of Chhattisgarh, in Medinipur district, and in some part of Bardhaman of West Bengal, and in Srikakulam and Visakhapatnam districts of Andhra Pradesh.

I would like to draw the attention of this House to one peculiar thing. Assam had a script. They had their own script as Oriya had two scripts, one to communicate with the Southern part of this country and the other to communicate with the Northern part of this country. Ultimately, after Independence, we adopted the Northern part script as Oriya is being written now. That has been enshrined in the Constitution. But for the Southern part, as we used to call it, it had a different script. It was a different script to the Southern part of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. Those people who were communicating with those parts, they were writing in that script. The language was Oriya but the script was a little different. That has been killed totally.

Here I am reminded of one instance when Gurudev Rabindranath Tagore became a State guest of Orissa in 1938. He was ill. He was recuperating at Puri. He stayed there for more than 2-3 months. At that time, he interacted with the State leaders of Orissa Province. At that time, very peculiarly, he had an idea. He said: "Why are you having a separate script?" You can adopt Bengali script. You can write very well in this script. Let us have Bengali script as we have done in Assam. Bengali script is being used to write Assam. Assam has lost its script.

That was the idea which was floated by Gurudev Rabindranath Tagore to our people when he was the State Guest of Orissa. That idea was vehemently opposed by the leaders of Orissa. We protected our script. We have done away with one script but another which we do, which we have kept, that script is there. A vast amount of literature is being written in that script.

We have a script. Script is the foundation of a language and literature comes subsequently. As on today, we have more than 4,000 odd dialects in our country but all the dialects do not have scripts. Today, in different spheres, a number of committees have been formed. A Committee was formed under the Chairmanship of Dr. Sitakant Mahapatra. He has given a number of suggestions relating to the language which can be accepted or incorporated in the Constitution of India. In our Constitution, we have gone up from 14 languages to 22 languages to give recognition to regional aspirations. The Constitution provides that methodology. We have given recognition to regional aspirations. The more it gives the better it is. We have seen as to what has happened in the Soviet Russia and China.

Sir, I am reminded of another incident. It is a matter relating to Bihar, Jharkhand and Orissa. Englishmen had made different Presidencies as was the Presidency of West Bengal. It was divided and sub-divided and ultimately after 1911 it became Bihar and Orissa province. There were a number of feudal States in between. There, the Court language was English. They were against the imposition of Hindi. In the Western part of Orissa, in Sambalpur, they first took the cudgels that it should be the Oriya language which should be the Court language but not the Hindi language. Sambalpur is nearer to Raipur. That happened in 1894.

Even in my house, I have a number of seals – my great grandfather had written these seals and put them on certain records – they were written in Parsi. Some were written in Urdu because that was the Court language. During the British regime, English language became the Court language. It still remains the Court language. We are doing nothing about that. A poor person has to take the help of lawyers like Shri Vijay Bahadur Singh, because he can speak in English, he can argue in English, he can give him justice in English. How many are saying that let us do away with it?

I would only urge that when Dr. Sitakant Mahapatra's report is before the government, we should recognise the regional aspirations of our country. Not only recognise them but also identify them and promote them. If we want certain languages to be developed into a State Language then those State Languages also have to take different *Shabdawali*, so that it can be used; it can be frequently used and found in literature and in different parts of our usage.

With these words, I support the Bill.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairman, Sir, the hon. Member of Parliament, Shri Satpal Maharaj ji, has introduced a Bill under the nomenclature of the Constitution (Amendment) Bill, 2010. ... (*Interruptions*)

श्री हुव्मदेव नारायण यादव : रंजन जी, हिंदी में बोलो, बंगाली हिंदी में बोलो।

श्री शैलेन्द्र कुमार : चौधरी साहब, हिंदी में बोलो।

श्री अधीर चौधरी : मैं श्री शैलेन्द्र जी से पूछूंगा, क्योंकि वे कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी इंग्लिश में नहीं बोला। सही बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके जो बेटा-बेटी, पोता-पोती हैं, वे कहां पढ़ते हैं? ...(व्यवधान) हम लोग मुंह से एक बात कहते हैं लेकिन काम दूसरा करते हैं, यह भी सही नहीं है। ये दो किस्म की बातें हैं। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, इस समय वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ...(व्यवधान) व्यवस्था परिवर्तन की बात है, यह मैं कह रहा था।

श्री हुव्मदेव नारायण यादव : हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो बैकवर्ड, शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइव्व को आई.ए.एस, आई.पी.एस में कोई घुसने नहीं देगा। ...(व्यवधान) मजबूरी में पढ़ते हैं। हमें फोर्थ-ग्रेड में भी कोई नहीं रखेगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Adhir Chowdhury says.

*(Interruptions) ... **


श्री अधीर चौधरी : एक बात आप मेरी सुनिये। जब हमारा संविधान 1950 में बना था तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया था, लेकिन उसके साथ यह भी उसमें प्रॉविजन था कि 15 साल के अंदर, अगर संसद सोचे तो अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी, केवल हिंदी रहेगी। लेकिन हम लोग तय नहीं कर सके। उसके बाद 1963 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया तो हमने दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज में रख दिया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं उस भाषा में बोलिये।


SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, in this legislative document, it has been proposed that *Garhwali* and Kumaoni languages should be accorded the status and

* Not recorded

honour of national languages by including them in the Eighth Schedule to the Constitution.

सर, मेरा पहला सवाल यह है कि हमारे देश में नेशनल बर्ड, नेशनल एनीमल, नेशनल फ्लैग हमें मालूम हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिट्रोजिनिअस सोसाइटी है, जहां मल्टी-लिंग्वल, मल्टी-रिलीजिअस, मल्टी-कल्चरल, मल्टी-रेशिअल सोसाइटी है। अगर हम ब्रिटेन में जाएं तो 95 परसेंट लोग इंग्लिश में बात करते हैं, फिर भी इंग्लिश वहां ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरी तरफ आप अमरीका जाएं तो वहां इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज है, इंफोर्मल-वे में। लेकिन हिंदुस्तान में हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज और साथ ही साथ 22 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि शैड्यूल्ड लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज। यहां बिल में मांगा गया है कि शैड्यूल्ड लैंग्वेज की तरह इसे दर्जा दिया जाए। महोदय, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज मीडियम आफ एक्सप्रेसन होती है। जब कोई लैंग्वेज की बात आती है, तो साथ ही साथ एक जियोग्राफी, एक टैरिटरी सामने आती है। इसमें टेरिटोरियल लैंग्वेज हो सकती है, कोमेंट्री लैंग्वेज हो सकती है और सेंट्रल तथा रीज़नल लैंग्वेज हो सकती है। भारत में आज से पांच हजार साल पहले हम लोगों ने भाषा को ओरिजनेट होते देखा। पहले इसकी पचास pictorial फार्म थीं। यह ट्रोसफार्म होकर पिक्टोरियल स्पीक आ गई। उसके बाद ओर्थोग्राफिक्स आ गया। यह बड़ा ट्रांजिशन है कि  लैंग्वेज जमाने से हम लोग मार्डन लैंग्वेज जमाने में आ चुके हैं। अगर इस बीच देखा जाए तो तीन कैटेगिरी में हम इन्हें बांट सकते हैं। एक इंडो आर्यन, दूसरी तिब्बत वर्मन, तीसरी द्रविडियन है। हिंदुस्तान में 73 फीसदी लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज यूज करते हैं। तीन फीसदी लोग दूसरी भाषाएं यूज करते हैं, बाकि लोग द्रविडियन लैंग्वेज यूज करते हैं। द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर भी 73 किस्म की डायलेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी में 17 किस्म की डिस्टिंक्ट डायलेक्स हैं। एक डायलेक्स से दूसरे डायलेक्स तक काफी अंतर भी है।

महोदय, इसमें जो मुद्दा रखा गया है कि गढ़वाल और कुमाऊंनी लैंग्वेज को शैड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसका समर्थन करने में मुझे कोई हिचक और सवाल नहीं है। गढ़वाल में हर घर से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए एक जवान गया हुआ है। गढ़वाल-कुमाऊ के बहादुर सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं और इसलिए गढ़वाल-कुमाऊ लैंग्वेज को आठवीं अनुसूची में शामिल करके उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में हिन्दू-आर्यन लैंग्वेज़ में भी काफी डिवीज़न है। जैसे कि ओल्ड हिन्दू आर्यन, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसके बाद क्लासिकल संस्कृत, प्राकृत, जिसका आपने भी जिक्र किया था। इसके बाद अपभ्रंश है। हिन्दुस्तान में इन्दा, ब्राह्मी, नागरी, खरोष्ठी और गुप्त स्क्रिप्ट है। हिन्दुस्तान कैलेडियोस्कोप की तरह है, जिसमें बहुत किस्म के नज़ारे देखने को मिलते हैं। वर्ष 1961 में

हिन्दुस्तान में जो सेंसैस हुई थी, उसमें देखा गया कि हिन्दुस्तान में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। वर्ष 1991 के सेंसैस में यह देखा गया कि 1576 क्लैसीफाइड मदर लैंग्वेज हैं। इसमें 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको दस लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 50 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें एक लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि 114 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर 2001 में एक और सेंसस हुई जिसमें यह निकलकर आया कि हिन्दुस्तान में 29 ऐसी भाषाएं हैं जो दस लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 60 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें एक लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 122 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से  लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने जिस बात से चर्चा शुरू की थी कि हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हमारा जो संविधान है और हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, इसमें कहीं नेशनल लैंग्वेज कहकर हम लोग नहीं बोल पाते। हमारा आर्टिकल 343 है जिसमें यह कहा गया कि हिन्दी विद देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और आर्टिकल 354 में बताया गया कि:

“The State of India may adopt one or more official languages in use in the State or Hindi/English as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

Section 8 of the Official Language Act, 1963, as amended in 1967, empowers the Union Government to make rules regarding the languages which may be used for the official purposes of the Union, for transaction of business in Parliament and for communication between the Union Government and the States.

Section 3 of GSR 1053 titled Rules 1976, as amended in 1987, specifies that communication from a Central Government office to a State or a Union Territory shall in, save in exceptional cases, Region A or shall ordinarily Region B in Hindi and if any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by Hindi translation thereof;

Section 3 of GSR 1053 titled Rules 1976 states that communication from a Central Government office to State or Union Territory in Region C or to any office not being a Central Government office or person in such State shall be in English.

Region C is South India, which covers Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh.”

इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने इलाके की डेमोग्राफी और वहां की आम जनता की भावना पर नज़र रखते हुए, वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार द्वारा गढ़वाली और कुमायूनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है, जैसे कि बिहार में बंगला है, हिन्दी है, उर्दू है। इन सभी भाषाओं को बिहार सरकार ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे चुकी है। सिक्किम में चारों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। सिर्फ नेपाली लैंग्वेज को शैड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, हमारे सूबे बंगाल में बंगाली। यानी कि हर सूबा अपने अपने क्षेत्र के मदनजर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सूबों के हाथ में कोई पॉवर नहीं है। हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ पॉवर्स सूबों को भी दी गई हैं कि आप भी अपनी तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। फिर भी जब शैड्यूल्ड लैंग्वेज के बारे में चर्चा होती रहे और आम जनता की मांग बढ़ती रहे तो धीरे धीरे आज तक 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शैड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा मिला है। जहां तक गढ़वाल का सवाल है, सतपाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से गढ़वाल की चर्चा की है जिससे हम सब खुश हुए हैं। गढ़वाल एक पहाड़ी भाषा है, कुमाउंनी हिल की भाषा है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, उत्तराखंड, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग की गढ़वाल सेंट्रल पहाड़ी भाषा है। यह इंडो आर्यन भाषा के नार्दर्न जोन में मिलती है। इतिहास को देखने से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक गढ़वाल में जो राजा थे उनकी ऑफिशियल भाषा गढ़वाली थी। जैसा आपने जिक्र किया कि देवप्रयाग के इंस्क्रिप्शन में, ग्रैंटिंग की इंस्क्रिप्शन में राजा के दस्तखत हैं। न्यूमेसमेटिक्स, रायल सील्स में गढ़वाली भाषा के सबूत मिलते हैं। गढ़वाल ऐसा इलाका था जहां पनवा राजा राज करते थे जब गोरखा, तिब्बती और ब्रिटिश नहीं आए थे। इतने सालों तक जिस जगह इनका राज था वह इंडिपेंडेंट किंगडम था। रायल सील्स, न्यूमेसमेटिक्स में एक भाषा को दर्जा देने के लिए वे सब सबूत हैं जो होने चाहिए इसलिए गढ़वाली भाषा को शैड्यूल भाषा का दर्जा देना चाहिए। यूनेस्को दुनिया का एक एटलस बनाता है जिसे लैंग्वेज एटलस कहा जाता है। इंटरनेशनली यूनेस्को एटलस बनाकर बताता है कि कहां कौन सी भाषा खतरे में है। हम देख रहे हैं कि गढ़वाल डेंजर जोन में आ चुका है। गढ़वाल भाषा बहुत रेपिडली श्रिक कर रही है। इसकी रक्षा राज्य सरकार का फर्ज है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचे।


महोदय, इतिहास बताता है कि गढ़वाल भाषा खासा लोगों की भाषा थी। बाद में आर्यन आए, अपने साथ वेदिक संस्कृत लाए, धीरे-धीरे गढ़वाल भाषा से जुड़ते गए। कई लोग कहते हैं कि Sherseni and राजस्थानी अपध्वंस ने इस पर काफी असर डाला है। गढ़वाल के लोग बाहर जाने लगे तो काफी भाषाएं

जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि ने असर डालना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के बाद हिंदी ने सबसे ऊपर स्थान बनाया। गढ़वाली भाषा का स्क्रिप्ट देवनागरी है। मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि गढ़वाल में जो पहले भाषा थी वह फोक कल्चर के जरिए जनता तक पहुंचती थी। भाषा हमारी धरोहर है। जनरेशन से जनरेशन एक फोक लोर की तरह से वे जनता के दिलों में बैठी थी। यह उस समय भी उनकी एक संगठित लिटरेचर थी। 17वीं शताब्दी के बाद गढ़वाल भाषा एक लिटरेचर की हैसियत से उभरकर सामने आने लगी और एक के बाद एक गढ़वाल से निकली कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के बारे में हमें जानकारी होने लगी।

महोदय, मैं आपको एक ओल्डैस्ट मैनुस्क्रिप्ट के बारे में बता रहा हूँ। The oldest manuscript that has been found is a poem “*Ranch judya judige ghimsaan ji*” written by Pt. Jayadev Bahuguna. 1828 में महाराजा सुदर्शन साह ने सभासार लिखा था। यह चौंकाने वाली बात है कि in 1830 AD, American missionaries published the New Testament in Garhwali. अमरीकन मिशनरी ने भी गढ़वाली में यह टेस्टामेन्ट लिखा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि महाभारत के जमाने से गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा जो ढाई हजार साल पुराना अशोक स्तम्भ है, उस स्तम्भ पर भी गढ़वाली भाषा के सबूत मिलते हैं। गढ़वाल से बहुत सारी मैगजीन्स निकलती हैं, जैसे बदुली, हिलांस, चिट्ठी-पत्री और धाड आदि। ये सब चीजें गढ़वाली भाषा को डेवलप करती हैं।

महोदय, गढ़वाली भाषा के महत्व की जानकारी देने के लिए मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूंगा, In 2010, the [Sahitya Akademi](#) has conferred *Bhasha Samman* on two Garhwali writers, namely, Shri Sudama Prasad 'Premi' and Shri Premlal Bhatt. In July 2010, the *Sahitya Akademi* conferred *Garhwali Gaurav Samman* to Shri Bachan Singh Negi during the *Meerut Sahitya Sammelan*. The *Sahitya Akademi* also organized "*Garhwali Bhasha Sammelan*" at Pauri Garhwal in June 2010. Many *Garhwali Kavi Sammelans* are organized in different parts of Uttarakhand, [Delhi](#) and [Mumbai](#).

इसलिए मैं चाहता हूँ कि गढ़वाल और कुमाऊँ के पहाड़ों के लोगों की भावना और उनकी वर्षों पुरानी मांग को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल और कुमाऊँनी भाषा को शेड्यूल्ड भाषा का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदय, मैं जनाब सतपाल महाराज के जरिये रखे गये इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी की तकरीर के बाद मेरे लिए इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। मैं अपनी बात को पूरी तरह इनसे सम्बद्ध करते हुए ...(व्यवधान) जो जबान है, भाषा है, इस पर उस जबान के जानने वाले को अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने राज्य और अपने राष्ट्र पर फख्र होता है। लेकिन इस देश में यह परम्परा बन रही है कि एक विशेष भाषा को जानने वाले लोग ही अक्लमंद होते हैं। अगर उस भाषा को आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत बुद्धिमान नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि हाँ इनको भी कुछ आता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं माना जाता है। अगर आप यूरोप में जाएं तो जैसे अपने यहां राज्य हैं, वहां उतने बड़े देश हैं। इंग्लैण्ड में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, वे फ्रांस में जाएं और अगर इंग्लिश में कोई बात करें तो फ्रेंच के लोग जवाब नहीं देते हैं। मैं भी एक बार गया था तो मैंने इंग्लिश में किसी से बात की और जब उसने नहीं समझा तो मैंने कहा कि आप इंग्लैण्ड के इतने बगल में है  इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वे बोले कि इंग्लैण्ड के लोग भी फ्रेंच नहीं जानते हैं। उनको अपनी-अपनी भाषा पर गर्व होता है। चौधरी साहब बोल रहे थे और कई बार मैं देखता हूँ कि जो बंगाली भाषा जानने वाले हैं ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी अनुमति हो तो हम इस वार्ता का समय एक घंटा बढ़ा रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी ठीक है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हिंदुस्तान में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। कई जगह एक भाषा बोलने वाले हैं, उनके बोलने का अंदाज बदल जाता है। उर्दू बहुत जगह बोली जाती है और हिंदी भी बहुत जगह बोली जाती है। बिहार में मैथिली और अंगीका बोली जाती है। लेकिन एक ही भाषा के बोलने वाले एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो उनके बोलने की टोन बदल जाती है। दिल्ली के लोग जिस टोन से चांदनी चौक में बोलते हैं, दिल्ली से आगे जाकर उत्तम नगर की तरफ चले जाएं और ककरौला और झड़ौदा की तरफ चले जाएं तो दिल्ली में उसी हिंदी का अंदाज बदल जाता है। हरियाणा में चले जाएं तो उसी हिंदी को बोलने का अंदाज बदल जाता है और अगर ज्योति मिर्धा जी के क्षेत्र में चले जाएं तो उसी हिंदी को अलग तरह से बोला जाता है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): हरियाणा में ज्यादा मीठा बोलते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जी हाँ, वह मीठा ही है। सभापति जी, मेरा ससुराल भी सोनीपत में है। मैं तो हरियाणा के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता हूँ। वहां के लोग तो बहुत मीठा बोलते हैं, हम सुबह से शाम तक सुनते हैं। अपनी-अपनी जुबान पर फख करना और जुबान पर जिद करना अच्छी बात है। अगर कभी कोई व्यक्ति कहे कि हमारी भाषा में बोलें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है, जहां एक मुल्क में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और एक राज्य में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। अष्टम् सूची में कुछ भाषाओं का नाम है। सभापति जी, मुझे यह फक्र है कि जब मैं अटल बिहारी वाजपेई जी के साथ मंत्री था और हम लोग वाजपेई जी को ले कर हुक्मदेव बाबू के क्षेत्र में एक महासेतु का उदघाटन करने के लिए गए थे। वहां पर हुक्मदेव बाबू ने उनको मखाने की माला पहनाई थी और पाग दिया था। मिथिला के बारे में जो वर्णन उनकी जुबान से हो सकती है, वह मेरी जुबान से नहीं हो सकती है। कार्यक्रम रेलवे के पुल का शिलान्यास करने का था, लेकिन इन्होंने प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन किया। मिथिला को अष्टम् सूची में डालने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेई जी ने की थी। यह सरकार की इच्छाशक्ति पर होता है। कैबिनेट की उस बैठक में मैथिली जानने वाला मैं ही बैठा था। हमारे बिहार के कई नेता थे। कैबिनेट में मैंने कहा कि आपने वहां पर घोषणा की थी। हम लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि आप निर्मली गये थे और आपने कहा था कि मैथिली को अष्टम् सूची में डालेंगे। बिना कैबिनेट नोट के कैबिनेट ने डिजीजन किया और मैथिली को अष्टम् सूची में हमारी सराकर ने डाला और इसका हमें सौभाग्य मिला क्योंकि हम उस कैबिनेट के सदस्य थे। हम भोजपुरी को डालने वाले थे, लेकिन वक्त से पहले चुनाव हो गया और आप लोग आ गये। आप तो अंग्रेजी वाले लोग ज्यादा आ गये, आपको भोजपुरी से क्या मतलब? भोजपुरी को भी अष्टम् सूची में डाला जाये। अटल बिहारी वाजपेई जी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि इसे हम अष्टम् सूची में डालें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): जिस दिन आपने उन्हें मैथिली को डालने की याद दिलायी, उस दिन आपको भोजपुरी का ख्याल नहीं आया।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उसे आपके लिए छोड़ दिया था। आप क्या करते? सब कुछ हम ही कर जाते तो आप क्यों आते?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं कई बार इनसे बहस-मुबाहिसे में रहता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि आपने नहीं किया। किसी मंत्री जी से पूछिये तो वे कहते हैं कि यह काम पहली बार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नेहरू जी ने जो किया, इंदिरा जी ने जो किया, राजीव जी ने जो किया, वे कुछ नहीं कर पाये, आप कह रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं। कई बार जो काम हम करते हैं, आज आप लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, आप मनरेगा लेकर आये, आप आरटीआई लेकर आये, हम यह कहते कि आप इन्हें पहले दिन ही क्यों नहीं लाये? यह काम सिलसिलेवार होता है।

सभापति महोदय : आप विषय पर बोलिये।


श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम अपने कैबिनेट के अनुभव से कह सकते हैं कि एक दिन की सत्ता नहीं मिलती है, काम सिलसिलेवार किया जाता है। इसलिए यह कहना कि हम नहीं कर पाये और आप नहीं कर पाये हैं, यह प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। हम तो नहीं कर पाये, लेकिन सात साल से आप क्या कर रहे थे? जब मंत्री जी आप जवाब दें तो हम इस बात का जवाब आपसे जरूर चाहेंगे। भोजपुरी के जो लोग आज देख रहे होंगे, वे रावत साहब से उम्मीद करेंगे कि जवाब देते वक्त या वे जब बोलें तब वे इस बारे में बतायें कि भोजपुरी को सात साल से न्याय क्यों नहीं मिला? छह साल पहले जब हमारी हुकुमत रही, उससे पहले पचास साल न्याय क्यों नहीं मिला, इसका जवाब आपको देना चाहिए? इस देश में जुबान का बहुत महत्व है, जब हुक्मदेव बाबू बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी भाषा में बोलता है। मैं मुसलमान हूँ और मैं अरबी पढ़ता हूँ। अरबी मेरी समझ में आये या न आये, लेकिन मैं अरबी पढ़ता हूँ। अगर मैं कभी दुआ करने जाता हूँ तो हाथ उठाते वक्त मैं अरबी में ही दुआ मांगूंगा और मेरा खुदा मेरे से राजी हो जायेगा। अगर यही अकीदा हो जाये कि अरबी में दुआ मांगने से ही खुदा राजी होगा, ऐसा नहीं है। जिसकी जो भाषा है, बंगाली, बंगला में दुआ मांगता है, जो उर्दू जानने वाले हैं, वे उर्दू में दुआ मांगते हैं, जो हिन्दी जानने वाले हैं, वे हिन्दी में प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला सबकी जुबान समझता है। जो जुबान आपकी समझ में आती है, वही जुबान आपकी अपनी जुबान है। मैं यह देखता हूँ कि लोग कई जगह, जिस पर बहुत बड़ा अकीदा होता है, उस भाषा पर, उस किताब पर, तब भी उस किताब को लोग पढ़ते तो हैं। संस्कृत में कई किताबें हैं, लोग वेद पढ़ते हैं, लोग कुरान पढ़ते हैं, लोग अपनी भाषा में बाईबिल पढ़ते हैं, लेकिन उसे समझाते हुए वे उस भाषा का उपयोग नहीं करते। जिस भाषा में लोग समझ जायें, वे उस भाषा का उपयोग करते हैं। हिन्दुस्तान में कई बार नारा लगता है, रावत साहब कल भी आप टेलीविजन पर नारा

लगा रहे थे, मैं उसे यहां कोट नहीं करूंगा। मैं आपकी प्रेस कांफ्रेंस देख रहा था। कई बार जुबान के बारे में यहां डिबेट होती है, मैं बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं तो यह कह सकता हूँ कि कौन हमारा राष्ट्रगान हो, इस पर भी देश में बहुत बड़ी बहस हुई, वोटिंग हुई। हमारी सरकारी जुबान कौन सी हो, हम कौन से नारे को लगायेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि यह जुबान हमारी है, यह जुबान तुम्हारी है, जो हिन्दुस्तानी जुबान है, वह सब हमारी है। हम अपनी जुबान पर जिद कर सकते हैं कि हम अपनी जुबान में बोलेंगे, लेकिन हम दूसरे को उसकी जुबान में न बोलने दें, यह भी बहुत अन्याय है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज कई नारे हैं, इंकलाब जिन्दाबाद है, जिस व्यक्ति को उर्दू के बारे में कुछ नहीं पता, वह भी कहता है कि इंकलाब जिन्दाबाद, यह तो उर्दू की बात है।

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, आपने समय भी बढ़ाया है और आप बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : चलिये ठीक है। आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिये, अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं बचपन से आपको सुनता रहा हूँ। मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, मैं गाने नहीं सुनता, लेकिन न्यूज़ देखने के बाद अगर मुझे समय मिलता है, तो मैं प्रवचन सुनता हूँ। आपका प्रवचन आता है, तो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ।...(व्यवधान) महोदय, मैं सच बोलता हूँ और उसकी सच्चाई वही समझ सकता है, जिसका स्वयं सच्चाई पर विश्वास हो। अगर सच्चाई पर किसी को विश्वास नहीं है, तो दूसरे को भी वह अपनी तरह का ही मानने लगता है। मैंने दिल से कहा है और मेरे मित्र निशिकांत जी जानते हैं कि मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, क्योंकि जो बड़े व्यक्ति आ कर टीवी  बोलते हैं, उससे हम लोगों को काफी लाभ होता है। हम लोग मंत्री रहे, तीन बार से सांसद हैं, लेकिन अपने को स्टूडेंट की तरह मानते हैं। अगर कहीं सांसद बोल रहा होता है, तो उसकी कही एक-एक बात कीमती होती है, इसलिए मैं हमेशा उनसे सुनकर सीखता हूँ।

महोदय, मैं कह रहा था कि जुबान का अपना महत्व है। आज कल लोग फिल्मों में जाते हैं, तो उर्दू सीखते हैं। लोग उर्दू जानते हैं तो "ज" के नीचे बिंदी लगाते हैं। हिंदी में भी अब लोग "ज" के नीचे बिंदी लगाते हैं और हिंदी तथा उर्दू का जो रिश्ता है, वह गंगा-यमुनी तहज़ीब से झलकती है। उर्दू भाषा के लिए यह कह दिया जाता है कि मुसलमानों की भाषा है। ऐसा नहीं है, उर्दू प्योर हिंदुस्तानी ज़बान है। उर्दू पर कभी किसी दूसरे मुल्क का ठप्पा नहीं लग सकता है।...(व्यवधान) उसका सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए।...(व्यवधान) महोदय, इस देश में मुसलमानों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वह हिंदुस्तानी है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वह हिंदुस्तानी ही है। कई लोग सर्टिफिकेट बांटते रहते

हैं कि आप देशभक्त हो, आप भारतीय हो। कहीं भी रहें, जो इस मुल्क में पैदा हुआ, बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान नहीं गया। भारत को मादरेवतन माना, जननी मातृभूमि माना, वह हिंदुस्तानी ही है, उसे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसे न सर्टिफिकेट देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए।

महोदय, यह जो ज़बान है, हर क्षेत्र में इसके बोलने में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। दिल्ली में जैसे उर्दू और पंजाबी दूसरी ज़बान है। बिहार में उर्दू दूसरी ज़बान है, मैथिली दूसरी ज़बान है। अलग-अलग लोग अपनी ज़बान पर गर्व करते हैं। मैं अंग क्षेत्र का सांसद हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं विक्रमशिला का सांसद हूँ। बिहार में जिस प्रकार मैथिली बोली जाती है, उसी तरह भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अंगिका को अष्टम सूची में लाया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। पहले भी संसद में हमने इस विषय को उठाया था। जब विक्रमशिला में अंगिका भाषा का उपयोग होता था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के कई इलाकों में अंगिका बोली जाती है और भागलपुर का जो नजदीकी क्षेत्र है।

सभापति महोदय : इसकी लिपि क्या है?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, इसकी लिपि देवनागरी है। इसका अलग शब्दकोश है और व्याकरण है। तिलकामाजी यूनीवर्सिटी में इस भाषा के लिए अलग से केंद्र खुला हुआ है। अंगिका बहुत ही मीठी और प्यारी भाषा है।... (व्यवधान) जिस बात को आपने हुक्मदेव जी से सुन लिया है और वहां तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगेगा। सभापति जी, यह आंदोलन बहुत दिनों से हो रहा है। महाभारत काल में यह क्षेत्र था, यह उतना पुराना है। महाभारत काल में अंगराज कर्ण का यह क्षेत्र है। उससे संबंधित मंदार पर्वत है, जो अब झारखंड क्षेत्र में आ गया है। यहां पर नालंदा की चर्चा होती है, पर विक्रमशिला की कभी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूँ। हम बराबर यह कहते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाइए। जिस तरह आप नालंदा में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उसी तरह वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलें। लेकिन इस सरकार में तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज़ वालों की ज्यादा चल रही है। नालंदा, विक्रमशिला वाले लोग सिर्फ बैठे-बैठे देखते रहते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज़ की बात होती है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जो अंगिका भाषा है, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि सुश्री ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी और एक बार अनुरोध किया। उन्होंने भागलपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस का नाम बदलकर अंग एक्सप्रेस रख दिया। मैं अंग इलाके का सांसद हूँ। वह तो दानवीर की भूमि है और मैं इस सरकार से पूछता हूँ कि हम लोग कब तक दान करते रहेंगे? आप अपना हृदय थोड़ा बड़ा कीजिए। अंगिका को आठवीं अनुसूची में डालने की

कोशिश इस सरकार को करनी चाहिए। आज बड़ी तादाद में पूरा भागलपुर कमिश्नरी क्षेत्र, कोसी कमिश्नरी क्षेत्र, और झारखंड में गोड्डा के लोग अंगिका का बहुत उपयोग करते हैं। अंगिका भाषा के साथ मंजूषा, कला जुड़ी हुई है। मैं इस बिल पर समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि अंगिका भाषा को अष्टम सूची में डाले। सरकार आठ सालों से बैठी है, ज़िद पर अड़ी है कि किसी भाषा का नाम ही नहीं डालेंगे। जब वाजपेयी जी थे, उन्होंने कई भाषाओं का नाम अष्टम सूची में डाल दिया। आपको हम सारे सांसदों ने हस्ताक्षर करके दिया कि भोजपुरी, राजस्थानी, अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए। अन्य कई सांसदों ने भी अपील की है।

सभापति महोदय, सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है, सरकार अंगिका को अष्टम सूची में डाले। लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है कि लोग सड़क पर आकर बात करें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमें चुनकर भेजती है। जनता हमें वोट देती है। एक क्षेत्र में करीब 15 लाख वोटर होते हैं। वह अपने प्यारे नुमाइंदे को बहुत श्रद्धा से चुनते हैं। हम अगर यहां अकेले खड़े हैं तो समझिए हमारे साथ 30 लाख जनता खड़ी है, हमारे 15 लाख मतदाता खड़े हैं। हम कभी अपने आपको अकेला, तन्हा नहीं मानते। संसद सदस्य कुछ नहीं होता, यह तो एक इंस्टीट्यूशन है। हम कुछ नहीं हैं। जब देश में सांसदों पर टिप्पणियां कसी जाती हैं, हमारे जैसे लोग जिन पर कोई केस, मुकदमा, कभी कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई है तो हम समझते हैं कि हमारे जैसे लोग वह गाली क्यों सुने जो गाली सुनाई जाती है? हम लोग इससे आहत होते हैं।

यहां पर एक सांसद राजस्थान से आते हैं। मैं उन्हें हमेशा देखता हूँ कि वे अपने घर से पैदल चलकर आते हैं। उनके पास गाड़ी नहीं देखता हूँ। मैं खुद कई बार अपनी गाड़ी रोककर उनको अपने साथ बिठाता हूँ। वे राजस्थान से कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। हम जब

संसद में बात कहें तो हम संसद सदस्यों को ऐसा गिना जाए कि उनके क्षेत्र के 15 लाख लोग यह मांग करते हैं। 15 लाख लोग प्लस निशिकांत जी, जो वहां के रहने वाले हैं, यह मांग करते हैं कि अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए।

इसी के साथ आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।



SHRI K.C. SINGH 'BABA' (NAINITAL-UDHAMSINGH NAGAR): Hon. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on such a historic and important Bill, that is the Constitution (Amendment) Bill, 2010.

श्री शैलेन्द्र कुमार : बाबा जी, आप हिन्दी में बोलिए।

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' : अभी अंग्रेजी में बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अंग्रेजी में बोलने दीजिए।

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' : आप कहें तो हम इलाहाबादी में भी बोल दें। हम चार-पांच भाषा जानते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, उसमें बोलिए।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : आप गढ़वाली में बोलिए।...(व्यवधान)

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' : जब गढ़वाली और कुमाऊंकी भाषा राष्ट्रीय भाषा मानी जाएगी तो हम यहां पर गढ़वाली और कुमाऊंकी में भी बोलेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, उसमें बोलिए।

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : This Bill is of vital importance particularly to the people of Uttarakhand, the Garhwali and Kumaoni speaking people.

Sir, the Eighth Schedule to the Constitution recognizes 22 national languages being spoken and written by the citizens. It is believed that the education, culture and intellectual pursuits are created and developed around these languages. It is unfortunate that languages such as Garhwali and Kumaoni, spoken and written by millions of people having distinct culture of their own have not been recognized as national languages and included in our Constitution.

Sir, Garhwali and Kumaoni, as languages, have been in existence since ancient times. The language on the copper plates of the eleventh century A.D., bearing inscriptions of the Chand rulers of Kumaon and Parmar rulers of Garhwal are in Kumaoni and Garhwali respectively. These inscriptions bearing copper plates are land grants mostly for temples. The languages on the available rock

edicts of the ruling dynasties of Kumaon and Garhwal are Kumaoni and Garhwali respectively. At the time, when Hindi as a language was not in existence all the official work of the State of Garhwal and Kumaon were in Garhwali and Kumaoni. Both these languages are very rich in expression, as Satpal Maharaj Ji has said in detail, and the folk song and dances of this region have attained international acclaim and are an evidence of the richness of the language.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हम भी इस पर यहां बोलने के लिए बैठे हैं।... (व्यवधान)

सभापति महोदय: आपका नाम सूची में लिखा हुआ है।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : The famous Malushahi legend in Kumaoni and Garhwali has attracted international attention. It was first translated into French by Marie Terrace Datta in 1955; and during the late 1970s and early 1980s German Scholar Dr. Konrad Meissner studied it for his doctoral dissertation, which was published in 1985.

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, अगला नाम आप ही का है।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : Sir, I would like to quote Shri M.P. Joshi's article published recently from Poland in Europe's time honoured and prestigious journal "*Lingua Posnaniensis*".... (*Interruptions*)

सभापति महोदय: इनके बाद आपको ही बोलने दिया जाएगा, आप ही का नाम लिखा हुआ है। इनके बाद आपको ही बोलने का अवसर दिया जाएगा।

SHRI K.C. SINGH 'BABA' : I quote:

“Roots of Kumaoni can be traced to the inscriptions of the Mauryan Emperor Ashoka, found at Kalsi, District Dehradun; Kuninda coins, including Almora coins, 2nd century BC to 3rd century AD; two Taleshvar Copper plates, 6th and 7th centuries AD, Katyuri inscriptions, 9th-14th centuries AD; and finally the Chand inscriptions, 14th century AD to 1790.

Inscriptional evidence clearly shows that the official state documents were issued in Kumaoni as early as 14th century AD whereas in Hindi they do not date back for more than 16th century AD. Revenue registers written in Kumaoni were maintained by the Kings of Raika (far western Nepal and eastern Kumaon) and the Chand dynasties of Kumaon. The earliest known date in one such register reads that it was transferred from an earlier one in Saka 1522 (AD 1600) during the reign of Maharaja Lakshmi Chand.....”

18.00 hrs.

Kumaoni was the official language as well as the *lingua franca* of Kumaon throughout the reign of the Chand dynasty of Kumaon on the basis of known inscriptions - 14th century to 1791 AD.

The earliest known dated inscription (Saka 1127 (AD 1205) in proto-Kumaoni is found at Dingas (Pithoragarh).

सभापति महोदय : के.सी.सिंह बाबा जी, अगली बार आप ही बोलेंगे। अब जीरो ऑवर शुरू हो रहा है। You will speak next time.

सभापति महोदय : अब शून्य काल प्रारम्भ हो रहा है।

श्री रामकिशुन। अगर आप लोग संक्षेप में बोलेंगे तो सब का नम्बर आ जायेगा।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, मैं लोक महत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ।

भारतीय रेल हमारे जीवन की, पूरे देश के जीवन की, आम जनता की जीवन रेखा है और काफी लम्बी लाइनों का निर्माण देश में हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर लाइनें बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, लेकिन मानव रहित रेलवे क्रासिंग नहीं रहने से आज बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले वर्षों में 16 हजार लोगों की मौत मानव रहित क्रासिंग्स पर हो चुकी है। मानव रहित रेलवे फाटक जहां बने हैं, उनको क्रॉस करने में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर हैं, आदमी आते-जाते हैं, बस की सवारियां हैं, ट्रैक्टर-जीप हैं, उनसे आने-जाने में ट्रेन से दुर्घटनाएं होती हैं और रेलवे को करोड़ों की सम्पत्ति का भी नुकसान होता है।

रेलवे लाइन के दोनों तरफ सड़कों का निर्माण हो गया है, लेकिन उन पर फाटक नहीं होने से पूरे देश में दुर्घटनाएं होती हैं। अब तक जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें काफी जान-माल की क्षति हुई है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में भारी दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 30-40 लोगों की जानें गईं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के जनपद चन्दौली में भी कई रेलवे लाइनें हैं, मुगलसराय-गया लाइन, मुगलसराय-पटना लाइन, मुगलसराय-बनारस लाइन हैं, जहां मानव रहित कई दर्जन रेलवे फाटक हैं। मुगलसराय से बनारस रेलवे लाइन पर हृदयपुर में जो मानव रहित रेलवे फाटक है, उस पर कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। वहां करीब-करीब बीसों गांव हैं, जो उस मानव रहित गेट से मार्केट में आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, मरीज मुगलसराय इलाज कराने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से मुगलसराय से पटना लाइन पर महादेवपुर है। वहां नहर की पटरी पर मानव रहित क्रासिंग के चलते आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे तो मुगलसराय से जमनियां के बीच में कई ऐसे स्थान हैं, जहां सड़कें दोनों तरफ बन गई हैं, पर वहां मानव रहित क्रासिंग हैं। रेलवे का गेट न होने से वहां दुर्घटनाएं होती हैं। यही हालत मुगलसराय-गया लाइन पर है, जहां करीब आधा दर्जन मानव रहित गेट हैं। उनके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि देश में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, इसके लिए बजट है, प्रावधान है, लाभ में रेलवे बजट होता है। इसके कारण हमारे देश की जनता को भारी जान-मान की क्षति उठानी पड़ रही है। रेल मंत्रालय

यह कह देता है कि राज्य सरकारें इसका प्रस्ताव भेजें, राज्य सरकारें सड़कें बनाती हैं और मानव रहित गेटों पर आधुनिक गेट बनाने के लिए उसका प्रावधान नहीं करते हैं, जिसके चलते भारी दुर्घटनाएं होती हैं।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से और रेल विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप जब बजट बनाते हैं, जब नई सड़कें बन रही हैं और रेलवे लाइन के इस पार को उस पार से जोड़ने का काम हो रहा है तो उसी समय उन सड़कों के बजट में ही उसमें प्रावधान रखा जाये। जब सड़कों का निर्माण हो रहा है तो जहां मानव रहित क्रॉसिंग हैं, जहां मानवरहित क्रॉसिंग है, वहां आधुनिक रेलवे फाटक निर्माण कराने का काम किया जाए।

सभापति जी, आपने हमें इस विषय को उठाने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको और पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिठाता महोदय, मैं आज देश के समक्ष एक अत्यंत ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कदाचित इस विषय पर ठीक से चर्चा भी नहीं हो पायी जबकि देश के विभिन्न राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, पंजाब हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनका काफी बड़ा हिस्सा इस समय बाढ़ से प्रभावित है। इस समय देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बाढ़ है। उत्तर प्रदेश के ही राहत आयुक्त अनुसार लगभग तीस जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग बीस लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है और 2,746 गांव मेरून्ड हैं, करीब 90 तहसील प्रभावित हैं, अभी तक 125 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, चाहे वह आकाशीय बिजली के कारण या घर गिरने के कारण हो। मैं कल रात को 12 बजे अपने क्षेत्र सिद्धार्थनगर में था। मैं इसीलिए सुबह नहीं आ पाया कि एक महत्वपूर्ण नदी बूढ़ी राप्ती, घाघरा, आज सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती ककरही में खतरे के निशान से ऊपर है। खतरे के निशान के ऊपर होने के कारण, एक गांव जिसका नाम रीवानानकार है और एक गांव संगलदीप, उमरिया ग्रामसभा में है, उसमें श्री रामायण यादव, राम मिलन साहनी, अंगद यादव, भगवानदास साहनी, चौथी साहनी, शंकर यादव, कमलेश यादव, सुदामा यादव, रामशंकर यादव, स्वामीनाथ यादव के घर हैं। रीवानानकार में राम ललित हरिजन, रामसबद हरिजन, मोहब्बत अली उर्फ सत्तन हरिजन, झिनकू, प्रकाश, रामनिवास पाल के घर पूर्णतया नदी में विलीन हो गए। मैंने अपनी आंखों से खुले आकाश में मंजर देखा है। कल पन्नियां दी गयीं, हम लोगों ने, तो शायद रात में अपने बच्चों को लेकर जिस तरीके की जिंदगी वे जी रहे हैं।

सभापति महोदय : आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि इस बाढ़ के लिए जो घर गांव में थे और नदी में विलीन हो गए हैं, उनके पुनर्वास करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाए, उन्हें इंदिरा आवास दिया जाए।
...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): भारत सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल : भारत सरकार तो कह सकती है, जिम्मेदारी तो आपकी है। फ्लड जो है, वह स्टेट का सब्जेक्ट है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप केंद्र सरकार से अनुरोध करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो राज्य सरकार सोई पड़ी हुयी है, इनका मिनिस्टर कहीं फ्लड के डिस्ट्रिक्ट में ...(व्यवधान) सोई तो पड़ी है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शून्य काल में बोल रहे हैं, केंद्र सरकार से अनुरोध करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं केवल यह चाहता हूँ कि जो घर गिर गए हैं, दारा सिंह चौहान जी कह दें कि इनकी कांस्टीच्युएंसी में घर गिराई मिल रहा हो, जिनके घर गिर गए, उनको अगर पैसा मिला हो, इंदिरा आवास मिला हो, आज यह विाय राजनीतिक विाय नहीं है। ...(व्यवधान) चौहान साहब आपका नंबर बन गया, आप खड़े हो गए, आपने टोकाटाकी कर दी, लेकिन यह विाय राजनीति का नहीं है। इस विाय में पूर्णतया संवेदनशीलता है। ...(व्यवधान) मान्यवर, आप खुद इसके बारे में जानते होंगे। ...(व्यवधान) मैं एक मिनट लूंगा आज घाघरा में जो अलगिन ब्रिज है, वहां भी वह खतरे के निशान से ऊपर है। बलिया के पूर्वी...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त करिए।

श्री जगदम्बिका पाल : वहां रामगंगा भी यही स्थिति है।

सभापति महोदय : आप अनुरोध करिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं केवल तथ्य सामने ला रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की कई नदियों में, नौ जिले तो अति गंभीर स्थिति में हैं। बाढ़ के बाद तमाम जनपदों में संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। इसकी वजह से भी बच्चे मर रहे हैं, उनको कालाजार हो रहा है या जिस तरीके से यह सब चीजें हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त करिए, अनुरोध करिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समझता हूँ कि तत्काल फौरी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। आदरणीय चौहान जी से मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि अपने राहत आयुक्त से कहें कि टीमें भेजें, दवायें भेजें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इनका रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ... **

सभापति महोदय : कोवासे जी, आप बोलें।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर शहर से चन्द्रपुर जिले के नागभीड कस्बे को जोड़ने वाली रेल लाइन अभी तक मीटरगेज लाइन है। यह रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कर इसे ब्रॉड गेज में बदलने का प्रस्ताव कई वर्षों से रेल मंत्रालय के द्वारा प्रलंबित रखा गया है। इस रेल लाइन का आमान परिवर्तन न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नागभीड मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और बहुत बड़ी जनसंख्या इस रेलवे लाइन से लाभ लेती है। नागभीड के आसपास कोयला तथा अन्य खनिज पाए जाते हैं, जिनके वहन पर इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन नहीं होने के कारण विपरीत परिणाम होता है। इसी तरह नागभीड जो चन्द्रपुर जिले का बड़ा कस्बा होने के कारण यहां से नागपुर आने-जाने वालों का तांता लगा रहता है। उन्हें भी इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन नहीं होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः ऐसी परिस्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस रेल मार्ग का आमान परिवर्तन का काम शीघ्रता से शुरू करें। इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन से रेल विभाग भी खासा लाभ में रहेगा क्योंकि इस मार्ग के आमान परिवर्तन से बल्लारशाह तथा नागपुर और नागपुर से गोंदिया के बीच पर्यायी एवं समान्तर ब्रॉड गेज लाइने उपलब्ध हो जायेंगी जिससे दुघटना आदि जैसे आपात परिस्थिति में इस समान्तर लाइनों का प्रयोग रेल विभाग कर सकेगा।

* Not recorded

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, बरसात का समय आता है और बिहार राज्य बाढ़ में डूब जाता है। बाढ़ और सूखाड़ बिहार की नियति बन चुकी है। अभी बिहार सूखाड़ से प्रभावित था। देश के अन्य हिस्सों में जो वर्षा हुई है उसका पानी बिहार में जाकर वहां के अधिकांश हिस्से को डूबा दिया। किसान अपनी मेहनत से जो भी भदई और खरीफ फसल पैदा करने का प्रयास किया था, वे सभी फसलें नष्ट हो गईं।

महोदय, इधर लगातार प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर नेपाल उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं उत्तराखण्ड में भारी वर्षा होने के कारण गंगा बेसीन की सभी नदियां उफान पर हैं जिससे बिहार राज्य का बड़ा भू-भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ है। नदियों के जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का विस्तार होता जा रहा है। किसान सूखाग्रस्त इलाके में भारी लागत लगा कर जो भी खेती कर पाए थे वह अधिकांश बर्बाद हो चुका है या हो रहा है। भदई और खरीफ की खेती का बाढ़ से बच पाने की सम्भावना नहीं है।

गंगा नदी पर बने टिहरी जलाशय से भी अनियंत्रित पानी छोड़ने के कारण बाढ़ का दृश्य उपस्थित हुआ है। यदि टिहरी जलाशय में फ्लड क्यूसन की व्यवस्था होती तो वर्तमान भयावह स्थिति से बचा जा सकता था। गंगा के साथ गंगा बेसिन की नदियां सरजू, घाघरा, गंडक, बागमती, कोशी और महानंदा के उफान को बिना केन्द्रीय सरकार के सहयोग से नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि इसमें नेपाल का सहयोग केन्द्रीय सरकार ही प्राप्त कर सकती है।

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री जगदानंद सिंह : भविष्य में बनने वाली सभी जलाशयों में फ्लड कुशन की व्यवस्था भी आवश्यक है। तत्कालिक रूप से आई बाढ़ से प्रभावित इलाके मुख्यतः बक्सर, कैमूर, भोजपुर, पटना आदि जिले के साथ उत्तर बिहार के बाढ़ से प्रभावित इलाके के ग्रामिणों को राहत देने तथा कृषि में हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के साथ लगातार आगामी फसल तक जीविकोपार्जन के साधन की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को निर्देशित किया जाए। साथ ही, बाढ़ से भविष्य में बिहार की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार से सार्थक एवं सक्रिय भूमिका निभाने की मांग करता हूं। क्योंकि जब तब जलाशयों में फ्लड क्यूसन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इसके लिए भविष्य की योजना बनाए।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): महोदय, आज की लोकसभा की कार्यवाही के दौरान शून्य काल के अन्तर्गत अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो अनुमति दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार की महंगाई पर नियंत्रण करने की सारी योजनाएं विफल हो रही हैं क्योंकि उसके पीछे सरकार की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। महंगाई का असर हमारे देश के विकास एवं विभिन्न योजनाओं पर प्रतिकूल रूप से

पड़ रहा है। देश की विकास दर महंगाई के आगे झुलस गई है एवं यह विकास दर दो साल पहले 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी उसमें गिरावट होकर साढ़े सात प्रतिशत की दर से कम हो गई है। अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उससे भी विकास दर में आगे भी गिरावट आना स्वाभाविक है। पहले हमारे विकास की दर 9 प्रतिशत थी। कई क्षेत्रों में यह विकास दर, खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में 15 प्रतिशत के आसपास थी। कृषि विकास दर 1.1 प्रतिशत पर पहले भी थी और आज भी उसी पर स्थिर है। महंगाई से पूंजी निवेश घटा है, और उद्योगों ने अपने विस्तार योजनाओं को टाल दिया है। इस महंगाई ने छोटे और मध्यम उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी। लागत में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी से महंगाई कम होने के बजाए और बढ़ेगी क्योंकि लागत और महंगाई में एक कुचक्र हो गया है। लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से लागत बढ़ रही है। सरकार इस दुष्चक्र को तोड़ने के बजाए उपाय करने में लगी हुई है और महंगाई बढ़ने को आधारहीन कारण बताए जा रहे हैं। देश के आर्थिक मैनेजर लोगों को झूठी दिलासा देते रहे हैं कि देश के विकास के लिए महंगाई का बढ़ना आवश्यक है।... (व्यवधान)



सभापति महोदय : आप मांग कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि वर्ष 2010 तक कीमतें नियंत्रण में हो जाएंगी और प्रधान मंत्री जी ने 5.5 प्रतिशत महंगाई कम होने की बात उंका ठोककर कही थी। वे बाद में कहने लगे कि उनके पास महंगाई को रोकने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अनुरोध कीजिए, अपनी मांग रखिए।

... (व्यवधान)

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : इस बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग कराह रहा है। जितना वेतन नहीं बढ़ रहा है, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। हमारी सरकार विकास के लिए महंगाई को आवश्यक मानती है। अगर देश में 9 प्रतिशत विकास होता है और महंगाई भी 9 प्रतिशत बढ़ी है, तो ऐसे विकास का क्या फायदा है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि अनियंत्रित महंगाई से विकास का कोई फायदा देश को नहीं मिल रहा है। महंगाई पर शीघ्र नियंत्रण लगाया जाए। सरकारी एवं प्रधान मंत्री जी के अर्थशास्त्र से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इस संबंध में सुधारवादी नीति अपनाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman Sir, through you, I would like to bring an important issue to the kind attention of the hon. Minister for Micro, Small and Medium Enterprises.

Sir, my native district, Salem, is a pioneer district in Tamil Nadu in coir products. During 1960 to 1980, Salem had more than 25 coir industrial cooperative societies with an apex body. Through this, thousands of people in rural areas were getting benefits.

Salem ropes were marketed not only in our country but they also had an export potential. After the coir manufacturing units are mechanized, new units are moving to different parts of Tamil Nadu, particularly to Pollachi area in Coimbatore District. Presently, Salem coir industries are producing, on an average, 200 metric tonnes of coir ropes per day and the market is being exploited by major manufacturers of mattresses of other States.

The honourable Chief Minister of Tamil Nadu, my leader, Puratchi Thalaivi Dr. Jayalalithaa has allotted Rs. 100 crore in the current financial year for the development of coir and jute industries in Tamil Nadu. If the Centre, particularly the Ministry of MSME, extends its helping hand to them, it will boost the coir industry.

Hence, I request the hon. Minister for MSME to sanction a Regional Office of Coir Board at Salem with a Training Centre to educate the unemployed youths of Salem on modern technology.

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman Sir, I would like to draw the kind attention of the Government towards two important Rivers of my State which have dried out due to huge sand deposits on their beds.

Sir, river Brahmani is the second largest river of Odisha. It bifurcates into two branches, that is, Brahmani and Kharasrota near Jenapur of my constituency. It is pertinent to mention here that, in the pre-Independence era, two barrages were constructed by the British Government, one at Jenapur in the Brahmani stream and another at Jokadia in the Kharasrota stream.

The barrage at Jenapur has been swallowed by heaps of sands. At present, there is no sign of barrage or anicut at Jenapur. Due to this reason, the river bed starting from Jenapur to Kaipada, a distance of about 80 kilometres is full of sand, small plants and grass. It is completely dead now. It affects more than two lakh inhabitants on either side of the river. The lift irrigation point constructed on either side of the river, the tube wells and thousands of ponds have turned dry. People are not getting minimum quantity of water to irrigate their agriculture lands and for their domestic consumption due to acute shortage of water. The condition of the river Birupa is more vulnerable than that of Brahmani. It has also turned dry due to sand deposit. The death of river Birupa is also affecting lakhs of people of two districts, namely. Cuttack and Jajpur.

In the last Consultative Committee meeting of the Ministry of Water Resources, I had raised this issue before the Committee and the hon. Minister had given instructions to the officers of the Central Water Commission to study the situation of the rivers Birupa and Brahmani by a technical team. But it is a matter of regret that no action has been taken by the Government or by the CWC in this regard till today.

So, I demand immediate action to save the rivers Brahmani and Birupa.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में बहने वाली जो मुख्य नदी होती है, वह उस प्रदेश की जीवनदायनी नदी कहलाती है। मध्य प्रदेश की जीवनदायनी नदी नर्मदा है। ...(व्यवधान) जिसे मध्य प्रदेश की जनता श्रद्धा से पवित्र नर्मदो मैया कहती है। परन्तु दुर्भाग्य से नर्मदा मैया का आशीर्वाद उसके पानी के रूप में मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। नर्मदा नदी की कुल लम्बाई लगभग 1213 कि.मी. है, जिसमें से वह लगभग 1077 कि.मी. मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का 98 हजार वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र है, जिसमें से 89 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा में आता है। परन्तु वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य-केन्द्र द्वारा तय नर्मदा के जल का मात्र लगभग 16-17 फीसदी ही इस्तेमाल कर पा रहा है। शेष जल में से लगभग 40 फीसदी जल का उपयोग गुजरात राज्य में हो रहा है व बचा हुआ जल यूं ही खंबात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाता है।

इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने बहुत सी कार्ययोजनाएं बनाकर केन्द्र को प्रेषित की हैं, जिसमें से कुछ योजनाएं प्रस्तावित हैं और कुछ गतिमान भी हैं। परन्तु यदि मध्य प्रदेश राज्य वर्ष 2024 तक केन्द्र सरकार द्वारा 1979 में नर्मदा नदी के जल के संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार आवंटित 18.25 मिलियन एकड़ फीट जल का इस्तेमाल नहीं कर सका, तो उक्त जल राशि गुजरात को आवंटित हो जायेगी तथा मध्य प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा मैया परायी हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त कार्य योजनाएं व प्रस्तावों को तुरंत स्वीकृत कर राज्य सरकार को उन्हें अविलम्ब पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये जायें। साथ ही नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से गुजरात की सीमा तक नर्मदा के सामान्तर भानरेर पर्वत तथा विन्ध्याचल पर्वत मालाएं आती हैं। इस संबंध में मेरा विशेष अनुरोध है कि भारत सरकार एक ऐसी कार्य योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार से मंगवाये, जो भानरेर एवं विन्ध्याचल पर्वत से लिक टनल अथवा लिफ्ट के माध्यम से बारहमासी नर्मदा का पानी केन, बेतवा, तवा, पार्वती, कालीसिंध व चंबल नदियों में तथा उक्त क्षेत्र में स्थित बांध व तालाबों में छोड़े जाने से संबंधित हो, जिससे मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र जो कि इन नदियों के निकट है, वह स्वतः ही हरा-भरा हो सके।

महोदय, यह कार्य संभव है। जब चीन ब्रह्मपुत्र जैसी नदी का रास्ता बदल सकता है तथा फ्रांस से इंग्लैंड के मध्य समुद्र में रास्ता (इंगलिश चैनल) बन सकता है, तो नर्मदा का पानी भानरेर व विन्ध्याचल पर्वत मालाओं को क्यों नहीं पार करके उक्त नदियों में मिल सकता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : जब आप दोबारा अपनी सीट की बजाय कहीं और से बोलें, तो पहले उसके लिए अनुमति लें।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairman, I would like to bring to your notice and also of this House that supplying of chemical fertilizers to Orissa during this current kharif season is not only inadequate but also very much erratic.

The Government of India is saying that due to diplomatic issues, import of MOP is not getting resolved and our farmers in Orissa are advised to make use of complex fertilizers with potash content.



We are not pressing for MOP. Our pressing concern is less supply of urea and DAP.

So far as urea is concerned, against our requirement of 3.39 lakh MT, till date the supply is only 1.94 lakh MT. The deficit in supply is about 1.69 lakh MT. Out of this deficit quantity, as much as 81,200 MT is to be imported and supplied to our State. But except for 5,000 MT to be imported and supplied by IPL, there is no indication regarding the balance quantity of 76,200 MT as to who would import and deliver it to us. This is the peak time for consumption of urea in our State.

So far as DAP is concerned, the allocation is around 1.10 lakh MT against the requirement of 1.51 lakh MT, but supply is only 0.89 lakh MT. What is the Government doing?

The Government is not supplying the urea to our farmers in Orissa and, thereby; one part of Orissa is reeling under the drought, the other part is not getting any chemical fertilizer.

So, I would urge upon the Government to provide our allocated quota in this month of September positively. I would also appreciate, if the Government consider the genuine problems and intervene at the earliest.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं सर्वप्रथम इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : महोदय, मैं आपके माध्यम से एवं आपकी अनुमति से एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ अपने हिमाचल प्रदेश का और खासकरके पहाड़ी राज्यों का। जो मिड डे मील स्कूलों में दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में यह दिक्कत है कि ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है। वैसे उत्तराखण्ड और नॉर्थ ईस्ट में भी स्थिति है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 90-10 की शेयरिंग किया जा रहा है, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट के जो आठ राज्य हैं, उनमें यह शेयरिंग 90-10 का है, लेकिन मील्स प्लस कुकिंग का जो खर्च है, उसमें यह शेयरिंग 90-10 की नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वह 75-25 प्रतिशत की है। शायद उत्तराखण्ड में भी वह उसी पैटर्न पर दिया जा रहा है।

मैं आपसे यही मांग करना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह इसे किया जा रहा है, उसी पैटर्न पर हिमाचल प्रदेश को भी दिया जाए और हिली स्टेट्स की जो एक जैसी समस्याएँ हैं, उनके अनुरूप यह सब काम होना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2008 और 2009 में 6 करोड़ 18 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश को इस हिसाब से कम मिले हैं। वहाँ की सरकार ने भी इसे सेंटर के पास भेजा है कि यह पैसा हमें दिया जाए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और हमारे हिमाचल प्रदेश में जो डिफ्रेंस आ रहा है, वह 30 पैसे प्रति स्टूडेंट प्रतिदिन के हिसाब से आता है। वह भी केन्द्र सरकार हमको दे, यही मैं मांग करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Please allow me to associate with this matter.

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal is allowed to associate with this matter.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there is no member on the Panel of Chairmen present in the House and my name is in the 'Zero Hour' list. So, I would request Shri B. Mahtab, Senior Member, to preside over the Chair, if the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

18.29 hrs.(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): सभापति महोदय, बिहार राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 की हालत काफी दयनीय है। यह चार जिला खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया को जोड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के जर्जर होने से और इसके 16वें किलोमीटर पर कोसी नदी के डुमरीघाट पर बने आरसीसी ब्रिज एवं 36वें किलोमीटर पर तिलावे नदी पर बने एक पाइल ब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन एक साल से अवरुद्ध है।

इसी पथ पर 51वें किलोमीटर पर ऐसा पुल बना हुआ है, जो हम समझते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई वैसा दूसरा पुल नहीं होगा। यह पुल अंग्रेजों के जमाने का लोहे के खम्भों पर बना हुआ पुल है जो क्षतिग्रस्त है, उसी पर सारा आवागमन होता है। यह पुल किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। इसी सड़क के 51वें किलोमीटर से 67 किलोमीटर तक दस फीट की चौड़ी सड़क है, जो जर्जर अवस्था में है। राष्ट्रीय राजमार्ग में जब इस सड़क को अधिग्रहित किया गया, तब से आज तक 10 फीट चौड़ी सड़क है। इसमें दुर्घटनाओं के कारण दर्जनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के 72वें किलोमीटर में जो सहरसा शहर में अवस्थित रेल रोड़ ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति 1997 में हुई थी, लेकिन आज तक उसके निर्माण की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे बंगाली बाजार में जाम लगने से जनजीवन अस्त-व्यस्त रहता है। उस इलाके का आवागमन मध्य बिहार से कटा हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी पटना आने का एकमात्र रास्ता कोसी इलाके का है NH-107 ही है। इसलिए हम केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहते हैं। डुमरी घाट जो एनएच-107 के 16वें किलोमीटर पर आरसीसी ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। उसी पथ के 36वें किलोमीटर में नदी पर जो स्कू पाइप ब्रिज था, वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उसी पथ के 51वें किलोमीटर पर एक लोहे के खम्भे पर पुल बना हुआ है, जिसका डीपीआर भारत सरकार में समर्पित है, उसकी स्वीकृति देकर उस पुल का निर्माण कराया जाए। उस पथ के 51वें किलोमीटर से 67 किलोमीटर तक जो दस फीट की चौड़ी सड़क है, उसका चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाए। उसके साथ उस पथ के 72वें किलोमीटर पर रेल ओवर ब्रिज जो 1997 से स्वीकृत है, निर्माण नहीं होने से वहां जाम से आवागमन अवरुद्ध रहता है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है, इसलिए उस रेल ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र कराया जाए। यह हम आपके माध्यम से केन्द्रे सरकार से मांग करते हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : धन्यवाद सभापति जी। आज पूरे देश में बुनकरों की हालत बहुत ही दयनीय तथा शोचनीय है। पूरे देश में बुनकर रहते हैं, वे मेहनतकश हैं और काम करते हैं। चाहे किसी भी प्रदेश के बुनकर हों, वे तबाही के कगार पर हैं। उसमें भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां काफी तादाद में टांडा, बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद में बुनकर रहते हैं, खासकर मैं जहां से आता हूँ मऊ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, बड़े पैमाने पर बुनकर रहते हैं। तबाही का आलम यह है कि उनके विकास के लिए और उनके मुस्तकबिल भविष्य के लिए सदन में कई बार चर्चा हुई है। लेकिन इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): जो पैकेज अनाउंस किया है, उसका भी लाभ लें।

श्री दारा सिंह चौहान : मैं उस पर भी बात करूंगा जो मंत्री जी बता रहे हैं। सरकार इस बात का ढिंढोरा पीटती है कि उसने इतना पैसा दिया है, लेकिन यह सिर्फ घोषणा ही है और कुछ नहीं। मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो आपने ढिंढोरा पीटा है, उसका फायदा आम बुनकर, जो गरीब है, उस तक पहुंचने वाला नहीं है। कोई दस प्रतिशत बुनकर जो हथकरघा समिति के नाम पर झोले में लेकर हथकरघा समिति चलाते हैं, उन्हीं को फायदा होगा। बाकी जो 90 प्रतिशत बुनकर हैं, जो पांच से, पैडल मारकर काम करते हैं, उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल 10 प्रतिशत जो पुरानी बुनकर हथकरघा की सोसाइटीज हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सोसाइटीज को अपने बेग में लेकर घूमते हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन जो 90 फीसदी बुनकर है वह आज भी तबाह, लाचार और बेबस है। उन्हें उसका फायदा नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरीब बुनकर को तभी फायदा मिलेगा, जब उन्हें कच्चा माल, धागा सस्ता होकर मिले। तभी जाकर बुनकर को कुछ फायदा मिल सकता है, वरना आपकी घोषणा से कुछ होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय : दारा सिंह जी, प्लीज पाइंट पर आ जाइये, क्योंकि हमें हाउस 7 बजे एडजॉर्न करानी है, एक मीटिंग भी 7 बजे स्पीकर महोदय ने बुलाई है तथा और भी 4-5 सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : साथ ही धागा कंपनियों को यह हिदायत देनी चाहिए कि हर महीने जो वे दाम बढ़ा रहे हैं वे दाम न बढ़ाएं जाएं। जो बुनकर पहले से लूम चलाता है वह अपने हुनर और दम पर जो जकाट से साड़ी बनाता है, उसका फायदा उसे मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूँ कि आम गरीब बुनकर जो पैडल-लूम पर अपनी कला-हुनर से लकड़ी की जकाट लगाकर साड़ियाँ बुनते हैं, उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि बड़ी मिलों में जो लौहे का जकाट लगता है और साड़ी बनती है, उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

देश में जहाँ भी बुनकर रहता है, वहाँ जोन बनाकर बुनकरों द्वारा बना हुआ जो कपड़ा है, उसे देश में बिक्री के साथ-साथ विदेशों में निर्यात की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। देश में जो गरीब बुनकर हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई की भी व्यवस्था की जाए।

MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to associate with the matter raised by Shri Dara Singh Chauhan may please send their slips to the Table of the House.

श्री हंसराज गं. अहीर, श्री वीरेन्द्र कश्यप और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को दारा सिंह चौहान जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री सतपाल महाराज : सभापति जी, उत्तराखंड में भारी वर्षा और बादल फट जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बादल फटने से 5 पुल व टिहरी में एक पुल बह गया है। राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है। अब तक करीब 80 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले मार्ग भूस्खलन के चलते बंद हैं। कलियासौड़, सेराबगढ़ में सुरंग न बनने के कारण वहां बार-बार पहाड़ गिरते हैं और मलबे से रास्ता बंद हो जाता है। नैनीताल जिले के रामनगर में बाढ़ से चुकूम, मालधन चौड़ तथा सुन्दरखाल क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है। फूलताल से कोसी नदी तक यदि माइक्रो हाईडल की तरह अंडर ग्राउंड टनल बन जाये तो भरतपुरी, पम्पापुरी आदि क्षेत्रों के डूबने का खतरा समाप्त हो जायेगा। मालधनचौड़ में पीपल पड़ाव की तरफ 3 चौक डेमों का निर्माण कर दिया जाये तथा जे.सी.बी. से नदी को बीच से खुदवा दिया जाये तो वहां भी बाढ़ से होने वाली तबाही को रोका जा सकता है।

जनपद पौड़ी के विकासखंड बीरोंखाल के भैंसवाड़ा गांव, विकासखंड पोखड़ा के धैड गांव में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का अभाव हो गया है। राज्य के करीब 1171 मार्ग आज भी बंद पड़े हैं। कीर्ति नगर ब्लॉक के सुपाणा गांव, देवप्रयाग विकास खंड का बुढ़कोट गांव के निवासियों का विस्थापन तत्काल आवश्यक है, ये गांव धंस रहे हैं। पट्टी इसरियाखाल का सौदू गांव भी धंस रहा है। पाबौ में पहाड़ खिसक रहा है जिससे काफी नुकसान हो चुका है तथा हो रहा है।

कुश्यानी, कोलानी और लामबगढ़ में पिछले एक महीने से दूरसंचार सेवाएं एवं विद्युत व्यवस्था ठप्प पड़ी है। बरसात के मौसम में लोग खुले में जीवन जीने को मजबूर हैं, टेंटों तक का वितरण प्रभावित क्षेत्रों में शासन द्वारा नहीं करवाया गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे राज्य में आपात स्थिति से निपटने के लिए तथा आपदा में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 3 हैलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाए तथा राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह प्रभावितों को समुचित सहायता एवं पुनर्वास शीघ्र सुनिश्चित करें तथा प्रभावितों को तत्काल समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करे।

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I would like to draw the attention of the Government and more particularly the Ministry of Human Resource Development regarding opening of a Kendriya Vidyalaya in Vellore District in which my constituency is located. Vellore District in Tamil Nadu is having a population of 4.5 million people, consisting of industrial and agricultural sector. Out of the total population of 4.5 million, only 2.2 million people are considered to be literate, which means less than 50 per cent of people are not having education. This is due to insufficient educational institutions available in the District.

Vellore District consists of 13 Assembly segments and this is one of the biggest districts in Tamil Nadu. While there are insufficient educational institutions in the District, the people are facing one of the big problems. Those people, who are working in the Central Government office authorities in the district, are facing a tremendous difficulty to get admission for their wards.

Apart from major small and medium industries, Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL, is having its major unit at Ranipet. Besides that, there are so many other Central Government offices also, like, Central Excise Office, Civil Aviation Authority, Defence Accounts Office, Doordarshan LPT Office, Food Corporation of India, Office of Controller of Explosives, National Informatics Centre, Regional Institution of Correctional Administration, Railway Authorities of Katpadi, Arrakonnam and Jolarpet, Archaeological Survey of India and so on.

Sir, if you see all these Departments, thousands of Central Government authorities are working there and getting transferred from time to time. They are facing tremendous difficulty to get admission for their wards. So, my kind appeal to the Ministry of Human Resource Development is to take immediate action to open Kendriya Vidyalaya in my constituency, which is Vellore in Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, there is a standard direction from the hon. Speaker that only those names that are selected to be called. So, I am sorry if someone has a different opinion on that; I cannot call sitting in this Chair any other name that is not there in the List.

The House stands adjourned to meet again on Monday, the 5th September, 2011 at 11 a.m.

18.43 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, September 5, 2011/ Bhadra 14, 1933 (Saka).*

